सशक्त पंचायत सतत् विकास

वन्दे मातरम् के १५० वर्ष

सत्यमेव जयते
भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय

पंचायती राज

वार्षिक रिपोर्ट

2025-26

पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार

विषय सूची

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
	अनुलग्नक की सूची	ii
	संक्षिप्ताक्षरों और परिवर्णी शब्दों की सूची	iii
1.	परिचय	03
2.	मंत्रालय का गठन	09
3.	पंचायती राज का संक्षिप्त इतिहास	17
4.	वार्षिक बजट और योजना	23
5.	पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता निर्माण	29
6.	आदर्श युवा ग्राम सभा (MYGS) - विशेष पहल	43
7.	पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण	51
8.	पंचायत विकास योजना	57
9.	पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई)	63
10.	ई-गवर्नेंस और आईसीटी पहलें	71
11.	ग्रामसभा, पंचायतों की स्थायी समितियाँ और पंचायतों को शक्तियों का हस्तांतरण	83
12.	केंद्रीय वित्त आयोग- राजकोषीय हस्तांतरण	89
13.	पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में शासन (पेसा)	103
14.	पंचायत चुनाव	119
15.	गांवों का सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण (स्वामित्व)	125
16.	पुरस्कारों के माध्यम से पंचायतों का प्रोत्साहीकरण	131
17.	कार्यात्मक अनुसंधान एवं अनुसंधान अध्ययन	151
18.	मीडिया और प्रचार	157
19.	मंत्रालय में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	167
20.	पंचायत धरोहर पहल	173

अनुलग्नक की सूची

अनुलग्नक	अध्याय	पृष्ठ सं.
I.	ग्यारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243छ)	179
II.	दिनांक 31.12.2025 तक पंचायती राज मंत्रालय की संख्या (पीएओ स्टाफ सहित)	180
III.	31.12.2025 तक पंचायती राज मंत्रालय का संगठनात्मक अवसंरचना	181
IV.	वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक आरजीएसए की संशोधित योजना के तहत जारी की गई निधि की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्थिति (31 दिसंबर, 2025 तक)	182
V.	वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक आरजीएसए की संशोधित योजना के तहत प्रशिक्षित प्रतिभागियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्थिति (31 दिसंबर, 2025 तक)	183
VI.	पन्द्रहवां (XV) वित्त आयोग अनुदान - पंचायतों के विभिन्न स्तरों के बीच वितरण	184
VII.	दिनांक 31.12.2025 तक ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) अनुदान का वर्ष-वार आवंटन और रिलीज	185
VIII.	राज्य वित्त आयोगों के गठन की स्थिति	186
IX.(क)	लेखापरीक्षा अवधि 2021-22 के लिए ऑडिटऑनलाइन पर राज्यवार प्रगति (31 दिसंबर, 2025 तक)	189
IX.(ख)	लेखापरीक्षा अवधि 2022-23 के लिए ऑडिटऑनलाइन पर राज्यवार प्रगति (31 दिसंबर, 2025 तक)	190
IX.(ग)	लेखापरीक्षा अवधि 2023-24 के लिए ऑडिटऑनलाइन पर राज्यवार प्रगति (31 दिसंबर, 2025 तक)	191
X.	पेसा अधिनियम की राजपत्र अधिसूचना	192
XI.	राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के तहत प्रदत्त पुरस्कारों की संख्या का वर्ष वार विवरण (2016 से)	195

संक्षेपाक्षर और परिवर्णी शब्द

3 एफ	कोष, कार्य और कर्मी
एएपी	वार्षिक कार्य योजनाएँ
एसीबीपी	वार्षिक क्षमता निर्माण योजना
एकेएएम	आजादी का अमृत महोत्सव
एआर एंड आरएस	कार्य अनुसंधान एवं अनुसंधान अध्ययन
एवी	ऑडियो-विजुअल
बीई	बजट अनुमान
बीआईएसएजी-एन	भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष एप्लीकेशन और भू-सूचना विज्ञान संस्थान
बीओसी	जनसंपर्क एवं संचार ब्यूरो
बीपीडीपी	ब्लॉक पंचायत विकास योजना
बीपीआर	व्यावसायिक प्रक्रिया पुन: इंजीनियरिंग
बीआरजीएफ	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि
सीबी/सीबी-टी	क्षमता निर्माण/क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण
सीबीसी	क्षमता निर्माण आयोग
सीबीटी	कंप्यूटर आधारित ट्यूटोरियल
सीबीयू	क्षमता निर्माण इकाई
सीसीईए	आर्थिक मामलों की मंत्री मंडलीय समिति
सीईसी	केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति
सीओआरएस	सतत संचालन संदर्भ प्रणाली
सीएससी	सामान्य सेवा केंद्र
सीएसएस	केंद्र प्रायोजित योजना
सीवीसी	केंद्रीय सतर्कता आयोग
डीएवीपी	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय
डीएवाई- एनआरएलएम	दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीडीयूपीएसपी	दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार
डीआई	हस्तांतरण सूचकांक
डीपीए	कार्यप्रणाली हेतु समायोजित नीति में हस्तांतरण का सूचकांक
डीपीडीपी	जिला पंचायत विकास योजना
डीपीओ	नीति में हस्तांतरण का सूचकांक

डीपीआर	व्यवहार में हस्तांतरण का सूचकांक
डीपीसी	जिला आयोजना समिति
डीपीई	विकेन्द्रीकृत आयोजना एवं अधिकारिता
डीपीआरसी	जिला पंचायत संसाधन
डीएमपी	आपदा प्रबंधन योजना
डीओई	व्यय विभाग
डीओपीटी	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
ईजीएसपीआई	ईग्रामस्वराज – पीएफएमएस इंटरफेस
ईआर	निर्वाचित प्रतिनिधि
ईडब्ल्यूआर	निर्वाचित महिला प्रतिनिधि
एफडी	राजकोषीय हस्तांतरण
एफएफसी	चौदहवाँ वित्त आयोग
एफ वाई	वित्तीय वर्ष
जीईएम	गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस
जीओआई	भारत सरकार
जीपी	ग्राम पंचायत
जीपीडीपी	ग्राम पंचायत विकास योजना
जीपीएस	वैश्विक पोजिशनिंग सिस्टम
जीएस	ग्राम सभा
एचआर	मानव संसाधन
आईएपी	एकीकृत कार्य योजना
आईसीडीएस	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ
आईसीटी	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आईईसी	सूचना, शिक्षा और संचार
आईओपी	पंचायतों को प्रोत्साहन
आईपी	मध्यवर्ती पंचायतें
आईपीकेपी	इंडिया पंचायत नॉलेज पोर्टल
आईएसएनए	सूचना एवं सेवा आवश्यकताओं का मूल्यांकन
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
जे एवं के	जम्मू और कश्मीर
के आई एल ए	केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान
एलजीडी	स्थानीय सरकार निर्देशिका
एलएचडीआई	स्थानीय मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट

एलआईएफ	स्थानीय संकेतक फ्रेमवर्क
एलएसडीजी	सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण
एमए	मिशन अंत्योदय
एमडीएम	मध्याह्न भोजन
एमएफपी	लघु वन उपज
एमजीएनआरईजीएस	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एमएमपी	मिशन मोड परियोजना
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमओपीआर	पंचायती राज मंत्रालय
एमओआरडी	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एमओएस (पीआर)	पंचायती राज राज्य मंत्री
एमपीआर	पंचायती राज मंत्री
एनएडी	राष्ट्रीय परिसंपत्ति निर्देशिका
एनसीबीएफ	राष्ट्रीय क्षमता निर्माण फ्रेमवर्क
एनडीआरजीजीएसपी	नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार
एनई	पूर्वोत्तर
एनईजीडी	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग
एनईजीपी	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना
एनएफडीसी	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम
एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एनआईएफ	राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क
एनआईआरडीपीआर	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
एनआईआरडीपीआर, एनईआरसी	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केंद्र
एनएलएम	राष्ट्रीय स्तर के मॉनिटर्स
एनपीआरडी	राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस
एनपीटीए	तकनीकी सहायता के लिए राष्ट्रीय योजना
एनपीएमयू	राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई
एनआरएचएम	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
ओबीसी	अन्य पिछड़ा वर्ग
ओएम	कार्यालय ज्ञापन
ओएसआर	स्वयं के राजस्व स्रोत
पीएआई	पंचायत उन्नति सूचकांक

पीएंडबी	योजना और बजट
पीबी	पंचायत भवन
पीईएआईएस	पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही प्रोत्साहन योजना
पीईएस	पंचायत एंटरप्राइज सुइट
पेसा	पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996
पीएफएमएस	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
पीडीआई	पंचायत विकास सूचकांक
पीडीपी	पंचायत विकास योजना
पीडीएस	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीएलसी	पीयर लर्निंग सेंटर
पीएम	प्रधान मंत्री
पीएमईवाईएसए	पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान
पीएमओ	प्रधान मंत्री कार्यालय
पीएमएसए	पंचायत महिला शक्ति अभियान
पीएमयू	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई
पीपीसी	जन योजना अभियान
पीपीपी	सार्वजनिक, निजी, भागीदारी
पीआर	पंचायती राज
पीआरआई	पंचायती राज संस्था
पीआरआईए सॉफ्ट	पीआरआई लेखा प्रणाली सॉफ्टवेयर
आरएडीपीएफआई	ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन
आरबीएच	ग्रामीण व्यापार केंद्र
आरसीएमएस	राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली
आरडी	ग्रामीण विकास
आरएडीपीएफआई	ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन
आरडीपीआर	ग्रामीण विकास और पंचायती राज
आरई	संशोधित अनुमान
आरजीपीएसए	राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान
आरजीएसए	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
आरजीएसवाई	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना
आरएलबी	ग्रामीण स्थानीय निकाय
आरएसवीवाई	राष्ट्रीय सम विकास योजना
एसएटीसीओएम	सैटेलाइट संचार-व्यवस्था

एसबीएम-ग्रामीण	स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण
एससी	अनुसूचित जाति
एसडीजी	सतत विकास लक्ष्य
एसईसी	राज्य चुनाव आयोग
एसईसीसी	सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना
एसएफसी	राज्य वित्त आयोग
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
एसआईआरडी	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान
एसओआई	भारतीय सर्वेक्षण विभाग
एसएनए	एकल नोडल एजेंसी
एसपीआरसी	राज्य पंचायत संसाधन केंद्र
एसएसए	सर्व शिक्षा अभियान
एसटी	अनुसूचित जनजाति
स्वामित्व	गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा मानचित्रण
टीएफसी	बारहवां वित्त आयोग/तेरहवां वित्त आयोग
टीजीएंडएस	तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता
टीआईएसपीआरआई	निरंतर प्रशिक्षण और ई-सक्षमता द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करके भारत में बदलाव
टीएलबी	पारंपरिक स्थानीय निकाय
टीएमपी	प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल
टीओटी	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
टीएसआई	तकनीकी सहायता संस्था
टीएसपी	जनजातीय उपयोजना
टीवी	टेलीविजन
यूडीआईएसई	शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली
यूएन	संयुक्त राष्ट्र
यूएनडीपी	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूटी	केंद्र शासित प्रदेश
वीपीआरपी	ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना
वीएलई	सार्वजनिक सेवा केंद्रों का प्रबंधन करने वाले ग्राम स्तरीय उद्यमी
डब्ल्यूएएसएच	जल, स्वच्छता और स्वच्छता
वाईएएसएचएडीए	यशवंतराव चव्हाण एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन
एक्सवीएफसी	15वां वित्त आयोग

परिचय

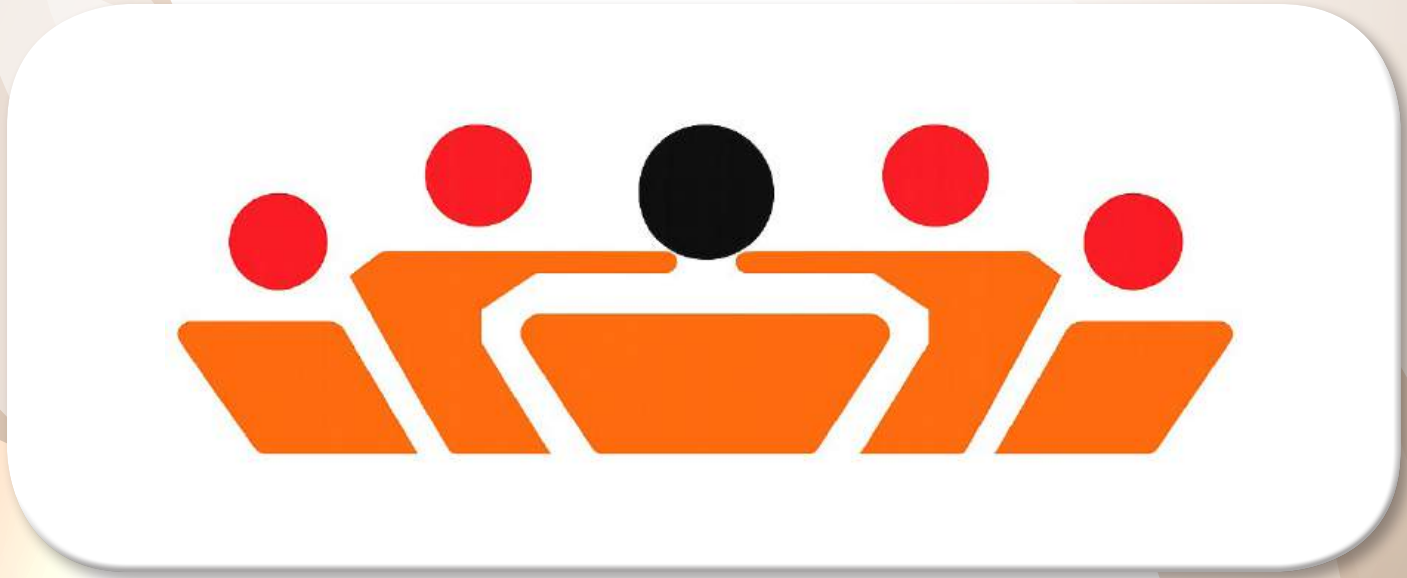

अध्याय 1

परिचय

1.1 भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के अनुसार पंचायती राज मंत्रालय को पंचायती राज तथा पंचायती राज संस्थाओं एवं जिला योजना समितियों से संबंधित सभी विषयों का निपटान करना अनिवार्य है।

1.2 भारतीय पंचायती राज व्यवस्था, जिसकी जड़ें हमारे देश के लंबे इतिहास और संस्कृति में हैं, लगभग 2.6 लाख पंचायतों के लोगों का सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करके भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करती है, जिनमें 24.24 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जिनमें से लगभग 49. 55% महिलाएं हैं। यह अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, को भी व्यापक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। इस पंचायती राज व्यवस्था को भारत के संविधान में 73वें संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इस संशोधन की अगली कड़ी के रूप में संविधान में ''पंचायत'' शीर्षक वाला भाग IX जोड़ा गया, जिसमें पंचायतों की त्रि-स्तरीय प्रणाली; अनुसूचित जनजाति (STs), अनुसूचित जाति (SCs) और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण; नियमित चुनाव; पंचायतों को शक्तियों और जिम्मेदारियों का हस्तांतरण आदि का प्रावधान किया गया है।

1.3 पंचायती राज मंत्रालय का विजन

पंचायती राज संस्थानों (PRI) के माध्यम से विकेन्द्रीकृत और सहभागी स्थानीय स्वशासन प्राप्त करना।

1.4 पंचायती राज मंत्रालय का मिशन

सामाजिक न्याय के साथ समावेशी विकास सुनिश्चित करने और सेवाओं की कुशल प्रदायगी के लिए पीआरआई का सशक्तिकरण, सक्षमता और जवाबदेही।

पंचायती राज मंत्रालय का अधिदेश

1.5 पंचायती राज मंत्रालय का गठन 27 मई 2004 को किया गया था। (i) संविधान के भाग IX के कार्यान्वयन की देखरेख करना, (ii) पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में 'पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा अधिनियम) का कार्यान्वयन और (iii) संविधान के भाग IX-A के अनुच्छेद 243ZD के संदर्भ में जिला योजना समितियों का संचालन करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। क्योंकि कानून बनाने सहित अधिकांश कार्य राज्य सरकारों के पास हैं, इसलिए मंत्रालय मुख्य रूप से नीतिगत सुधार, समर्थन, क्षमता निर्माण, प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से पंचायतों के कामकाज में सुधार के संबंध में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

1.6 मंत्रालय का उद्देश्य स्थानीय आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले स्थानीय शासन, सामाजिक परिवर्तन और सार्वजनिक सेवा प्रदायगी प्रणाली के लिए पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को एक प्रभावी, कुशल और पारदर्शी माध्यम बनाना है।

1.7 एमओपीआर की भूमिका में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों का क्षमता निर्माण करके प्रशासनिक अवसंरचना, बुनियादी सेवाओं आदि को मजबूत करना शामिल है। उपरोक्त उद्देश्यों को साकार करने के लिए मंत्रालय की रूपरेखा तीन स्तंभों:- (i) वित्त आयोग के अनुदान के माध्यम से बुनियादी सेवाओं का प्रावधान, (ii) संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (संशोधित आरजीएसए) के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण, और (iii) पंचायत विकास योजनाएं (पीडीपी) तथा सहयोगपूर्ण कार्य के माध्यम से समावेशी और सहभागी भागीदारीपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से अभिसारी समग्र आयोजना पर आधारित है।

1.8 राज्यों की भूमिको

''स्थानीय सरकार'' होने के कारण ''पंचायत'' राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। पंचायतें संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों के तहत स्थापित और संचालित की जाती हैं, जो संविधान के प्रावधानों के अध्यधीन अलग-अलग राज्यों में भिन्न हो सकते हैं। तदनुसार, पंचायतों से संबंधित सभी मामले राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। संविधान में यह परिकल्पना की गई है कि पंचायतें स्थानीय सरकार की संस्थाओं के रूप में काम करेंगी और आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करेंगी और उन्हें लागू करेंगी, लेकिन पंचायतों को शक्तियों और अधिकार का सटीक हस्तांतरण राज्यों पर छोड़ दिया गया है। संविधान की अनुच्छेद 243छ में यह निर्धारित किया गया है कि पंचायतों को स्थानीय आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ बनाने और लागू करने का अधिकार प्राप्त होगा। अनुच्छेद 243यघ प्रत्येक राज्य में जिला

स्तर पर एक जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान करता है, ताकि जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित किया जा सके और पूरे जिले के लिए एक मसौदा विकास योजना तैयार की जा सके। जिला योजना समिति, ऐसी समिति द्वारा अनुशंसित विकास योजना को राज्य सरकार को भेजेगी।

पंचायतों को हस्तांतरण के लिए; योजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन के लिए; आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए राज्य विधानमंडलों को ग्यारहवीं अनुसूची (अनुलग्नक-I) में उदाहरणात्मक रूप से निर्धारित 29 विषयों पर विचार करना है। कर लगाने की शक्तियां और पंचायतों को धनराशि का प्रावधान राज्यों द्वारा निधर्ारित किया जाता है। इसके अलावा, राज्य पंचायत क्षमताओं के निर्माण और जवाबदेही एवं पारदर्शिता के लिए एक उचित फ्रेमवर्क बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

1.9 भाग IX के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए क्षेत्र

यद्यपि संविधान का भाग प्प देश के एक विशाल ग्रामीण क्षेत्र पर लागू होता है, निम्नलिखित क्षेत्रों को छूट दी गई है: -

- संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में उल्लिखित अनुसूचित क्षेत्र (संविधान की पांचवीं अनुसूची के साथ पठित)।
- अनुच्छेद 244 के खंड (2) में संदर्भित जनजातीय क्षेत्र (संविधान की छठी अनुसूची के साथ पठित)।
- नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य;
- मणिपुर राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, जिनके लिए किसी भी कानून के तहत जिला परिषदें मौजूद हैं।
- पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्रों में जिला स्तर की पंचायतें जिनके लिए दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल फिलहाल लागू किसी कानून के तहत मौजूद है;

स्पष्टीकरण:-

(i) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधान संविधान के भाग प्प को कुछ संशोधनों और अपवादों के साथ संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के तहत अधिसूचित पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों पर विस्तारित करते हैं।

(ii) दार्जिलिंग गोरखा हिल्स परिषद ने गोरखा लैंड प्रांतीय प्रशासन अधिनियम, 2011 (2012 में निर्मित) को निरस्थ कर दिया है।

1.10 पीआरआई संबंधी मूलभूत आंकड़ा (31.12.2025 तक)

ग्राम पंचायतों की संख्या	मध्यवर्ती पंचायतों की संख्या	जिला पंचायतों की संख्या:	पारंपरिक स्थानीय निकायों की संख्या:
2,55,127	6,728	673	14,017

पेसा राज्यों की संख्या	पेसा गांवों की संख्या	पेसा पंचायतों की संख्या	पेसा ब्लॉकों की संख्या
10	77,564	22,040	664

पूरी तरह से शामिल शामिल पेसा जिलों की संख्या	आंशिक रूप से शामिल पेसा जिलों की संख्या
45	63

मंत्रालय का गठन

अध्याय 2

मंत्रालय का गठन

श्री राजीव रंजन सिंह
उर्फ ललन सिंह
माननीय केंद्रीय पंचायती राज मंत्री

प्रो. एस.पी.सिंह बघेल
माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री
पंचायती राज

2.1 प्रशासनिक संरचना:

पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री करते हैं, जिनकी सहायता राज्य मंत्री, एक सचिव, एक अपर सचिव, चार संयुक्त सचिव, एक आर्थिक सलाहकार, पाँच निदेशक, दो उप सचिव और सात अवर सचिव तथा अन्य राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकारी तथा कर्मचारी करते हैं। पंचायती राज मंत्रालय के वित्तीय और लेखा मामलों की देखरेख के लिए एक संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा नियंत्रक (CCA) हैं। मंत्रालय में नियमित पदों की स्वीकृत संख्या 112 है (**अनुलग्नक**-II) और मंत्रालय का संगठन चार्ट **अनुलग्नक**-III में है।

2.2 मंत्रालय के प्रभाग

मंत्रालय के प्रमुख प्रभागों में (क) क्षमता निर्माण, (ख) वित्तीय हस्तांतरण और नीति (ग) शासन (गवर्नेंस), (घ) स्वामित्व (ङ) पंचायतों को प्रोत्साहन, (च) प्रशासन, (छ) मीडिया, (ज) संसद और सामान्य समन्वय और (झ) अनुसंधान और योजना समन्वय शामिल हैं।

2.3 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण

पंचायती राज मंत्रालय, सेवाओं और संबंधित मामलों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण से जुड़े मामलों में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तय किए गए दिशानिर्देशों का पालन करता है। पंचायती राज मंत्रालय में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो, अन्य पिछड़ा वर्गों और दिव्यांगजनों से संबंधित कर्मचारियों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है:

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो, अन्य पिछड़ा वर्गों और दिव्यांगजन कर्मचारियों का विवरण				
श्रेणी	समूह क	समूह ख	समूह ग	कुल
अनुसूचित जाति	06	02	03	11
अनुसूचित जनजाति	02	05	00	07
अन्य पिछड़ा वर्ग	05	13	08	26
दिव्यांगजन	00	02	00	02

2.4 सतर्कता मामले

सीवीसी की निर्धारित प्रक्रिया और निर्देशों के अनुसार एमओपीआर में सतर्कता मामलों का कार्य किया जा रहा है। संयुक्त सचिव (शासन) को मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

2.5 ई-ऑफिस और बायो-मीट्रिक उपस्थिति प्रणाली का कार्यान्वयन

मंत्रालय ने जून, 2014 से ई-ऑफिस को लागू कर दिया है, जिसमें सभी दस्तावेजों और फाइलों को डिजिटल कर दिया गया है; सभी आधिकारिक कार्य ई-ऑफिस के माध्यम से डिजिटल रूप से किए जा रहे हैं, जिससे फिजिकल फाइलों में काम लगभग शून्य हो गया है। इससे समय में भी बहुत बचत होती है और कागज का इस्तेमाल भी कम से कम होता है।

मंत्रालय अक्टूबर, 2014 से सभी कर्मचारियों के संबंध में बायो-मीट्रिक उपस्थिति प्रणाली की नियमित रूप से निगरानी कर रहा है और मासिक आधार पर, इस मंत्रालय में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की उपस्थिति में समय की पाबंदी भी बनाए रखता है।

2.6 क्षमता निर्माण इकाई (सीबीयू)

पंचायती राज मंत्रालय में, (वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाओं की तैयारी का समन्वय करने, योजना कार्यान्वयन की निगरानी एवं मूल्यांकन करने और सिविल सेवकों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले प्रशिक्षण संस्थानों के बीच साझा संसाधनों के निर्माण को सुविधाजनक बनाने हेतु 'मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम' के तहत क्षमता निर्माण इकाई (सीबीयू) का गठन किया गया है, जिसमें अपर सचिव (पीआर), अध्यक्ष और अन्य आठ सदस्य शामिल हैं।

मंत्रालय के सीबीयू का मुख्य कार्य प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की मैपिंग के माध्यम से आवश्यक दक्षताओं का आकलन करना, मौजूदा क्षमता अंतरों का पता लगाने के लिए सीबीसी के सहयोग से प्रभाग-वार एचआर ऑडिट करना, सीबीसी के सहयोग से मंत्रालय के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण योजना (एसीबीपी) को सह-सम्बद्ध करना, अद्यतन करना और लागू करना, मंत्रालय में एसीबीपी के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करना और सीबीसी को रिपोर्ट करना, विशेषज्ञों के साथ साझेदारी में संगठनात्मक क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण और गैर-प्रशिक्षण सुधारों को सुविधाजनक बनाना है।

2.7 मिशन कर्मयोगी भारत के तहत वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण योजना (ACBP) का कार्यान्वयन।

पंचायती राज मंत्रालय मिशन कर्मयोगी भारत

के तहत क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) की सिफारिश के अनुसार वार्षिक क्षमता निर्माण योजना (एसीबीपी) के चरण-I और चरण-II दोनों के लिए चरणबद्ध तरीके से 2023-2024 से क्षमता निर्माण योजना गतिविधियों को लागू कर रहा है।

चरण -1 में वर्ष 2022-2023 के दौरान, पंचायती राज मंत्रालय ने सीबीसी द्वारा सुझाई गई सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों का कार्यान्वयन किया जिसमें क्षमता निर्माण इकाई (सीबीयू) का निर्माण, प्रत्येक प्रभाग के मुख्य कर्मचारियों के साथ एएस/जेएस और/या प्रभाग प्रमुख के साथ प्रभाग-वार बातचीत करना शामिल हैं ताकि क्षमता निर्माण के लक्ष्यों की पहचान की जा सके, मंत्रालय के लिए क्षमता जरूरतों मूल्यांकन (सीएनए) का निर्माण, सीएनए निष्कर्षों का विश्लेषण और सत्यापन, क्षमता संबंधी जरूरतों का पता लगाने के लिए सुधार आदि किया जा सके।

चरण-2 में मंत्रालय ने पदनाम-वार प्रशिक्षण कैलेंडर और प्रभाग-वार प्रशिक्षण सुधारों और गैर-प्रशिक्षण सुधारों के कार्यान्वयन के संबंध में वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण की सभी गतिविधियों को लागू किया है।

वर्ष 2025-26 में - पंचायती राज मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 के लिए आई-गॉट कर्मयोगी पोर्टल पर एपीएआर से जुड़े अनिवार्य पाठ्यक्रमों को पूरा करने और व्यापक मूल्यांकन के लिए इन्हें मैप किया है।

2.8 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

मंत्रालय ने खास तौर पर iGOT पर ऑनलाइन प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए हर हफ्ते बुध वार के अपराह्न को 'नो मीटिंग डे' तय किया है, इसके परिणामस्वरूप, 100% कर्मचारियों को iGOT-कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर शामिल कर लिया गया है। इन कर्मचारियों में नियमित, संविदात्मक और आउटसोर्स स्टाफ जैसी सभी श्रेणियां शामिल हैं।

(i) शामिल किए गए सभी कर्मचारियों ने मिशन कर्मयोगी भारत के अंतर्गत संबंधित सीबीपी में पहचाने गए क्विक विन पाठ्यक्रमों से iGOT-कर्मयोगी मंच पर सीबीपी में प्रस्तावित प्रशिक्षण कैलेंडर के आधार पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों से iGOT-कर्मयोगी पोर्टल पर कम से कम 6 घंटे का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

(ii) मंत्रालय ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) की सहायता से क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) के परामर्श से पळव्ज कर्मयोगी पोर्टल पर 'अपने मंत्रालय को जानें' मॉड्यूल प्रकाशित किया है।

2.9 आंतरिक शिकायत समिति

पीओएसएच अधिनियम, 2013 के तहत, मंत्रालय ने यौन उत्पीड़न की शिकायतों और मामलों, यदि कोई हो, को देखने के लिए और पीओएसएच अधि नियम पर जागरूकता लाने के लिए सक्रिय कार्रवाई का सुझाव देने हेतु सुश्री ममता वर्मा, संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का पुनर्गठन किया है जिसमें बाहरी सदस्य के रूप में सुश्री अंजना गोसैन, अधिवक्ता दिल्ली उच्च न्यायालय शामिल हैं। वर्ष 2026-27 में मंत्रालय में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का कोई मामला सामने नहीं आया है।

मंत्रालय ने यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (शी-बॉक्स) पोर्टल पर भी ऑनबोर्डिंग पूरी कर ली है, जिसका उद्देश्य यौन उत्पीड़न से संबंधित

शिकायत के पंजीकरण की सुविधा के लिए संगठित या असंगठित, निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाली हर महिला को उसके कार्य स्थिति (वर्क स्टेटस) पर ध्यान दिए बिना आसान पहुँच (एकल खिड़की एक्सेस) प्रदान करना है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली कोई भी महिला इस पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। एक बार शिकायत 'शी-बॉक्स' में प्रस्तुत करने के बाद, इसे सीधे उस संबंधित प्राधिकारी को भेजा जाएगा जिसके पास इस मामले में कार्रवाई करने का अधिकार है।

2.10 जन शिकायतों का निवारण:-

2.10.1 लोगों की शिकायतों का प्रभावपूर्ण समाधान (PGs) पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) की एक मुख्य प्राथमिकता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर नागरिकों के लिए 'जीवन की सरलता' को बेहतर बनाने में मदद करता है। लोगों की शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावपूर्ण समाधान सरकार में लोगों के विश्वास और भरोसे को और मजबूत कर सकता है। पंचायती राज मंत्रालय को केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) पोर्टल के जरिए बड़ी संख्या में लोगों की शिकायतें प्राप्त होती हैं। वर्ष 2025 के दौरान (जनवरी से दिसंबर 2025 तक) केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पोर्टल पर कुल 16641 लोक शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

2.10.2 मंत्रालय ने शिकायत निवारण तंत्र की एक मजबूत प्रणाली स्थापित की है। इसने एक समर्पित लोक शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना की है और अपने अधिकारियों को शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) के रूप में नामित किया है। जीआरओ को विशेष रूप से ध्यान देने हेतु विशिष्ट राज्य आवंटित किए गए हैं। एक अवर सचिव स्तर के अधिकारी को एक संयुक्त सचिव की देखरेख में नोडल शिकायत निवारण अधिकारी (एनजीआरओ) के रूप में नियुक्त किया गया है जो नोडल शिकायत अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है। सचिव, एमओपीआर की अध्यक्षता में मासिक आधार पर लोक शिकायतों के निपटान की स्थिति की समीक्षा की जाती है।

2.10.3 केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) पोर्टल पर प्राप्त होने वाली ज्यादातर शिकायतें पंचायत स्तर पर समाधान की जाने वाली समस्याओं से जुड़ी होती हैं, जो राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के अधि कार क्षेत्र में आते हैं। इसलिए, शिकायतों को तुरंत संबंधित राज्य पंचायती राज विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने और शिकायतकर्ता को की गई कार्रवाई के बारे में सूचित करने के लिए भेजा जाता है। इसके बाद मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से संपर्क बनाए रखता है और शिकायतों के समाधान को सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ अनुवर्ती कार्य करता है। इस नियमित संपर्क के कारण, सार्वजनिक शिकायतों के समाधान में उच्च सफलता दर प्राप्त हुई है। मंत्रालय शिकायतकर्ताओं से मिली प्रतिक्रिया को शामिल करके शिकायत निवारण प्रक्रिया में लगातार सुधार करता है। मंत्रालय प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए संतोषजनक शिकायत समाधान से जुड़ी सफलता की कहानियों का प्रचार करके व्यापक जन जागरूकता को भी बढ़ावा देता है।

2.10.4 पंचायती राज मंत्रालय ने केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली

(CPGRAMS) पर प्राप्त 51 जन शिकायतों के मामलों का एक संकलन तैयार किया, जिन्हें मंत्रालय के सक्रिय दृष्टिकोण के कारण सफलतापूर्वक हल किया गया है। सफलता की ये कहानियाँ दर्शाती हैं कि कैसे एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली, न केवल व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करती है, बल्कि सेवा प्रदायगी, अवसंरचना को भी मजबूत करती है, और कुल मिलाकर नागरिकों की संतुष्टि को बढ़ाती है। जवाबदेह शासन को प्रदर्शित करके, सफलता की ये कहानियाँ लोगों और संस्थाओं के बीच भरोसे को दर्शाती है, जिससे जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित प्रशासन के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता मजबूत होती है।

पंचायती राज का संक्षिप्त इतिहास

अध्याय 3

पंचायती राज का संक्षिप्त इतिहास

3.1 ऋग्वेद, जो भारत की सबसे पुरानी पवित्र ग्रंथों और ऐतिहासिक स्रोतों में से एक है, उसमें पूरे उपमहाद्वीप में गाँव के समुदायों का उल्लेख है जो हजारों सालों से स्व-शासित थे, और मुख्य रूप से कृषि ग्राम अर्थव्यवस्थाओं और उच्चतर प्राधिकारियों के बीच मुख्य कड़ी का काम करते थे। रीति-रिवाजों और परंपराओं ने इन शुरुआती परिषदों या सभाओं, जिन्हें 'सभा' कहा जाता था, को बहुत सारे अधि कार दिए थे। धीरे-धीरे, उन्होंने 'पंचायत' (पाँच सम्मानित बुजुर्गों की सभा) का रूप ले लिया। उत्तर और दक्षिण भारत में ये पंचायतें प्रशासन का केंद्र, सामाजिक एकता का मुख्य बिंदु और न्याय देने तथा स्थानीय विवादों के समाधान का मुख्य प्लेटफार्म बन गई। मध्यकालीन और मुगल काल के दौरान गाँव की पंचायतों की ये विशेषताएँ अपरिवर्तित रहीं।

3.2 ब्रिटिश भारत में स्थानीय सरकार:

ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन की शुरुआत में, भारत के कार्यवाहक गवर्नर जनरल सर चार्ल्स मेटकाफ (1835-36) ने भारतीय गाँव समुदायों को 'छोटे गणतंत्र' कहा था।

शहरी इलाकों में, मद्रास में 1687 में ही ब्रिटिश टाउन काउंसिल मॉडल पर एक नगर निगम का गठन किया गया। मद्रास नगर निगम को एक गिल्ड हॉल वाले स्कूलों के निर्माण के लिए कर लगाने का अधिकार दिया गया था। जैसे-जैसे इस निगम की गतिविधियों का दायरा बढ़ा (जैसा कि दूसरे बड़े शहरों में बनी ऐसी ही संस्थाओं में हुआ), उसी हिसाब से कर लगाने की उनकी शक्तियां भी बढ़ीं। ये नगर निगम एक तरह से स्थानीय सरकार का प्रतीक थे, लेकिन इनमें नामित सदस्य ही होते थे और कोई भी चुने हुए सदस्य नहीं होते थे।

3.3 पंचायती राज व्यवस्था का विकास:

क्र.सं.	वर्ष	प्रमुख विकास
क.	1870	लॉर्ड मेयो (भारत के वायसराय - 1869-72), गवर्नर जनरल-इन-काउंसिल ने लोगों की मांगों को पूरा करने में अधिक प्रशासनिक कुशलता लाने के उदेश्य से सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, लेकिन इसका मुख्य उदेश्य शाही खजाने को बढ़ाना था। उन्होंने कहा कि 'मौजूदा शाही संसाधन देश की बढ़ती जरूरतों के लिए काफी नहीं होंगे'। लगभग उसी समय, बंगाल में पारंपरिक ग्राम पंचायत प्रणाली को फिर से शुरू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहला कदम बंगाल चौकीदारी एक्ट, 1870 के माध्यम से उठाया गया, जिसने जिला मजिस्ट्रेटों को गांवों में नामित सदस्यों की पंचायतें व्यस्थित करने का अधिकार दिया। ये नामित पंचायतें अपने द्वारा रखे गए चौकीदारों या पहरेदारों को भुगतान करने के लिए कर लगा सकती थीं और एकत्रित कर सकती थीं। 1880 के अकाल आयोग

		ने स्थानीय निकायों की कमी को अकाल से पीड़ित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने में एक प्रमुख बाधा बताया, और गांवों में भी स्वशासन का विस्तार करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
ख.	1882	ब्रिटिश भारत में स्थानीय लोकतंत्र का मैग्ना कार्टा 1882 का रिपन प्रस्ताव था (लॉर्ड रिपन भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय थे - 1880-1884) जिसमें ग्रामीण स्थानीय बोर्ड बनाने का प्रावधान था, जिसमें दो-तिहाई चयनित सदस्य होते थे, गैर-सरकारी प्रतिनिधि होते थे और जिसकी अध्यक्षता एक गैर-सरकारी अध्यक्ष करता था। इसे लागू करने में वास्तविक प्रगति धीमी थी, लेकिन ग्रामीण स्थानीय प्रशासन की भूमिका बढ़ी, और ष्स्व-शासनष् शब्द प्रचलन में आया।
ग.	1907-1909	1907 में, सरकार ने विकेंद्रीकरण पर छह सदस्यों वाला एक रॉयल कमीशन का गठन किया, जिसे 1909 में जारी किया गया, इसने रिपन प्रस्ताव में बताए गए सिद्धांतों को विस्तार से बताया और भारत के शासन में पंचायतों के महत्व को पहचाना।
घ.	1919	1919 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों (एडविन सैमुअल मोंटेग्यू भारत के राज्य सचिव थे - 1917-22 और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे - 1916-21) ने द्वैध शासन की प्रस्तावित योजना के तहत स्थानीय स्वशासन को एक 'हस्तांतरित विषय' बना दिया, जिससे प्रांतों में स्वशासन भारतीय मंत्रियों के अधिकार क्षेत्र में आ गया। स्थानीय स्वशासन को पूरी तरह से प्रतिनिधित्व और जिम्मेदार बनाने के लिए, मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों ने सुझाव दिया कि जहाँ तक संभव हो, स्थानीय निकायों में पूरी तरह से नियंत्रण होना चाहिए और उनमें बाहरी नियंत्रण जितना हो सके कम होना चाहिए।
ङ.	1935-39	भारतीय सरकार अधिनियम, 1935 और उसके तहत प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत ने पंचायतों के विकास में एक और महत्वपूर्ण चरण को चिह्नित किया। प्रांतों में लोगों द्वारा चुनी गई सरकारों के साथ, लगभग सभी प्रांतीय प्रशासनों ने ग्राम पंचायतों सहित स्थानीय स्व-सरकारी संस्थाओं के और अधिक लोकतंत्रीकरण के लिए कानून बनाए।
भारत की स्वतंत्रता के बाद की पंचायतें:		
च.	1948-50	राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत संविधान का अनुच्छेद 40 इस प्रकार है: 'राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें ऐसी शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्व-शासन की इकाइयों के रूप में काम करने में सक्षम बनाने के लिए जरूरी हों। यह ध्यातव्य है कि शुरू से ही, 'स्व-शासन' को पंचायती राज का सार माना गया है।
छ.	1952	सामुदायिक विकास परियोजनाओं को 1952 में शुरू किया गया था, जो शांतिनिकेतन, बड़ौदा (वडोदरा) और नीलोखेड़ी में पहले के प्रयोगों पर आधारित थे।

ज.	1957	1957 में, पंचायती राज की स्थापना में एक ऐतिहासिक सफलता श्री बलवंतराय मेहता की अध्यक्षता वाली सामुदायिक विकास परियोजनाएँ और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अध्ययन के लिए टीम की रिपोर्ट के जरिए मिली, जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि 'सामुदायिक कामों में लोगों की भागीदारी वैधानिक प्रतिनिधि निकायों के माध्यम से संयोजित की जानी चाहिए'। इसके बाद, राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंतराय मेहता रिपोर्ट में बताए गए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के मूल सिद्धांतों को पृष्ठांकित किया और राज्यों को यह जिम्मेदारी दी कि वे हर राज्य के लिए उपयुक्त संरचना तैयार करें। इसी दौरान 'पंचायती राज' शब्द शासन की एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में लोकप्रिय हुआ, जो ग्राम सभा से लेकर लोकसभा तक लोगों की इच्छा को स्वाभाविक रूप से व्यस्थित करती है।
झ.	1959	पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान में, जयपुर से 260 किलोमीटर दूर नागौर में लागू की गई थी।
ञ.	1966-71	सामुदायिक विकास मंत्रालय को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के तहत लाया गया और 1971 में 'सामुदायिक विकास' हटाकर उसकी जगह 'ग्रामीण विकास' कर दिया गया।
ट.	1978	1978 की अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि पंचायती राज को संविधान में शामिल किया जाए। अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सहित कुछ राज्यों ने अपनी-अपनी पंचायती राज प्रणाली की समीक्षा की और स्थानीय निकायों को ज्यादा अधिकार देने के लिए कई नई पहलें कीं, जिसके कारण इन पहलों को 'दूसरी पीढ़ी' ("सेकंड जेनरेशन") की पंचायतें कहा गया, जो बाद के सुधारों के लिए एक मुख्य प्रेरणा और उदाहरण बनीं।
ठ.	1991	सरकार ने 72वां (पंचायतों) और 73वां (नगरपालिकाओं) संविधान संशोधन विधेयक पेश किए, जो काफी हद तक आठवीं लोकसभा में पेश किए गए विधेयकों पर आधारित थे, लेकिन इसमें तत्कालीन सत्ताधारी सरकार द्वारा किए गए कुछ बदलावों को भी शामिल किया गया था। इन दोनों विधेयकों को संसद की एक संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजा गया, जिसने कुछ और बदलाव किए, लेकिन काफी हद तक 1989 की पिछली पहल के अनुरूप थे। लोकसभा और राज्यसभा ने क्रमशः 22 और 23 दिसंबर, 1992 को दोनों विधेयक पारित कर दिए। जब तक संसद ने दोनों विधेयक पारित किए, उनका क्रम बदलकर क्रमशः 73वां और 74वां हो गया। संविधान के अनुसार आधे से ज्यादा राज्य विधानसभाओं द्वारा उनके अनुसमर्थन के बाद, भारत के राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दी, और ये अधिनियम संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के रूप में 24 अप्रैल, 1993 को और संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के रूप में 1 जून, 1993 को लागू हुए, जिससे संविधान में दो नए भाग जोड़े गए, अर्थात् भाग IX जिसका शीर्षक 'पंचायतें' और भाग IXक जिसका शीर्षक 'नगरपालिकाएं' है।

3.4 पंचायत से संबंधित संवैधानिक प्रावधान – संविधान के भाग IX में 'पंचायतों' से संबंधित मुख्य प्रावधान संक्षेप में नीचे दिए गए हैं:

अनुच्छेद	निम्नलिखित से भी संबंधित
243 क	ग्राम सभा
243 ख	पंचायतों का गठन
243 ग	पंचायतों की संरचना
243 घ	महिलाओं / एससी / एसटी / ओबीसी के लिए सीटों का आरक्षण
243 ङ–च	पंचायत चुनाव
243 छ	पंचायतों को शक्तियों और जिम्मेदारियों का हस्तांतरण
243 ज	पंचायतों को निर्दिष्ट कर, शुल्क, टोल और फीस लगा सकती हैं, एकत्र कर सकती हैं, वसूल कर सकती हैं और उनका इस्तेमाल कर सकती हैं, और यह भी प्रावधान है कि ये ग्रांट-इन-एड राज्य के संचित निधि से पंचायतों को दिए जाएंगे।
243 झ	राज्य वित्त आयोग का गठन।
243 ञ	यह राज्यों को पंचायतों द्वारा खातों के रखरखाव और उनके ऑडिट के संबंध में कानून द्वारा प्रावधान करने की शक्ति देता है।
243 ट	राज्य चुनाव आयोग का गठन।
243 ठ	कुछ नियमों और शर्तों के तहत, भाग IX के प्रावधानों को केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित किया गया है।
243 ड	संसद के पास पांचवीं अनुसूची में सूचीबद्ध जनजातीय क्षेत्रों में भाग IX के प्रावधानों का विस्तार करने की शक्ति है। इन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद ने पंचायती राज (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 पारित किया, जिसे इसके संक्षिप्त नाम पेसा से बेहतर जाना जाता है।
	यह छठी अनुसूची के तहत आने वाले कुछ राज्यों और कुछ क्षेत्रों को, साथ ही अलग विशेष व्यवस्थाओं के तहत आने वाले कुछ अन्य राज्यों और क्षेत्रों को संविधान के भाग IX के दायरे से छूट देता है। इसके अलावा, यह अनुच्छेद अरुणाचल प्रदेश को अनुसूचित जातियों के लिए आवश्यक आरक्षण करने की छूट देता है।
243 ढ	भाग IX के लागू होने की तारीख से सभी पंचायतों से जुड़े कानूनों को संविधान के भाग IX के अनुरूप बनाने के लिए एक वर्ष की रियायत-अवधि दी गई है।
243 यघ	जिला योजना समितियों (DPCs) का गठन।
280	केंद्रीय वित्त आयोग के गठन और कर्तव्यों के संबंध में, एक नया खंड जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय वित्त आयोग राष्ट्रपति को उन उपायों के बारे में सिफारिशें करेगा जो राज्य के वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए राज्य के समेकित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं।

वार्षिक बजट और योजना

अध्याय 4

वार्षिक बजट और योजना

4.1 वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान मंत्रालय ने दो मुख्य योजनाएं लागू की, जिनके नाम हैं:

(i) संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना

(ii) स्वामित्व की केंद्रीय क्षेत्र योजना।

4.2 वर्ष 2025-26 (BE) के दौरान पंचायती राज मंत्रालय का कुल व्यय 1185.00 करोड़ रुपये है (दोनों योजनाएं और सचिवालय सेवाएं)। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में दिनांक 31.12.2025 तक 508.95 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग किया जा चुका है।

4.3. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)

(i) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA): दिनांक 13.04.2022 को संशोधित आरजीएसए योजना को 01.04.2022 से 31.03.2026 तक (XV वित्त आयोग की अवधि के साथ) लागू करने की मंजूरी दी गई है, जिसकी कुल लागत 5911 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 3700 करोड़ रुपये और राज्य सरकार का हिस्सा 2211 करोड़ रुपये है। यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैली हुई है, जिसमें गैर-भाग IX क्षेत्रों में ग्रामीण स्थानीय सरकार की संस्थाएं भी शामिल हैं, जहां पंचायतें मौजूद नहीं हैं। योजना के केंद्रीय घटकों को भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित किया जाता है। हालांकि, राज्य घटक के लिए वित्तपोषण पैटर्न केंद्र और राज्यों के बीच क्रमशः 60:40 के अनुपात में है, पूर्वोत्तर पर्वतीय राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर, जहां केंद्र और राज्य का हिस्सा 90:10 है। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, केंद्र का हिस्सा 100 प्रतिशत है। संशोधित आरजीएसए योजना का फोकस पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्व-शासन और आर्थिक विकास के सक्रिय केंद्रों के रूप में फिर से कल्पना करने पर होगा, जिसमें जमीनी स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसमें सभी स्तरों पर सरकार के समग्र दृष्टिकोण के साथ केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य लाइन विभागों के ठोस और सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से विषयगत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

(ii) (i) ई-पंचायत पर मिशन मोड परियोजना (ii) पंचायतों को प्रोत्साहन (iii) कार्यात्मक अनुसंधान और प्रचार तथा (iv) अंतरराष्ट्रीय सहयोग आरजीएसए की नई योजना के मुख्य घटक हैं।

4.4. स्वामित्व

(i) स्वामित्व (गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा मानचित्रण) 24 अप्रैल, 2020 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा

शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

(ii) यह योजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई) और प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में एनआईसीएसआई के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक योजना की कुल लागत 566.23 करोड़ रुपये है।

4.5. वित्त मंत्रालय ने अपने दिनांक 23.03.2021 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत धनराशि जारी करने और उसके उपयोग की निगरानी की संशोधित प्रक्रिया जारी की। वित्त विभाग के दिनांक 23.03.2021 के कार्यालय ज्ञापन का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, सभी हितधारकों के साथ कई साप्ताहिक बैठकें आयोजित की गईं। परिणामस्वरूप, अब सभी राज्य वित्त विभाग के 23.03.2021 के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए निर्देशों का पूरी तरह से पालन कर लिया है और पीएफएमएस-एसएनए मॉड्यूल पर भी शामिल हो गए हैं। पंचायती राज मंत्रालय की एकमात्र मौजूदा केन्द्रीय क्षेत्र योजना यानी स्वामित्व अब पीएफएमएस के सीएनए प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से शामिल हो गई है। सभी कार्यान्वयन एजेंसियां अब केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के तहत निधि जारी करने की संशोधित प्रक्रिया से संबंधित वित्त विभाग के दिनांक 09.03.2022 के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए निर्देशों का पूरी तरह से पालन कर लिया है।

4.6. सभी हितधारकों को सामान खरीदने और सेवाएं लेने के लिए जेम (GeM) पोर्टल का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने के बारे में जागरूक करने के लिए कई कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इसके परिणामस्वरूप, पंचायती राज मंत्रालय में 95% से ज्यादा सामान और सेवाएं GeM के जरिए खरीदे गए हैं।

4.7. पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 और 2025-26 (31.12.2025 तक) के लिए योजना-वार निधि के आवंटन और प्रयोग का विवरण नीचे तालिका 4.1 में दिया गया है।

तालिका 4.1

Statement II

पंचायती राज मंत्रालय

वर्ष 2022-23,2023-24, 2024-25 के लिए बजट अनुमान/ संशोधित अनुमान/व्यय और बजट अनुमान 2025-26 (31.12.2025 तक)

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	2022-23			2023-24			2024-25			2025-26		
		BE	RE	Actual	BE	RE	Actual	BE	RE	Actual	BE	Actual	Actual (upto 31.12.2025)
1.	कार्य अनुसंधान एवं प्रचार*	3.00	3.00	12.98	8.00	8.68	8.64	10.00	10.00	9.64	10.00	10.50	7.81
2.	मीडिया एवं प्रचार	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	0.20	0.20	0.15	0.20	0.20	0.17	0.20	0.20	0.17	0.20	0.20	0.19

4.	स्वामित्व	150.00	105.00	103.29	76.00	54.00	53.01	70.00	70.00	42.68	70.00	70.00	29.76
5.	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	593.00	682.98	682.98	819.00	814.86	814.86	916.50	674.00	694.16	986.47	772.30	409.52
6.	पंचायतों का प्रोत्साहन	50.00	50.82	50.56	47.80	47.12	47.11	46.80	46.80	46.75	47.00	47.00	7.32
7.	ई-पंचायत पर मिशन मोड परियोजना	20.00	15.00	15.00	20.00	16.28	16.03	90.17	34.00	13.47	20.00	20.00	20.00
	कुल योजना	826.20	867.00	864.96	971.00	941.14	939.82	1133.67	835.00	806.87	1133.67	920.00	474.60
8.	सचिवालय सेवाएं (गैर-योजना)	42.37	38.77	36.22	45.42	42.86	40.81	49.97	45.00	43.52	51.33	45.96	34.35
	कुल (योजना एवं योजनेत्तर)	868.57	905.77	901.18	1016.42	984.00	980.63	1183.64	880.00	850.39	1185.00	965.96	508.95

पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता निर्माण

https://rgsa.gov.in/index.htm

अध्याय 5

पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता निर्माण

5.1 पृष्ठभूमि:

5.1.1 पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (CB&T) पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) की मुख्य गतिविधियों में से एक रही है। मंत्रालय अंतर-मंत्रालयी और बहु-क्षेत्रीय समन्वय के लिए सहयोगात्मक सहायता सहित पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम संबंधी, तकनीकी और संस्थागत सहायता प्रदान कर रहा है। क्षमता निर्माण के दायरे में, पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार देने और स्थानीय शासन के लिए समाधान खोजने के साथ-साथ ग्रामीण भारत को मजबूत करने के लिए ज्ञान सहायता भी प्रदान की जा रही है।

5.1.2 सी.बी.एंड.टी. के लिए पहले भी मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं जैसे पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.), राजीव गांधी पंचायती सशक्तीकरण अभियान (आर.जी.पी.एस.ए.), क्षमता निर्माण - पंचायत सशक्तीकरण अभियान (सी.बी. -पी.एस.ए.) आदि के तहत सहायता प्रदान की गई थी।

5.1.3 बजट घोषणा 2016-17: माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2016-17 में घोषणा की कि "*पंचायती राज संस्थाओं को सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए शासन क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है। इसलिए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान... नामक एक नई संशोधित योजना शुरू करने का प्रस्ताव है।*"

5.2 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) - 2018-19 से 2021-22:

5.2.1 2016-17 के बजट भाषण में घोषणा के बाद, नीति आयोग, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के परामर्श के आधार पर केंद्र प्रायोजित योजना आरजीएसए तैयार की गई थी। इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 21.04.2018 को वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया था।

5.2.2 आरजीएसए का प्राथमिक उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए पीआरआई को मजबूत करना था, जिसमें मिशन अंत्योदय के साथ अभिसरण और 117 आकांक्षी जिलों में पीआरआई को मजबूत करने पर जोर दिया गया था।

5.2.3 आरजीएसए के तहत स्वीकृत क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण और अन्य स्वीकार्य गतिविधियों के लिए वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक कार्यान्वयन अवधि के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और कार्यान्वयन एजेंसियों को 2149.10 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई।

5.3 संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) - 2022-23 से 2025-26:

5.3.1 पंचायती राज संस्थाओं (PRI) का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (CB&T) एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि हर पांच साल के बाद बाद बड़ी संख्या में निर्वाचित सदस्य पंचायती राज संस्थाओं में शामिल होते हैं। इसलिए, आरजीएसए के लिए किए गए मूल्यांकन अध्ययन की सिफारिशों के आधार पर, आरजीएसए की केंद्र प्रायोजित योजना को नया रूप दिया गया, जिसे आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 13.04.2022 को 01.04.2022 से 31.03.2026 तक (XV वित्त आयोग की अवधि के साथ) लागू करने की मंजूरी दी, जिसकी कुल लागत 5911 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 3700 करोड़ रुपये और राज्य सरकार का हिस्सा 2211 करोड़ रुपये है।

5.3.2 संशोधित आरजीएसए योजना का फोकस पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्वशासन और आर्थिक विकास के सक्रिय केंद्रों के रूप में पुनः कल्पना करना है, जिसमें जमीनी स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के स्थानीयकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें सभी स्तरों पर 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण के साथ केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य लाइन विभागों के ठोस और सहयोगी प्रयासों के माध्यम से विषयगत दृष्टिकोण अपनाया गया है।

5.3.3 कवरेज: आरजीएसए की पिछली योजना की तरह, संशोधित आरजीएसए में भी देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को शामिल किया गया है, जिसमें गैर-भाग IX क्षेत्रों में स्थित ग्रामीण स्थानीय सरकार की संस्थाएं भी शामिल हैं।

5.3.4 वित्तपोषण पैटर्न: आरजीएसए की पिछली योजना की तरह, इस योजना में केंद्र और राज्य दोनों घटक शामिल हैं। योजना के केंद्रीय घटकों को भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित किया जाता है। हालांकि, राज्य घटकों के लिए वित्तपोषण पैटर्न क्रमशः केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में है, एनई, पर्वतीय राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र और राज्य का हिस्सा 90:10 है। अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, केंद्र का हिस्सा 100% है। संशोधित आरजीएसए के घटक निम्नानुसार हैं:

संशोधित आरजीएसए के तहत घटक			
राज्य घटक		केंद्रीय घटक	
क	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण	क	तकनीकी सहायता के लिए राष्ट्रीय योजना
ख	संस्थागत अवसंरचना और मानव संसाधन	ख	ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना
ग	सैटकॉम/आईपी आधारित वर्चुअल क्लास रूम/इसी तरह की प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविध।	ग	पंचायतों को प्रोत्साहन देना
घ	पंचायत अवसंरचना के लिए सहायता (जीपी भवन का निर्माण और सीएससी का सह-स्थापन)	घ	कार्यात्मक अनुसंधान और प्रचार
ङ	कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयाँ (पीएमयू)	ङ	अंतरराष्ट्रीय सहयोग
च	पंचायतों का ई-सक्षमीकरण	च	NIRD&PR और अन्य उत्कृष्टता संस्थान (एजेंसी सेवाएं)
छ	पेसा क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए विशेष सहायता		
ज	नवाचार के लिए सहायता (नवाचार गतिविधियाँ)		
झ	आर्थिक विकास और आय में वृद्धि के लिए परियोजना आधारित सहायता।		
ञ	आईईसी गतिविधियाँ		
ट	कार्यक्रम प्रबंधन/प्रशासनिक लागत		

5.4. संशोधित आरजीएसए के मुख्य उद्देश्य:

(i) सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की शासन क्षमताओं का विकास करना;

(ii) ग्राम पंचायतों को सरकार के तीसरे स्तर के रूप में प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम बनाने के लिए नेतृत्वकारी भूमिकाओं हेतु पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता को बढ़ाने पर विशेष देना;

(iii) उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग और राष्ट्रीय महत्व की समस्याओं के समाधान के लिए अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए समावेशी स्थानीय शासन के लिए पंचायतों की क्षमताओं को बढ़ाना;

(iv) पंचायतों की स्वयं के राजस्व स्रोत में वृद्धि करने की क्षमताओं को बढ़ाना;

(v) संविधान और पेसा अधिनियम, 1996 के उद्देश्य के अनुसार पंचायतों को शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण को बढ़ावा देना;

(vi) विभिन्न स्तरों पर पीआरआई की क्षमता वृद्धि के लिए संस्थाओं को मजबूत करना; बुनियादी सुविधाओं, मानव संसाधन और परिणाम-आधारित प्रशिक्षण में गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध प्रशिक्षण बुनियादी सुविधाओं के इष्टतम उपयोग हेतु अन्य विभागों और हितधारकों के साथ सहयोग करना;

(vii) पीआरआई के क्षमता निर्माण और सहायता के लिए शैक्षणिक संस्थान/उत्कृष्टता संस्थान के साथ सहयोग करना;

(viii) पंचायत प्रशासनिक दक्षता में सुशासन और पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ बेहतर सेवा प्रदायगी को संभव बनाने के लिए ई-गवर्नेंस और अन्य प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों को बढ़ावा देना;

(ix) एसडीजी की प्राप्ति की दिशा में पंचायती राज संस्थाओं के कार्य-निष्पादन को मान्यता देना और प्रोत्साहित करना;

(x) कई सारे और विविध लक्ष्य समूहों तक पहुंचने के लिए कार्यात्मक अनुसंधान और प्रचार के माध्यम से पंचायतों की क्षमताओं को बढ़ाना और मूल्यांकन तथा सूचित नीतिगत निर्णयों के लिए पीआरआई से संबंधित अनुसंधान अध्ययन करना;

5.5. क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (सीबीएंडटी) तंत्र:

5.5.1 सुशासन के लिए एक मजबूत पंचायती राज प्रणाली महत्वपूर्ण है। इसलिए, पीआरआई, निर्वाचित प्रतिनिधि, पंचायत पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को उनकी सक्रिय भागीदारी और सार्थक योगदान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए सक्षम बनाना अनिवार्य है। इसके लिए प्रशिक्षण की पहुंच और कवरेज का विस्तार करने, पंचायत स्तर पर शासन में सुधार करने के लिए अधिक सहभागिता, प्रौद्योगिकी और प्रदर्शन संचालित और परिणाम उन्मुख बनाने के लिए अधिक ठोस, मजबूत और प्रौद्योगिकी संचालित क्षमता निर्माण प्रक्रियाओं की आवश्यकता है।

5.5.2 क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण गतिविधियाँ मुख्य रूप से एनआईआरडी एंड पीआर, एसआईआरडी एंड पीआर और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसी अन्य संस्थाओं द्वारा निरंतर होने वाली प्रक्रिया (कैस्केडिंग मोड) में की जाती हैं। आरजीएसए के तहत निधियाँ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की जाती हैं और बदले में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए राज्य के समतुल्य हिस्से सहित कार्यान्वयन एजेंसियों (SIRD&PR और ऐसे अन्य संस्थाओं) को फंड जारी करते हैं। क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण का मौजूदा तंत्र इस प्रकार है:

प्रशिक्षण तंत्र पदानुक्रम

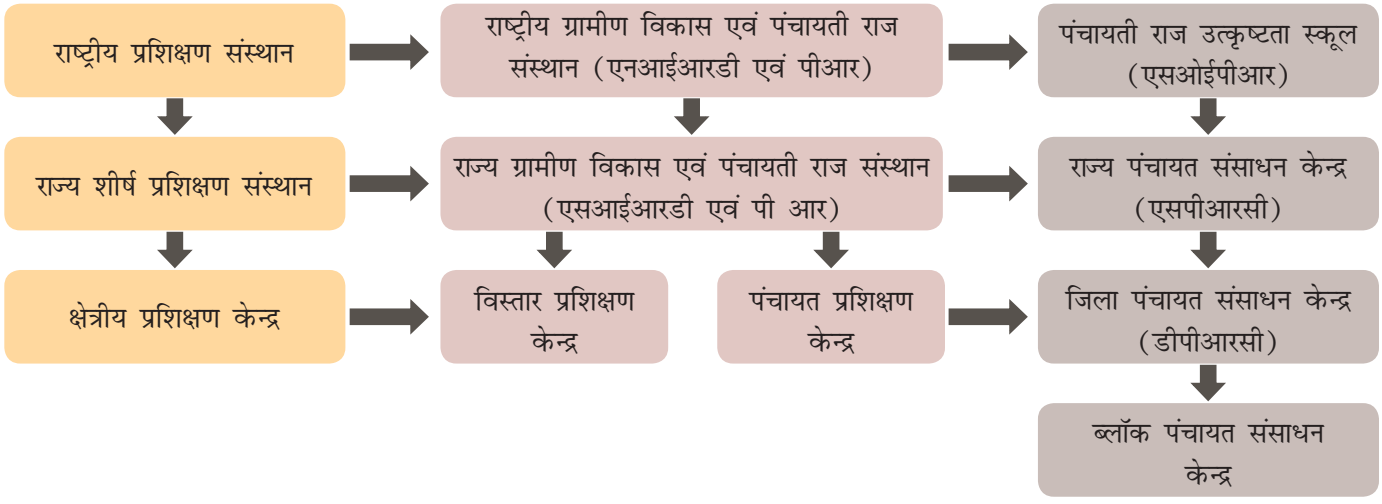

5.6. आरजीएसए के तहत वित्तीय उपलब्धियां:

राज्य के एएपी द्वारा अनुमोदित, आरई स्तर पर आवंटित और जारी की गई निधि की वर्ष-वार स्थिति नीचे **तालिका-5.1** में दी गई है। हालांकि, वर्ष 2022-23 से 2025-26 (31 दिसंबर, 2025 तक) तक आरजीएसए की संशोधित योजना के तहत जारी की गई निधि का वर्ष-वार और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण **अनुलग्नक IV** में दिया गया है।

तालिका-5.1 (राशि करोड़ रुपये में)

क्र.स	वर्ष	आवंटित निधि (आरई चरण में)	जारी की गई निधि	आरई आवंटन के लिए रिलीज का %
1.	2022-23	682.98	682.98	100.00
2.	2023-24	814.86	814.86	100.00
3.	2024- 25	694.17	694.17	100.00
4.	2025-26*	772.30	751.32	97.28

*31 दिसंबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार

संशोधित योजना के तहत वित्तीय प्रगति को दर्शाने वाला ग्राफ

(राशि करोड़ रुपये में)

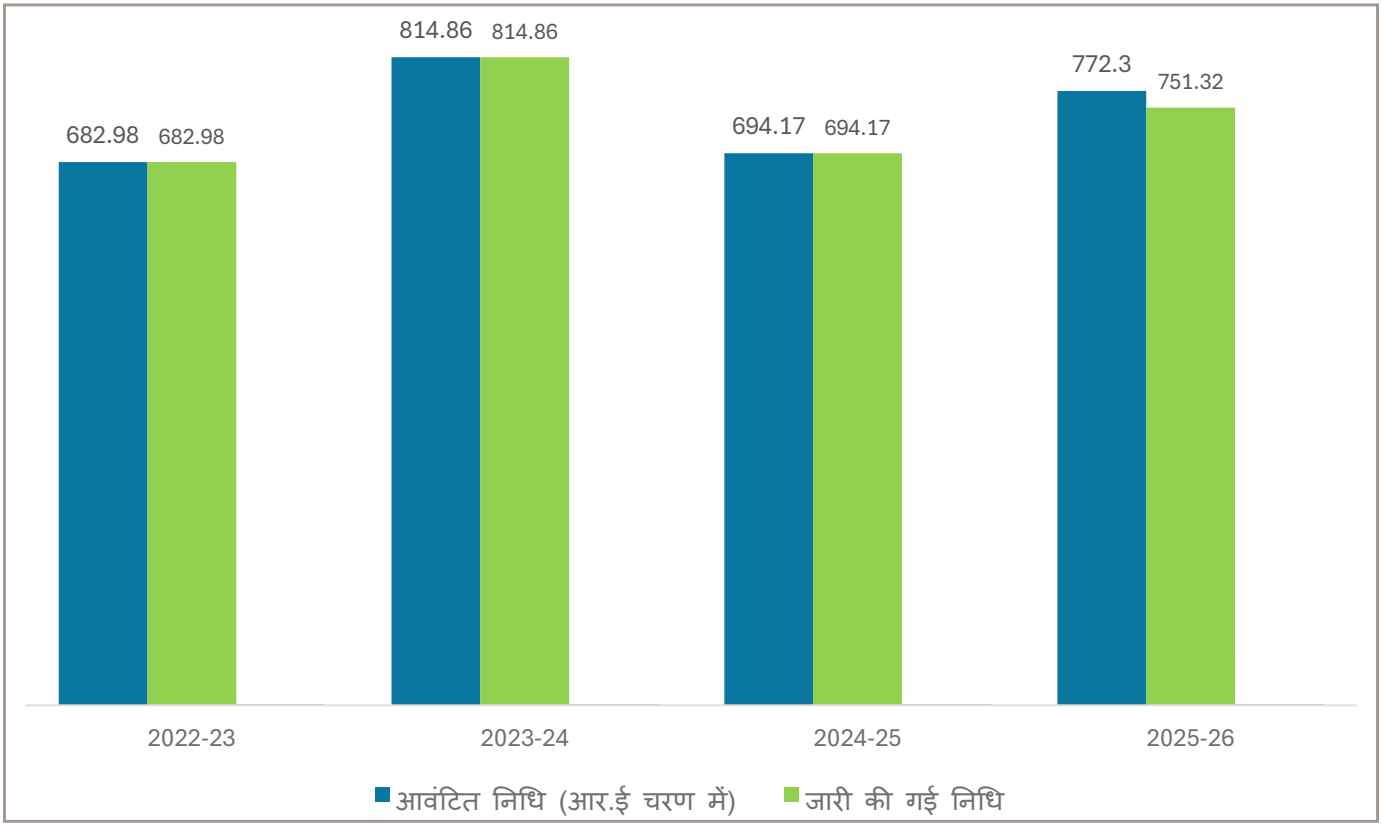

*31 दिसंबर 2025 तक।

5.7. आरजीएसए के तहत भौतिक उपलब्धियां:

योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदान किए गए प्रतिभागियों की संख्या की वर्ष-वार स्थिति नीचे **तालिका-5.2** में दी गई है। हालांकि, वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक प्रशिक्षित प्रतिभागी का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक- V** में दिया गया है।

तालिका-5		
क्र.सं.	**वर्ष**	**प्रशिक्षित किए गए ईआर और अन्य हितधारक**
1.	2018-19	43,04,651
2.	2019-20	33,98,194
3.	2020-21	33,28,472
4.	2021-22	32,10,525
5.	2022-23	41,97,268
6.	2023-24	39,90,944
7.	2024-25	35,54,942
8.	2025-26	26,35,756*

* 31 दिसंबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार

5.8 अन्य पहलें (वर्ष 2025-26)

5.8.1. प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)

वर्ष 2025-26 के दौरान, पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायती राज प्रणाली में प्रशासनिक और नेतृत्व करने की क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रबंधन विकास कार्यक्रम (MDP) प्रशिक्षण की एक श्रृंखला आयोजित की। पांच कार्यक्रम देश की प्रमुख संस्थाओं में आयोजित किए गए, जिसकी शुरुआत 7-11 अप्रैल 2025 को झारखंड के आईआईटी धनबाद और हरियाणा के आईआईएम रोहतक में एक साथ प्रशिक्षण से हुई, जिसमें क्रमश: 47 और 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसके बाद 26-30 मई 2025 को गुजरात के आईआरएमए, आनंद में एक सत्र हुआ जिसमें 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया, और दूसरा सत्र 4-8 अगस्त 2025 को जम्मू-कश्मीर के आईआईएम जम्मू में हुआ, जिसमें 24 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस शृंखला का नवीनतम कार्यक्रम 24-28 नवंबर 2025 को बिहार के आईआईएम बोधगया में हुआ जिसमें 34 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कुल मिलाकर, इन प्रशिक्षणों में 160 प्रतिभागियों ने भाग लिया और पंचायती राज संरचना में प्रबंधकीय क्षमताओं और संस्थागत प्रभावशीलता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

7–11 अप्रैल, 2025 के दौरान आईआईएम रोहतक में आयोजित एमडीपी कार्यक्रम

2–6 सितंबर, 2024 के दौरान आईआईएम बोधगया में आयोजित एमडीपी कार्यक्रम

5.8.2. आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत (एमडब्ल्यूएफजीपी)

4–5 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान 'सशक्त पंचायत नेत्री अभियान' की शुरुआत की गई, जिसका मकसद ग्रामीण शासन के अलग-अलग पहलुओं पर ज्ञान और कौशल प्रदान करके महिला पंचायत नेत्रियों को सशक्त बनाना है। इस अभियान में महिला नेतृत्व वाले विकास के लिए दूसरी पहलों के साथ-साथ आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत (MWFGP) पहल भी शुरू की गई।

एमडब्ल्यूएफजीपी पहल का उद्देश्य एक समावेशी और लिंग-संवेदनशील स्थानीय शासन प्रणाली बनाना है जो जमीनी स्तर पर महिलाओं की भागीदारी, सुरक्षा, अधिकारों और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करे। देश की सभी ग्राम पंचायतों को सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण (LSDGs) के सभी नौ विषयों में शामिल करने के वृहत उद्देश्य के तहत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को विषय 9: महिला अनुकूल पंचायत के साथ शुरुआत करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसके लिए हर जिले में एक ग्राम पंचायत की पहचान करके उसे

एमडब्ल्यूएफ-जीपी में परिवर्तित किया जाएगा। ये ग्राम पंचायतें बाद में दूसरी ग्राम पंचायतों में अपने द्वारा किए गए कार्यों को दोहराने के लिए शिक्षण केंद्र के रूप में काम करेंगी। अब तक, इस पहल के तहत राष्ट्रीय स्तर पर 330 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है।

"मॉडल महिला अनुकूल ग्राम पंचायत" विषय पर झारखंड के सरपंचों एवं पंचायत सचिवों का प्रशिक्षण, दिनांक 29 नवम्बर, 2025

जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश की एक प्रतिनिधि मॉडल महिला अनुकूल ग्राम पंचायत।

5.8.3. निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (WERs) का क्षमता निर्माण

मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (WERs) के क्षमता निर्माण में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करने के लिए एक व्यापक विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल सशक्त पंचायत - नेत्री अभियान (सशक्त महिला पंचायत-नेत्री) अभियान शुरू किया है, ताकि सुशासन की प्रभावी प्रदायगी के लिए उनके नेतृत्व, संचार और वार्तालाप कौशल को मजबूत किया जा सके। मॉड्यूल को विभिन्न खेलों के माध्यम से परस्पर प्रभावी और आकर्षक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रतिभागी न केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करें बल्कि

विशेषीकृत प्रशिक्षण मॉड्यूल "चौंपियनिंग चेंज" पर मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, ओडिशा में।

आत्मविश्वास, क्षमता और प्रभावशीलता के साथ व्यावहारिक कौशल भी विकसित करें। राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक के लिए 'स्थानीय शासन में महिला नेत्रियों को सशक्त बनाने में बदलाव का नेतृत्व' विषय पर नॉलेज पार्टनर: ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया (TRI) के सहयोग से टीओटी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस पहल के तहत, 2025-26 के दौरान, पंचायती राज मंत्रालय ने निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (WERs) के लिए आठ क्षमता-निर्माण बैचों की एक श्रृंखला सफलतापूर्वक आयोजित की। कार्यक्रम आईआईपीए, नई दिल्ली में 8-11 अप्रैल, 21-25 अप्रैल और 28 अप्रैल-2 मई 2025 को लगातार तीन बैचों के साथ शुरू हुआ, इसके बाद लखनऊ में 19-23 मई, एसआईआरडी गुवाहाटी में 2-6 जून और एसआईआरडी तमिलनाडु में 16-20 जून 2025 को प्रशिक्षण हुआ। इसके अलावा, आईआईपीए, नई दिल्ली में 14-18 जुलाई और 28 जुलाई-1 अगस्त 2025 को दो और बैच आयोजित किए गए। इन प्रशिक्षणों ने सामूहिक रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों को बेहतर नेतृत्व, शासन और सहभागी योजना क्षमताओं से युक्त किया। इन आठ बैचों से कुल 265 प्रतिभागियों को लाभ हुआ, जो जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करने और पंचायती राज संस्थाओं के भीतर समावेशी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

विशेषीकृत प्रशिक्षण मॉड्यूल "चौंपियनिंग चेंज" पर मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, तमिलनाडु में।

5.8.4. स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) - राष्ट्रीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण (टीओटी)

'विकसित भारत' के विजन के तहत, पंचायती राज मंत्रालय इस वित्तीय वर्ष में स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) को बढ़ाकर और चयनित प्रतिनिधियों और पंचायत अधिकारियों के लिए गहन प्रशिक्षण को प्राथमिकता देकर, साथ ही राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों को ओएसआर सृजन के प्रति जागरूक करके 'सक्षम' पंचायतों को बढ़ावा देने के प्रयास कर रहा है। इस संबंध में, ग्राम पंचायत द्वारा ओएसआर सृजित करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद द्वारा एक मॉड्यूल तैयार किया गया है।

ओएसआर प्रशिक्षण में मॉड्यूल का एक पूरा सेट है, जिसमें शामिल हैं: क) ओएसआर और उसके विधिक फ्रेमवर्क को समझना: संवैधानिक और राज्य-विशिष्ट प्रावधान, कर और गैर-कर स्रोत, व्यावहारिक चुनौतियाँ, ख) ओएसआर को बढ़ाने के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण: राजस्व सृजन का चक्र, सामाजिक ऑडिट, नवीन पद्धतियाँ, ग) राजस्व संग्रह के लिए व्यवहार विज्ञान: नजिंग तकनीकें, अनुपालन मनोविज्ञान, स्थानीय जुड़ाव, घ) एलएसडीजी-लिंक्ड डेवलपमेंट के लिए ओएसआर का प्रयोग: स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों की आयोजना और प्रभावपूर्ण उपयोग, ङ) अभिनव वित्तपोषण और परियोजना प्रबंधन: गैर पारंपरिक वित्तपोषण मॉडल, राजस्व पूर्वानुमान, एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण, और जीपीडीपी सरेखण और नवाचारी वित्तपोषण और परियोजना प्रबंधन: गैर-पारंपरिक वित्तपोषण मॉडल, राजस्व पूर्वानुमान, एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण, और जीपीडीपी सरेखण और च) व्यावहारिक उपकरण और मामला अध्ययन: प्रदर्शनों, वास्तविक जीवन के उदाहरण, और समुदाय-संचालित वित्तीय मॉडल।

इसके अलावा, मंत्रालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ओएसआर सृजन संबंधी चयनित प्रतिनिधियों और पंचायत अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का प्रावधान किया है। केंद्रीय स्तर पर, ओएसआर मॉड्यूल पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है ताकि मास्टर प्रशिक्षकों का एक पूल बनाया जा सके, जो आगे अपने-अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ओएसआर प्रशिक्षण देंगे।

अब तक, जून-अगस्त 2025 के दौरान उपरोक्त ओएसआर मॉड्यूल पर तीन प्रशिक्षक प्रशिक्षण (टीओटी) आयोजित की गई हैं, जिसमें 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 170 प्रतिभागियों (मास्टर प्रशिक्षक) को ओएसआर मॉड्यूल पर प्रशिक्षित किया गया है। राज्य स्तर पर, ओएसआर प्रशिक्षण शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य चालू वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 की वार्षिक कार्य योजना में परिकल्पित प्रशिक्षण की लक्षित संख्या को प्राप्त करना है।

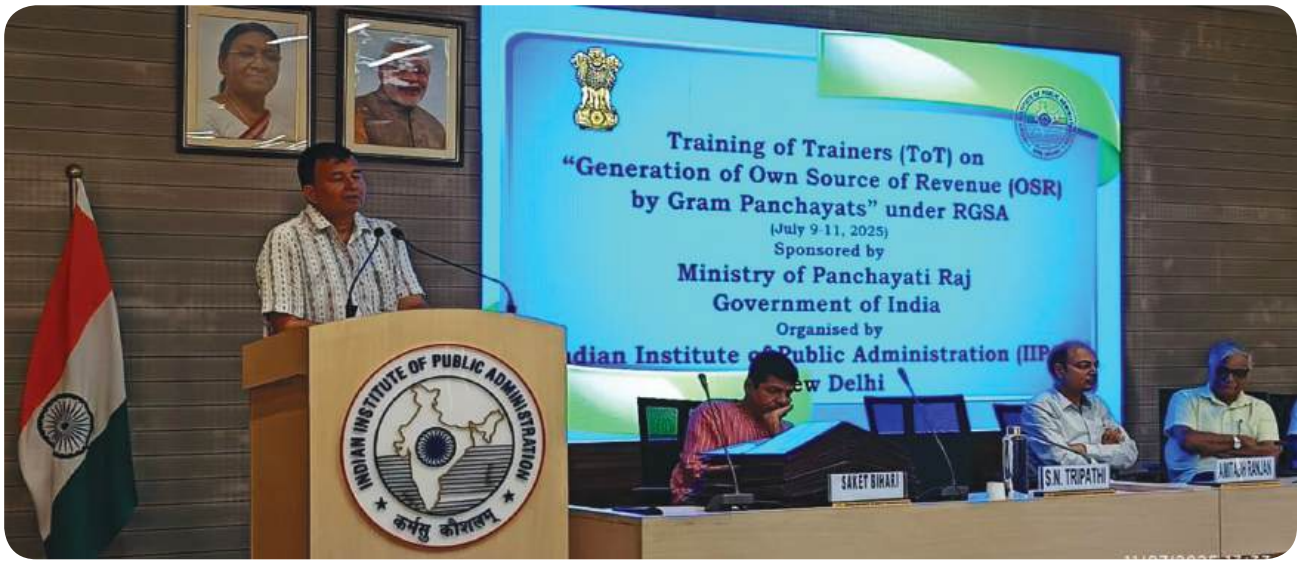

"ग्राम पंचायतों द्वारा स्वस्रोत राजस्व सृजन" विषय पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली में दिनांक 9 जुलाई, 2025 को आयोजित।

"ग्राम पंचायतों द्वारा स्वस्रोत राजस्व सृजन" विषय पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, Indian Institute of Public Administration, नई दिल्ली में दिनांक 9 जुलाई, 2025 को आयोजित।

आदर्श युवा ग्राम सभा
(आ.यु.ग्रा.स) विशेष पहल

https://panchayatnirnay.gov.in/model-youth/homepage

अध्याय 6

आदर्श युवा ग्राम सभा (आ.यु.ग्रा.स) - विशेष पहल

6.1. परिचय

संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत अनिवार्य ग्राम सभा, ग्रामीण भारत में सहभागी लोकतंत्र की नींव है। हालांकि, सीमित जागरूकता और खासकर युवा आबादी के बीच लगातार कम भागीदारी ने इसे एक समावेशी निर्णय लेने वाले मंच के रूप में इसकी प्रभावशीलता को सीमित कर दिया है। इस चुनौती से निपटने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSEL) और जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) के सहयोग से मॉडल युवा ग्राम सभा (MYGS) पहल की परिकल्पना की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के विजन के अनुरूप, यह पहल स्कूल-आधारित ग्राम सभा की कार्यवाही के सिमुलेशन के माध्यम से अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करके छात्रों को जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से परिचित कराने का प्रयास करती है। मॉडल युवा ग्राम सभा (MYGS) का लक्ष्य सूचित, जिम्मेदार और सक्रिय युवा नागरिकों को तैयार करना और सहभागी शासन की स्थायी संस्कृति को मजबूत करना है।

6.2. उद्देश्य

(i) पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और जमीनी स्तर पर शासन के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

(ii) लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

(iii) नेतृत्व, संचार और विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना।

(iv) नागरिक जिम्मेदारी, समावेशिता और जवाबदेही का निर्माण करना।

(v) स्थानीय मुद्दों की समझ और सोच-समझकर फैसले लेने को बढ़ावा देना।

6.3 विजन और अपेक्षित परिणामे

मॉडल युवा ग्राम सभा (MYGS) का विजन जानकार, सक्रिय और जिम्मेदार युवा नागरिक तैयार करना है। आशा है कि इसके नतीजों में नागरिक साक्षरता में सुधार, लोकतांत्रिक सहभागिता, मिलकर समस्या सुलझाना और शासन प्रक्रियाओं की बेहतर समझ शामिल होगी। यह पहल छात्रों के बीच पारदर्शिता, समावेशिता और संवैधानिक लोकतंत्र के मूल्यों को बढ़ावा देती है।

6.4 मुख्य विशेषताएं

(i) लिंग, जाति, जनजातियों और वंचित समूहों को शामिल करना: मॉडल युवा ग्राम सभा (MYGS) सभी सामाजिक समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करता है, जिसमें बालिकाएं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र और जनजातीय समुदाय शामिल हैं। यह समानता को बढ़ावा देता है और प्रत्येक छात्र को सार्थक रूप से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है।

(ii) संरचित एजेंडा और दस्तावेजीकरण सहित पारदर्शी प्रक्रियाएँ: कार्यवाही के व्यवस्थित संचालन के लिए एक परिभाषित कार्य-सूची तैयार किया जाता है और पहले से साझा किया जाता है। पारदर्शिता और एकरूपता बनाए रखने के लिए सभी चर्चाओं और प्रस्तावों का दस्तावेजीकरण किया जाता है।

(iii) खुली चर्चा और मतदान के माध्यम से सहभागी निर्णय लेना: छात्र स्वतंत्र रूप से अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और समुदाय को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श करते हैं। निर्णय आम सहमति या मतदान के माध्यम से लिए जाते हैं, जिससे लोकतांत्रिक पद्धतियों को बढ़ावा मिलता है।

(iv) शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बुनियादी सुविधाओं और पर्यावरण पर विषयगत विचार-विमर्श: क्षेत्र-वार चर्चाएँ छात्रों को अपने समुदायों में विकासात्मक मुद्दों का विश्लेषण करने में मदद करती हैं। ये विचार-विमर्श व्यावहारिक समस्या-समाधान और सूचित निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

(v) पंचायत निर्णय पोर्टल के माध्यम से फोटो/वीडियो दस्तावेजीकरण और रिपोर्टिंग: आधिकारिक रिपोर्टिंग के लिए कार्यवाही को तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से प्रलेखित किया जाता है। इन्हें एक जैसा रिकॉर्ड बनाए रखने और मॉनिटरिंग के लिए पंचायत निर्णय पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।

(vi) पोस्टर, घोषणाओं और साथियों के नेतृत्व वाली गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता अभियान: सभा से पहले की जागरूकता गतिविधियाँ व्यापक छात्र भागीदारी जुटाने में मदद करती हैं। ये अभियान रुचि जगाते हैं और मॉडल युवा ग्राम सभा (MYGS) की प्रक्रिया की समझ को बढ़ाते हैं।

6.5 कार्यान्वयन रणनीति

i. तैयारी की गतिविधियां: मॉडल युवा ग्राम सभा के एक समान और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारी गतिविधियां की गईं। राष्ट्रीय स्तर के मास्टर प्रशिक्षकों (एनएलएमटी) और स्कूल शिक्षकों को एमवाईजीएस विशेषज्ञ, मॉड्यूल, मूल्यांकन मापदंडों और पंचायत निर्णय पोर्टल के उपयोग पर प्रशिक्षित किया गया। इसके बाद, छात्रों को प्रबोधन में भूमिका आवंटन, प्रासंगिक समझ के लिए फील्ड इमर्शन एक्सरसाइज और एमवाईजीएस सत्रों के सुचारू संचालन की सुविधा के लिए सामग्री और आईईसी सामग्री तैयार करना शामिल था।

ii. आदर्श युवा ग्राम सभा (MYGS) का आयोजन: मॉडल यूथ ग्राम सभा का आयोजन एक संरचित सिमुलेशन के रूप में किया गया, जिसमें वास्तविक ग्राम सभा के मुख्य चरणों को दोहराया गया। कार्यवाही में एक शुरुआती सत्र, पिछले प्रस्तावों की समीक्षा, क्षेत्रीय प्रस्तुतियाँ, मॉक बजट पर चर्चाओं, समुदाय-उन्मुख प्रस्तावों पर विचार, खुले मंच पर बातचीत और प्रस्तावों को औपचारिक रूप से अपनाना शामिल था, जिससे छात्रों को जमीनी स्तर पर शासन की व्यापक अनुभवात्मक समझ प्राप्त हुई।

iii. डिजिटल एकीकरण: डिजिटल एकीकरण इस पहल का एक प्रमुख घटक बना, पंचायत निर्णय पोर्टल का उपयोग मानकीकृत प्रारूप में मॉडल युवा ग्राम सभा एजेंडा, फोटोग्राफ, वीडियो, संकल्प और संबंधित दस्तावेज अपलोड करने के लिए किया जा रहा है। पोर्टल ने सभी प्रतिभागी स्कूलों में एकरूपता, पारदर्शिता और सुव्यवस्थित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करते हुए डिजिटल रूप से सृजित सहभागिता प्रमाण पत्र जारी करने की भी सुविधा प्रदान की।

6.6. शुभारंभ और कवरेज:

आदर्श युवा ग्राम सभा (MYGS) पहल को औपचारिक रूप से 30 अक्टूबर 2025 को 800 से ज्यादा प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ लॉन्च

पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा आदर्श युवा ग्राम सभा की प्रस्तुति।

किया गया, जिससे पूरे देश में इसे लागू करने की शुरुआत हुई। इस पहल में 620 जवाहर नवोदय विद्यालय (JNVs) और 200 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRSs) शामिल हैं। इसके अलावा, महाराष्ट्र के 172 जिला परिषद स्कूल और कर्नाटक के 314 सरकारी स्कूल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जिससे इसकी पहुँच और प्रभाव काफी बढ़ गया है।

6.7 वर्ष के दौरान की गई मुख्य गतिविधियां,

आदर्श युवा ग्राम सभा (MYGS) पहल के संचालन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। पंचायती राज मंत्रालय ने छात्रों के बीच नागरिक शिक्षा को मजबूत करने और जमीनी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में उनकी रचनात्मक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए वैचारिक फ्रेमवर्क, विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल और कार्यान्वयन संबंधी दिशानिर्देश तैयार किया है।

एक संरचित प्रशिक्षण कैस्केड शुरू किया गया, जिसकी शुरुआत राष्ट्रीय स्तर के मास्टर प्रशिक्षकों (NLMTs) के क्षमता निर्माण से हुई, जिन्होंने बाद में जेएनवी और ईएमआरएस के शिक्षकों को पीआरआई प्रोसेस, सिमुलेशन पद्धति, और डिजिटल रिपोर्टिंग पर प्रशिक्षण दिया। इन प्रशिक्षित शिक्षकों ने, बदले में, छात्रों को आदर्श युवा ग्राम सभा (MYGS) के आयोजन के बारे में बताया और उन्हें प्रशिक्षण दिया, जिससे वे भूमिकाओं, प्रक्रियाओं और कार्यसूची-आधारित चर्चा से परिचित हो सकें।

इस पहल को कई हितधारकों की सहभागिता से औपचारिक रूप से शुरू किया गया, जिससे स्कूल-स्तर की आदर्श युवा ग्राम सभा (MYGS) गतिविधियां शुरू हुई। इसमें शामिल संस्थाओं में छात्र अभिविन्यास, भूमिका आवंटन, कार्यसूची विकास, जागरूकता गतिविधियाँ, और फील्ड इमर्शन जैसी प्रारंभिक प्रक्रियाएँ पूरी की गईं। इस पहल को 620 जेएनवी और 200 ईएमआरएस में शुरू किया गया है, जिसमें मॉक सत्र आयोजित किए गए और दस्तावेजीकरण पंचायत निर्णय पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।

6.8. मूल्यांकन, प्रतियोगिता और पुरस्कार

भाग लेने वाली संस्थाओं में एमवाईजीएस गतिविधियों का एक समान और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल-स्तर, क्षेत्रीय-स्तर और राष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकन को कवर करने वाला एक संरचित त्रि-स्तरीय मूल्यांकन फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। जो स्कूल बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वे क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं में आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद अंतिम मूल्यांकन और मान्यता के लिए राष्ट्रीय-स्तर के कार्यक्रम में जाते हैं। व्यापक भागीदारी और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कारों और स्वीकृतियों के साथ-साथ एमवाईजी गतिविधियों के आयोजन के लिए स्कूलों को एकमुश्त सहायता प्रदान करने के प्रावधान भी किए गए हैं।

6.9. आदर्श युवा ग्राम सभा (एमवाईजीएस) की झलकियाँ

पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा "आदर्श युवा ग्राम सभा (MYGS)" की प्रस्तुति।

पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा "आदर्श युवा ग्राम सभा (MYGS)" की प्रस्तुति।

पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सतत् विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण

सशक्त पंचायत सतत् विकास

अध्याय 7

पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सतत् विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण

7.1 सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी)

सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) सभी के लिए एक बेहतर और ज्यादा स्थायी भविष्य पाने का ब्लूप्रिंट हैं। 17 सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) और उनसे जुड़े 169 लक्ष्यों को सितंबर 2015 में सभी यूएन सदस्य देशों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 2030 एजेंडा के भाग के रूप में अपनाया और हस्ताक्षर किया था। भारत सरकार भी संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) 2030 एजेंडा का हस्ताक्षरकर्ता है और नीति आयोग, केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाली यूएन एजेंसियों, पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) आदि की सहभागिता से बहुआयामी रणनीति अपनाकर लक्ष्यों और उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

7.2 एसडीजी में केंद्र सरकार की भूमिका:

I. नीति आयोग को केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच एसडीजी के समन्वय और प्रगति की निगरानी का दायित्व सौंपा गया है।

II. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) एसडीजी की निगरानी के लिए राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ) तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।

III. केंद्रीय मंत्रालयों और उनकी योजनाओं को एसडीजी और लक्ष्यों के साथ मैप किया जाता है। मंत्रालय राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ) के लिए डेटा प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

7.3 एलएसडीजी में पंचायतों की भूमिका:

पीआरआई को गांवों में जल आपूर्ति, स्वच्छता, आंतरिक सड़कों, जल निकासी, स्ट्रीट लाइटिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण आदि सहित महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं की प्रदायगी का कार्य सौंपा गया है। संविधान की 'ग्यारहवीं अनुसूची' में सूचीबद्ध 29 विषय एसडीजी प्राप्त करने के लिए काफी प्रासंगिक हैं। इसके अलावा, यह देखते हुए कि भारत की लगभग 68% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पीआरआई के माध्यम से जमीनी स्तर पर कार्रवाई की आवश्यकता है। इसलिए, एसडीजी को स्थानीय बनाने में पीआरआई विशेष रूप से ग्राम पंचायतों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तदनुसार, मंत्रालय ने एसडीजी के स्थानीयकरण पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए 'पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से एसडीजी के स्थानीयकरण' पर एक विशेषज्ञ समूह की स्थापना की थी। विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट माननीय पंचायती

राज मंत्री द्वारा 07.12.2021 को जारी की गई थी।

7.4 सिफारिशों की रूपरेखा:

7.4.1 समिति ने 17 सतत विकास लक्ष्यों को सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के 9 विषयों में मिलाकर एक विषयगत दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी, जो अधिक सार्थक है और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में अपनेपन की भावना जगाता है। 17 सतत विकास लक्ष्यों को सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के 9 विषयों में शामिल किया गया है ताकि पंचायतों द्वारा समुदाय की भागीदारी से उन्हें आसानी से समझा जा सके, स्वीकार किया जा सके और लागू किया जा सके। इसी के अनुसार, पंचायती राज मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए इन 9 विषयगत दृष्टिकोण को अपनाया है।

विषय सं.	विषय	विषय और एसडीजी (अभिसरण दृष्टिकोण)
1.	गरीबी मुक्त गाँव	विषय 1- एसडीजी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15
2.	स्वस्थ गाँव	विषय 2- एसडीजी 2- 3
3.	बाल-अनुकूल गाँव	विषय 3 - एसडीजी 1, 2, 3, 4, 5
4.	जल पर्याप्त गाँव	विषय 4- एसडीजी 6 - 15
5.	स्वच्छ एवं हरित गांव	विषय 5 - एसडीजी 6, 7, 12, 13, 14 - 15
6.	आत्मनिर्भर बुनियादी अवसंरचना वाला गाँव	विषय 6- एसडीजी 1, 2, 4, 5, 6, 9 - 11
7.	सामाजिक रूप से न्यायसंगत और सुरक्षित गाँव	विषय 7- (एसडीजी 1, 2, 5, 10 - 16)
8.	सुशासन वाला गाँव	विषय 8- (एसडीजी 16)
9.	महिला-अनुकूल गाँव	विषय 9- (एसडीजी 1, 2, 3, 4, 5 - 8)

7.4.2 इसके बाद, पंचायती राज मंत्रालय ने एसडीजी के लिए एक विषयगत दृष्टिकोण अपनाया है। विषयगत दृष्टिकोण अपनाने से पंचायतों द्वारा समुदाय की सहभागिता से इसे समझने, स्वीकार करने और लागू करने में आसानी होगी। इनमें से हर विषय कई एसडीजी को शामिल करती है, जिन्हें अलग-अलग मंत्रालयों और योजनाओं से जोड़ा गया है, जिससे एक विषयगत दृष्टिकोण अपनाया जा सके। इसलिए, इससे संसाधनों का अभिसरण होगा और पंचायत स्तर पर उनकी उपलब्धता बढ़ेगी।

7.4.3 इन विषयों से संबंधित लक्ष्यों को 2030 तक धीरे-धीरे इस तरीके से हासिल किया जाना चाहिए: (i) पंचायत स्तर पर सभी मुख्य विकास और कल्याणकारी कार्यक्रमों को एक साथ लाना, (ii) सभी गांवों में अलग-अलग गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करना। और (iii) सभी संबंधितों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना।

7.4.4 सरकार में अभिसरण लाने के लिए, रिपोर्ट में 'संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज' के

दृष्टिकोण की सिफारिश की गई है, जो केंद्र और राज्य स्तर पर अलग-अलग मंत्रालयों/विभागों के बीच अभिसरण के उपाय सुझाएगा, साथ ही समुदाय, पीआरआई सदस्यों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी भी होगी।

7.4.5 विषयगत दृष्टिकोण अपनाते हुए वार्षिक पंचायत विकास योजना तैयार की जा रही है।

पंचायत विकास योजनाएं
(पीडीपी)

https://gpdp.nic.in/

अध्याय 8

पंचायत विकास योजनाएं (पीडीपी)

8.1 ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी):

(i) भारत के संविधान का अनुच्छेद 243छ पंचायतों को स्थानीय स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में मान्यता देता है और उन्हें ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 मामलों सहित आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ बनाने का अधिदेश देता है। स्थानीय सरकार के तौर पर, ग्राम पंचायतें स्थानीय नागरिकों को बुनियादी सेवाओं की प्रदायगी और गरीब और हाशिए पर पड़े लोगों की कमजोरियों को दूर करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह तभी हासिल किया जा सकता है जब उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक और जिम्मेदारी से प्रयोग करके सुविचारित योजनाओं को लागू किया जाए।

(ii) संवैधानिक आदेश के अनुसार, केंद्रीय वित्त आयोग ग्राम पंचायतों को सहभागी, समावेशी और समन्वित ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) बनाकर फंड को खर्च करने के लिए अनुदान की सिफारिश करता है। इसी के तहत, ग्राम पंचायतों द्वारा जीपीडीपी तैयार की जा रही हैं और उन्हें ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। यह परिकल्पना की गई है कि जीपीडीपी प्रक्रिया व्यापक होनी चाहिए और सहभागी प्रक्रिया पर आधारित होनी चाहिए, जिसमें संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित सम्बद्ध केंद्रीय मंत्रालयों/लाइन विभागों की योजनाओं के साथ अभिसरण शामिल है। मंत्रालय ने जीपीडीपी के लिए मॉडल दिशानिर्देश तैयार किए और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे। परिणामस्वरूप, सभी राज्यों ने जीपीडीपी के लिए अपने राज्य-विशिष्ट दिशानिर्देश अधि सूचित किए। तब से राज्यों ने उनके संबंधित राज्य दिशानिर्देशों और समय-समय पर सुझाए गए संशोधनों के अनुसार जीपीडीपी बनाए और लागू किए हैं।

8.2 विषयगत ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी):

(i) यह देखते हुए कि भारत की लगभग 68% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के माध्यम से जमीनी स्तर पर कार्रवाई की आवश्यकता होगी। इसलिए, एसडीजी को स्थानीय स्तर पर लागू करने में पंचायती राज संस्थाओं, विशेषकर ग्राम पंचायतों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।

(ii) तदनुसार, पंचायती राज मंत्रालय ने एसडीजी के प्रति एक विषयगत दृष्टिकोण अपनाया है जहां 9 विषयों की पहचान की गई

है। विषयगत दृष्टिकोण अपनाना सामुदायिक भागीदारी सहित पंचायतों द्वारा इसे आसानी से समझने, स्वीकार करने और लागू करने में मदद मिलेगी।

(iii) इनमें से प्रत्येक विषय कई सतत विकास लक्ष्यों को शामिल करता है, जिन्हें विषयगत दृष्टिकोण अपनाते हुए विभिन्न मंत्रालयों और योजनाओं से जोड़ा गया है। अत:, यह 'संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज' के दृष्टिकोण को अपनाते हुए संसाधनों के अभिसरण और पंचायत स्तर पर उनकी उपलब्धता को बढ़ाने में मदद करता है।

योजना वर्ष 2018-19 से पोर्टल पर अपलोड की गई ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की स्थिति तालिका 8.1 में दी गई है:

क्र.सं.	वर्ष	जीपी/समकक्ष	अपना जीपीडीपी अपलोड करने वाले जीपी/समकक्ष	अपना जीपीडीपी अपलोड करने वाले जीपी/समकक्ष का %
1.	2018-19	266946	215862	80.86%
2.	2019-20	269551	250168	92.80%
3.	2020-21	270669	251636	92.97%
4.	2021-22	269449	257700	95.64%
5.	2022-23	269550	256945	95.32%
6.	2023-24	269097	255232	94.85%
7.	2024-25	269486	255617	94.85%
8.	2025-26	269114	252727	93.91%

स्रोत: https://egramswaraj.gov.in/approveActionPlanData.do

चूंकि पूरे देश में जीपीडीपी अपलोड करने का काम लगभग पूरा हो चुका है, इसलिए मंत्रालय का ध्यान अब योजना की संख्या से हटकर उनकी गुणवत्ता पर आ गया है। यह पाया गया है कि जीपीडीपी की गुणवत्ता अलग-अलग राज्यों में काफी अलग-अलग है, जिससे उनकी समावेशिता, प्रभावशीलता और प्रासंगिकता के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने जीपीडीपी तैयार करने की मौजूदा स्थिति का मूल्यांकन करने और उनकी गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्रवाई योग्य उपायों की सिफारिश करने हेतु एक समिति का गठन किया है।

समिति की रिपोर्ट प्रणालीगत और संस्थागत सुदृढ़ीकरण, तकनीकी सुधार, क्षमता निर्माण, योजना प्रक्रियाओं, निगरानी और जवाबदेही तंत्र और ग्राम सभा को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सिफारिशें प्रस्तुत करती है। इसके अतिरिक्त, जीपीडीपी की गुणवत्ता का निष्पक्ष मूल्यांकन करने और स्कोर करने के लिए मूल्यांकन संकेतकों का एक सेट तैयार किया गया है।

गुणवत्ता मूल्यांकन निम्नलिखित 15 संकेतकों का उपयोग करके किया जाएगा:

(i) ग्राम सभा में कोरम पूरा होना

(ii) ग्राम सभा की बैठकों में सामुदायिक भागीदारी।

(iii) योजना प्रक्रिया में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, विकलांग और बुजुर्ग समूहों को शामिल करना

(iv) ग्राम सभा से पहले बाल सभा और महिला सभा का संचालन।

(v) संकल्प विषयों को आवंटित संसाधनों का प्रतिशत

(vi) पीएआई के तहत पहचानी गई कमियों के साथ संकल्प का संरेखण

(vii) संकल्प विषयों से लिए गए जीपीडीपी गतिविधियों का प्रतिशत।

(viii) पंचायत प्रोफाइल को अद्यतन करना

(ix) केंद्रीय वित्त आयोग अनुदानों के प्रतिशत के रूप में स्वयं के राजस्व स्रोत (ओ.एस.आर.)।

(x) नियोजित गतिविधियों का क्षेत्रीय संतुलन (स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसंरचना, सामाजिक न्याय, जल और स्वच्छता)

(xi) जीपीडीपी में प्रमुख (फ्लैगशिप) योजनाओं का कवरेज

(x) अन्य विभागीय योजनाओं से संसाधनों का समावेश।

(xi) भविष्य के ओएसआर संग्रहण को बढ़ाने के लिए नियोजित गतिविधियाँ

(xii) निधियों के अभिसरण के माध्यम से प्रस्तावित गतिविधियों की संख्या

(xii) जीपीडीपी में शामिल बिना लागत वाली गतिविधियों की संख्या।

योजना वर्ष 2026-27 के लिए मौजूदा पीपीसी से जीडीपी का मूल्यांकन कराने के लिए उपरोक्त संकेतकों को ई ग्रामस्वराज पोर्टल में एकीकृत किया जा रहा है।

8.3 योजना वर्ष 2026-27 के लिए जन योजना अभियान (पीपीसी)-2025-26:

(i) जीपीडीपी तैयार करने की प्रक्रिया में लोगों की सक्रिय भागीदारी में तेजी लाने के लिए, 2018 से जन योजना अभियान शुरू किया जा रहा है। जन योजना अभियान (पीपीसी) समुदाय, निर्वाचित प्रतिनिधियों, संबंधित मंत्रालयों / विभागों, एसएचजी, सीबीओ और अन्य संबंधित हितधारकों की स्वैच्छिक भागीदारी के साथ अभियान मोड में सहभागिता पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है।

(ii) पीपीसी 2025-26 को 2 अक्टूबर 2025 से 'सबकी योजना सबका विकास' के रूप में शुरू किया गया था। अभियान के दौरान, अगले वित्तीय वर्ष यानी 2026-27 के लिए विषयगत जीपीडीपी तैयार करने के लिए संरचित ग्राम सभा/वार्ड सभा/महिला सभा/बाल सभा की बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

(iii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से राज्य/जिला/ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर के विभिन्न हितधारकों के विषयगत जीपीडीपी पर गहन अभिविन्यास/क्षमता निर्माण आयोजित करने का अनुरोध किया गया है।

पंचायत उन्नति सूचकांक

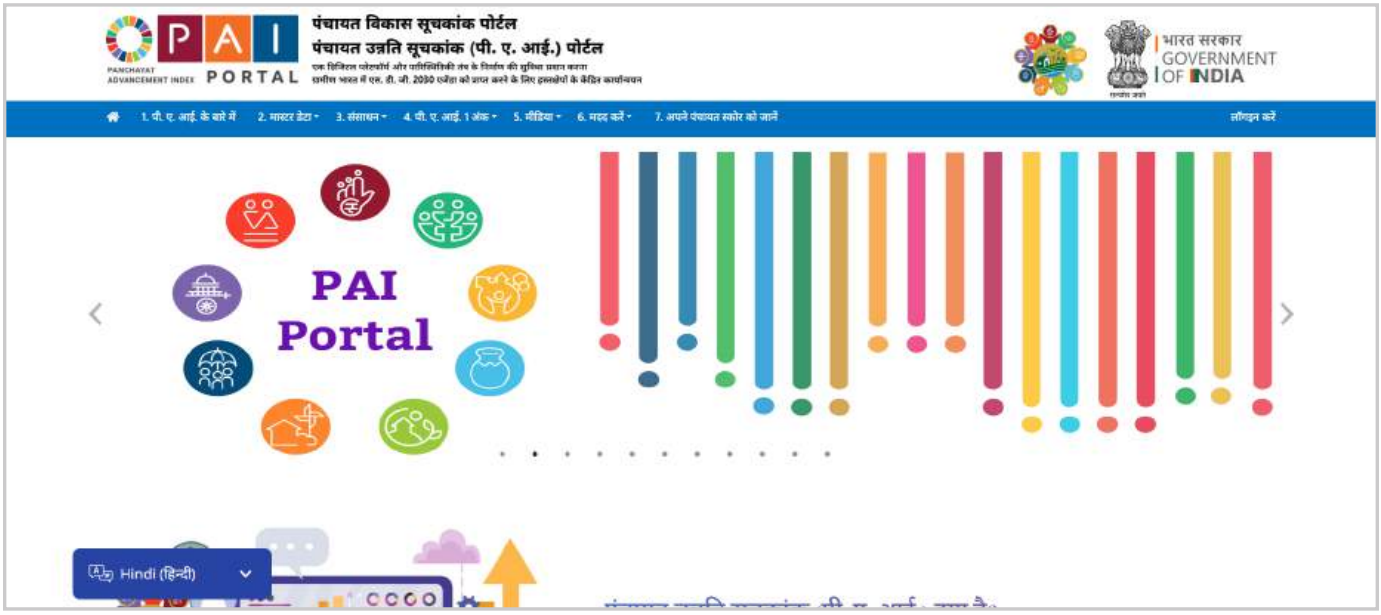

https://pai.gov.in

अध्याय 9

पंचायत उन्नति सूचकांक

9.1 पंचायती राज मंत्रालय ने 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रीय एजेंडा को प्राप्त करने के लिए विषयगत दृष्टिकोण अपनाकर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के स्थानीयकरण की प्रक्रिया शुरू की है। पंचायतों के माध्यम से जमीनी स्तर पर एसडीजी के स्थानीयकरण की प्रक्रिया पर वृद्धिशील प्रगति का मूल्यांकन और निगरानी करने के लिए, मंत्रालय ने पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) तैयार किया है। पीएआई एक बहुआयामी मूल्यांकन टूल है जिसे एलएसडीजी के 9 विषयों में ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त विषयगत और समग्र स्कोर के आधार पर ग्राम पंचायतों के कार्य-निष्पादन को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है।

9.2 पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) सतत विकास लक्ष्यों के विषयों में महत्वपूर्ण कमियों की पहचान करके ग्राम पंचायतों की मौजूदा स्थिति बताने में मदद करता है और इसका उद्देश्य विभिन्न अभिसारी कार्यों के जरिए लक्षित सुधार करना है, ताकि ग्राम पंचायत में सतत विकास लक्ष्यों के संतृप्ति स्तर को प्राप्त किया जा सके और परिणामस्वरूप, 2030 तक एसडीजी का यूएन एजेंडा हासिल किया जा सके।

9.3 पीएआई का महत्व:

क. **साक्ष्य-आधारित योजना को बढ़ावा देना:** इसका उद्देश्य विकासात्मक प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए डेटा-संचालित दृष्टिकोण प्रदान करना है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित किया जाए और पंचायतें विशिष्ट विकासात्मक कमियों की पहचान कर सकें और उन्हें दूर कर सकें।

ख. **सहयोगात्मक प्रयासों को प्रोत्साहित करना:** यह वांछित विकास परिणामों को प्राप्त करने के लिए राज्य लाइन विभागों, पंचायतों और पीआरआई के अन्य हितधारकों के बीच सामूहिक और सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर देता है

ग. **डेटा-संचालित ग्रामीण शासन:** पीएआई गरीबी; स्वास्थ्य 7 पोषण; शिक्षा; सुरक्षित पेयजल; स्वच्छता, लचीली अवसंरचना और शासन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एसडीजी से जुड़े नौ विषयों में मापने योग्य मैट्रिक्स संकलित करता है। यह डेटा ग्राम पंचायतों को एलएसडीजी के 9 विषयों की शाक्तियों और कमजोरियों की पहचान करने और सुधार योजना बनाने के लिए ग्राम पंचायतों की सहायता करता है।

घ. **स्थानीयकृत विकास प्राथमिकताएं:** पीएआई स्कोर विशिष्ट स्थानीय जरूरतों के लिए विकास पहलों को तैयार करने में मदद करता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई पंचायत स्वच्छता या जल प्रबंधन पर कम स्कोर करती है, तो ग्राम पंचायत अपनी वार्षिक कार्य योजना में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दे सकती है।

ङ. **कार्य-निष्पादन निगरानी और प्रभाव मूल्यांकन:** पीएआई समय के साथ प्रगति की मॉनिटरिंग करने में सहायता करता है।

पंचायतें यह मूल्यांकन कर सकती हैं कि क्या उनकी योजनाएं वांछित परिणाम दे रही हैं और साक्ष्य-आधारित शासन के लिए तदनुसार रणनीतियों को भी समायोजित कर सकती हैं।

9.4 पीएआई संस्करण 1.0 वित्त वर्ष 2022-23 जारी किया गया

क. मंत्रालय ने 9 अप्रैल 2025 को पीएआई संस्करण 1.0 वित्त वर्ष 2022-23 जारी किया है। कुल 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने पूरे भारत में 2.16 लाख ग्राम पंचायतों/ ग्राम पंचायत के समकक्ष सत्यापित पीएआई डेटा प्रस्तुत किया है। पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (मेघालय, नागालैंड, गोवा, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल) की 11,712 पंचायतों का डेटा, डेटा का सत्यापन लंबित होने के कारण शामिल नहीं किया गया था। पीएआई संस्करण 1.0 वित्त वर्ष 2022-23 को सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (एलएसडीजी) के 9 विषयों में 435 अद्वितीय स्थानीय संकेतकों और 566 संबंधित डेटा पॉइंट्स का उपयोग करके परिकलित किया गया है। अलग-अलग ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त पीएआई स्कोर और विषयगत स्कोर के आधार पर, प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक प्रदर्शन श्रेणी: अचीवर (90 और उससे ऊपर), फ्रंट रनर (75 से 90 से कम), परफॉर्मर (60 से 75 से कम), एस्पिरेंट (40 से 60 से कम), और बिगिनर (40 से कम) में वर्गीकृत किया गया है।

ख. **पीएआई संस्करण 1.0 वित्त वर्ष 2022-23 के स्नैपशॉट:** कुल 699 ग्राम पंचायतों को **क** श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है, इसके बाद 77,298 ग्राम पंचायतों को **ख** श्रेणी में रखा गया है; 1,32,392 ग्राम पंचायतें **ग** श्रेणी में और 5,896 ग्राम पंचायतें **घ** श्रेणी में वर्गीकृत की गई हैं।

क्र.सं.	क+	क	ख	ग	घ	कुल ग्राम पंचायतें
ग्राम पंचायतें	0	699	77298	132392	5896	2,16,285

ग. पीएआई संस्करण 1.0 मूल्यांकन के लिए आधार का काम करता है और पंचायतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा, पीएआई के माध्यम से एकत्र किया गया डेटा साक्ष्य-आधारित योजना बनाने के लिए आधार का काम करता है, जिससे पंचायतें विकास की कमियों की पहचान कर पाती हैं, स्पष्ट लक्ष्य तय कर पाती हैं, और संसाधनों का अधिक प्रभावपूर्ण आवंटन कर पाती हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर अधिक रणनीतिक और प्रभावपूर्ण शासन होता है। सबसे जरूरी बात यह है कि यह राज्य सरकारों से लेकर संसद सदस्यों तक सभी स्तर पर नीति निर्माताओं को जमीनी स्तर पर हुई प्रगति का मूल्यांकन करने और तदनुसार बेहतर कार्ययोजना बनाने में मदद करता है।

9.5 पीएआई पोर्टल (www-pai-gov-in)

मंत्रालय ने पीएआई के लिए एक विशेष पोर्टल बनाया है ताकि एक सरल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पूरा डेटा एकत्र किया जा सके और डेटा को सत्यापित किया जा सके, जिससे वास्तविक-समय पर अद्यतन स्थिति मिलती रहे। कुशल प्रबंधन के लिए इसे 22 स्थानीय भाषाओं में प्रयोक्तानुकूल बनाया गया है।

पीएआई पोर्टल की विशेषताएं

पीएआई पोर्टल में स्टेट डैशबोर्ड, विषयगत स्कोर कार्ड, ग्राम पंचायत स्कोर कार्ड हैं, जिसमें राज्य में सर्वश्रेष्ठ कार्य-निष्पादन करने वाली ग्राम पंचायत/ ग्राम पंचायत के समकक्ष और एलएसडीजी के 9 विषयों में सर्वश्रेष्ठ कार्य-निष्पादन करने वाली ग्राम पंचायत/ ग्राम पंचायत के समकक्ष को आम लोगों के देखने के लिए अलग-अलग लॉगिन (राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत) पर दिखाया गया है। ये विशेषताएँ ग्राम पंचायत को एलएसडीजी के विभिन्न विषय पर स्थिति का मूल्यांकन करने में सहायता करते हैं और पंचायतों को ग्रामीण विकास के लिए साक्ष्य-आधारित योजना बनाने के लिए सशक्त बनाते हैं। स्कोर कार्ड और अन्य विशेषताएं विभिन्न स्तर पर नीति स्तर के परिवर्तनों में भी मदद करते हैं।

जीपी रिपोर्ट कार्ड का बैनर

जीपी स्कोर कार्ड

State	Total GP	Data Validation (Count of Gram Panchayat data validation at Stages)									
		GP data submission at Line Dept(BNO)		GP data submission at Block		GP data submission at District		GP data submission at State		Data submitted at MoPR	
		Count	%	Count	%	Count	%	Count	%	Count	%
Gujarat	14618	14618	100%	14618	100%	14618	100%	14618	100%	14618	100%

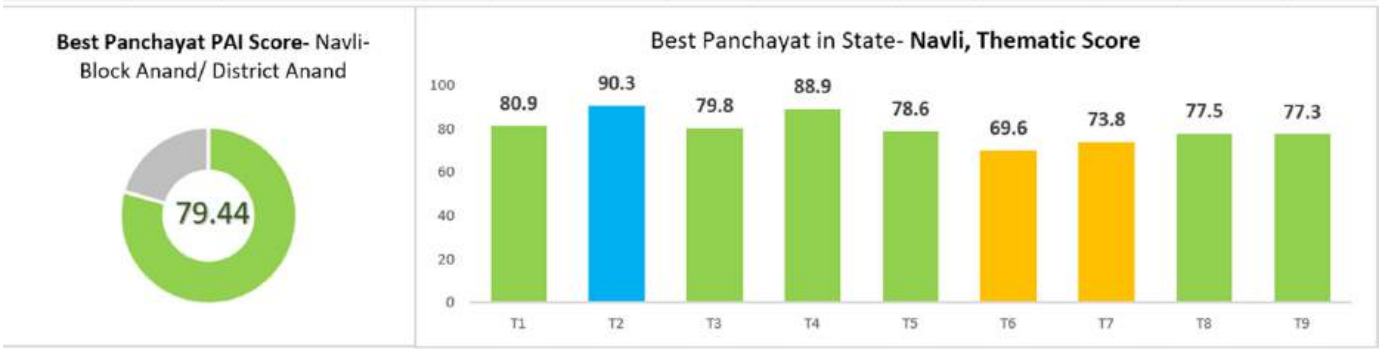

राज्य डैशबोर्ड

9.6 पीएआई संस्करण 1.0 वित्त वर्ष 2022-23 का प्रसार

मंत्रालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ग्राम पंचायत; संबंधित विभागों के फ्रंटलाइन कर्मियों; पीआरआई के अधिकारी और राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के अन्य हितधारकों के साथ प्रसार कार्यशाला आयोजित करने के लिए एडवाइजरी जारी की है। कार्यशाला का फोकस पीएआई के हितधारकों तक पीएआई स्कोर पहुंचाना और ग्राम पंचायतों/ ग्राम पंचायत के समकक्ष संस्थाओं की क्षमता बढ़ाना था ताकि वे एलएसडीजी के विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए स्कोर का विश्लेषण कर सकें और जमीनी स्तर पर डेटा की सटीकता के बारे में समझ विकसित कर सकें। राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी सलाह दी गई कि वे पीएआई संस्करण 1.0 की जानकारी को वृहत पैमाने पर फैलाने के लिए पंचायत भवन में ग्राम पंचायत का स्कोर कार्ड; ब्लॉक और जिले के भीतर सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों का स्कोर कार्ड प्रदर्शित करें। प्रसार कार्यशाला के दौरान, ग्राम पंचायतों को राज्य और जिले द्वारा पीएआई संस्करण 1.0 में उनके कार्य-निष्पादन के लिए सम्मानित किया गया। पीएआई की राज्य स्तरीय कार्यशाला में उत्तर प्रदेश के माननीय पंचायती राज मंत्री द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच को सम्मानित किया गया।

ग्राम पंचायत (GP) पीएआई स्कोर कार्ड को पंचायत भवनों में प्रदर्शित करना

9.7 पंचायत उन्नति सूचकांक संस्करण 2.0 वित्तीय वर्ष 2023-24

क. मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI) संस्करण 2.0 शुरू किया है, जिसमें डेटा की सटीकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए नौ एलएसडीजी विषयों में स्थानीय संकेतकों को तर्कसंगत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका लक्ष्य सरल कार्य-प्रवाह और संबंधित मंत्रालयों और विभागों के राष्ट्रीय पोर्टलों से स्वचालित डेटा एकीकरण के माध्यम से ग्राम पंचायत की दक्षता बढ़ाना है।

पीएआई संस्करण 2.0 वित्त वर्ष 2023-24 को 26-27 मई 2025 को नई दिल्ली में शुरू किया गया है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पीएआई (v.2.0) पर राष्ट्रीय कार्यशाला

ख. पीएआई संस्करण 2.0 - मुख्य विशेषताएं:

- गुणवत्तापूर्ण डेटा के लिए स्थानीय संकेतकों और डेटा बिंदुओं का युक्तिकरण
- डेटा एकीकरण: ग्राम पंचायतों पर मैनुअल रिपोर्टिंग के बोझ को कम करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रासंगिक राष्ट्रीय पोर्टलों से डेटा का स्वत: पोर्टिंग।
- उपयोगकर्ता के अनुकूल डैशबोर्ड: पंचायत अधिकारियों के लिए उनकी प्रगति को ट्रैक करने और तुलना करने के लिए उन्नत दृश्य प्रतिनिधित्व और पहुंच।
- डेटा के प्रविष्टि के स्तर पर सॉफ्ट सत्यापन जांच ताकि सटीक और गुणवत्तापूर्ण डेटा प्रविष्टि सुनिश्चित हो सके।
- पीएआई 1.0 की तुलना में पीएआई 2.0 में संकेतकों में 70.93% की कमी (516 से घटकर 150 संकेतक) और डेटा बिंदुओं में 71.04% की कमी (794 से घटकर 230 डेटा बिंदु) हुई है।

ग. पीएआई 1.0 से पीएआई 2.0 में बदलाव फ्रेमवर्क के एक प्रमुख संशोधन को दर्शाता है, जिसमें अधिक प्रासंगिक और स्थानीय संकेतकों को प्रदर्शित करने वाला सेट और डेटा पॉइंट्स हैं ताकि उपयोगिता को बेहतर बनाया जा सके और साथ ही कार्य-प्रवाह को सरल बनाकर तथा विभिन्न राष्ट्रीय पोर्टल्स से स्वचालित डेटा मानकीकरण को सक्रिय करके ग्राम पंचायत के कामकाज की कार्य कुशलता को बढ़ाया जा सके।

घ. पंचायती राज संस्थाओं और संबंधित विभागों के अधिकारियों और तकनीकी कर्मियों को पीएआई संस्करण 2.0 की कार्यप्रणाली के बारे में सक्षम बनाया गया है और 2.0 के प्रयोग के लिए पीएआई पोर्टल की विशेषताओं और कार्यक्षमता पर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

पीएआई (v.2.0) पर राज्य स्तरीय कार्यशाला

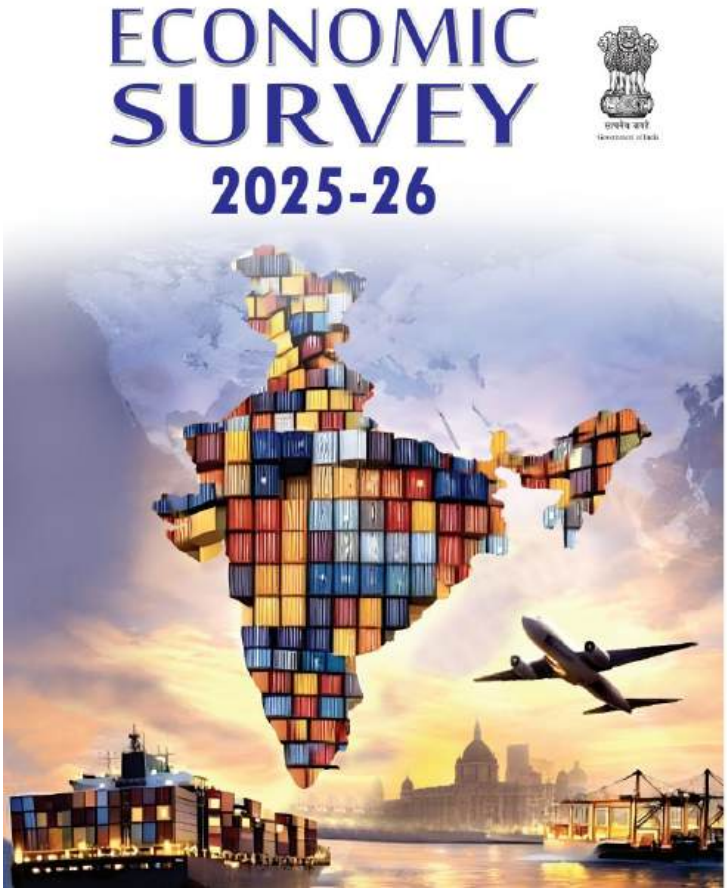

Economic Survey 2025-26

of Sarpanch/Secretary, demography, finances, assets, activities taken up through the Gram Panchayat Development Plan (GPDP), and relevant information from Census 2011, SECC (Socio Economic and Caste Census) data, Mission Antyodaya survey report, etc. The portal acts as a unified interface that enhances the reporting and tracking of Panchayat activities. It decentralises the planning process to ensure development funds lead to effective outcomes.

13.56. Further, integration with the Public Financial Management System (PFMS) ensures secure, real-time payments, and AuditOnline enables transparent online audits.[48] So far, 2.54 lakh GPs have prepared and uploaded their GPDP for FY25 on e-Gram SWARAJ. Till October 2024, 2.21 lakh GPs or equivalent bodies (including Traditional Local Bodies) have carried out online transactions to the tune of ₹2,77,784 crore (since inception).

13.57. AI tools like SabhaSaar strengthen participatory democracy and local governance efficiency by reducing the time and effort required for manual documentation. As of November 2025, about one lakh GPs in 31 states/UTs conducted 1.38 lakh Gram Sabhas and generated automatic minutes of the meetings through SabhaSaar.[49]

13.58. Along with building GP capacities, it is essential to assess development at the Panchayat level. The Panchayat Advancement Index (PAI) of the Ministry of Panchayati Raj (MoPR) assesses the overall holistic development, performance & progress of over 2.5 lakh GPs across India.[50] This assessment helps identify shortfalls, needed capacities, and improvement strategies. This initiative advances the vision of building vibrant PRIs as hubs of governance and growth through competitive federalism, motivating officials to deliver better services while boosting community participation. The index is discussed in detail in Box XIII.2.

Box XIII.2: Panchayat Advancement Index: A composite tool to track local SDG progress

GPs serve as the initial point of contact between citizens and governance in rural areas. Their proximity to local communities enables them to identify area-specific needs, prioritise development interventions, and ensure efficient utilisation of resources. GPs play a pivotal role in implementing government schemes and are central to achieving the SDGs at the grassroots level. Institutional mechanisms such as GPDPs, Gram Sabhas, and participatory budgeting frameworks strengthen participatory governance by contextualising national

48 AuditOnline is an application rolled under the e-Panchayat Mission Mode Project by M/o Panchayati Raj.
49 SabhaSaar is an AI-enabled application which makes Gram Sabha documentation faster, easier, and in a structured format.
50 PIB release by MoPR dated 9 April 2025: https://tinyurl.com/5n8acuyc

532

9.8 आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 में पंचायत उन्नति सूचकांक (पी.ए.आई.) को साक्ष्य-आधारित ग्रामीण शासन के उत्प्रेरक के रूप में रेखांकित किया गया:

पंचायत उन्नति सूचकांक (पी.ए.आई.) की प्रमुख पहल को राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय मान्यता प्राप्त हुई, जब इसका उल्लेख आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के अध्याय 13 – "ग्रामीण विकास और सामाजिक प्रगति: सहभागिता से सहभागिता-आधारित साझेदारी की ओर" – में प्रमुखता से किया गया।

सर्वेक्षण में पी.ए.आई. को एक परिवर्तनकारी, साक्ष्य-आधारित रूपरेखा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो देशभर की 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के समग्र विकास और प्रदर्शन का आकलन करती है। व्यवस्थित रूप से अंतरालों, क्षमता संबंधी आवश्यकताओं तथा लक्षित हस्तक्षेप के क्षेत्रों की पहचान कर, पी.ए.आई. प्रदर्शन-उन्मुख ग्रामीण शासन को सुदृढ़ करता है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है तथा पंचायती राज संस्थाओं को शासन और विकास के सशक्त एवं गतिशील केंद्रों के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना को आगे बढ़ाता है।

ई-गवर्नेंस और आईसीटी पहलें

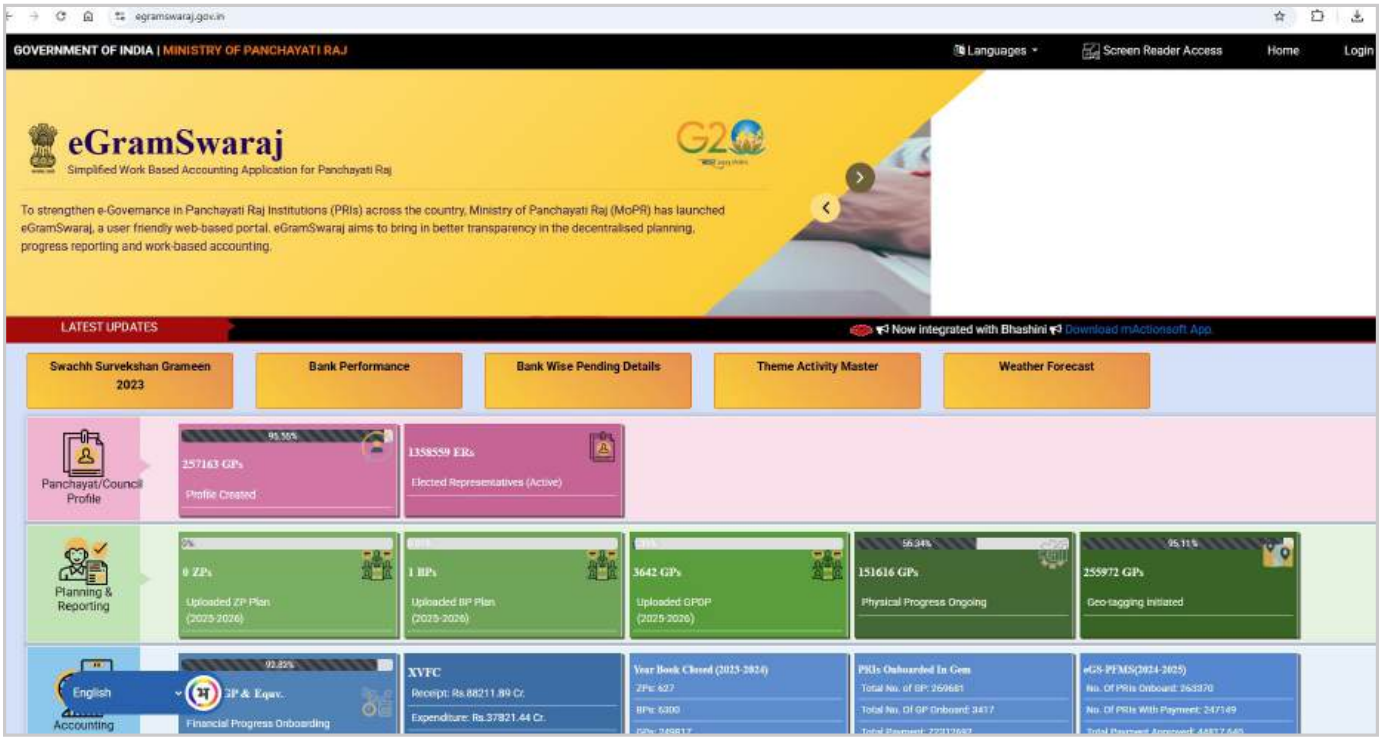

https://egramswaraj.gov.in

अध्याय 10

ई-गवर्नेंस और आईसीटी पहलें

10.1 ई-गवर्नेंस नागरिकों, व्यवसायों और सरकार की अन्य शाखाओं के बीच संबंधों को फिर से परिभाषित करने का प्रयास करता है, जिससे नागरिकों को सूचना तक आसान पहुंच प्रदान की जा सके। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) वर्ष 2006 में शुरू की गई थी। ई-पंचायत परियोजना को इस एनईजीपी के तहत मिशन मोड परियोजनाओं में से एक के रूप में पहचाना गया था। इसके बाद पंचायती राज मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया, जिसने 2009 में पूरे देश में व्यापक क्षेत्रीय अध्ययन कर सभी सूचना एवं सेवा आवश्यकताओं की पहचान की। समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर के लिए सूचना एवं सेवा आवश्यकताओं का आकलन (ISNA), व्यावसायिक प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकी (BPR) तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की गई।

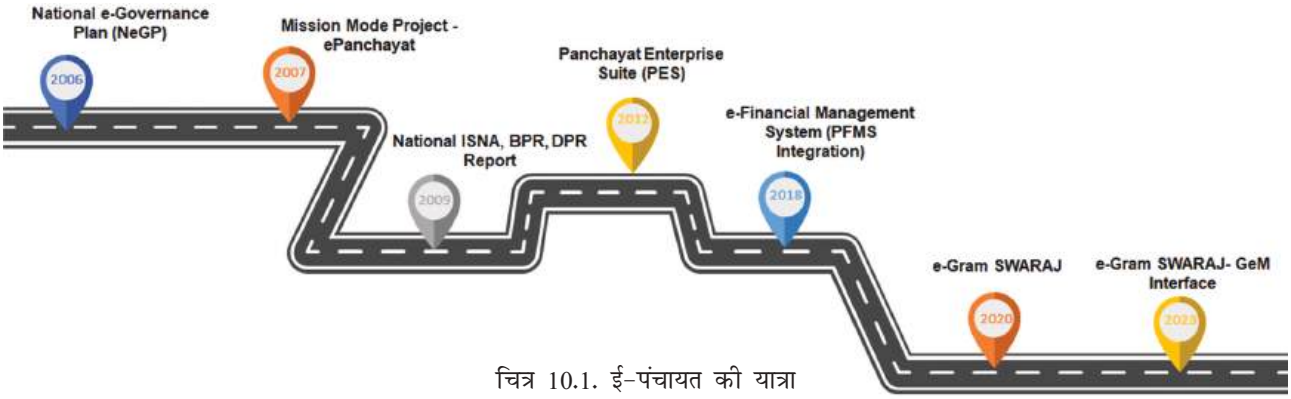

चित्र 10.1. ई-पंचायत की यात्रा

10.2 ई-पंचायत एमएमपी के तहत, पंचायतों के कामकाज के सभी पहलुओं का समाधान करने के लिए मुख्य सामान्य एप्लीकेशन का एक समूह विकसित किया गया है। शुरू में, ई-पंचायत एमएमपी के तहत 12 मुख्य सामान्य एप्लिकेशन विकसित करने की योजना बनाई गई थी। जिन अवधियों के दौरान इन एप्लिकेशन को विकसित किया गया, वे इस प्रकार हैं:

(i) राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल - दिसंबर 2004

(ii) राष्ट्रीय पंचायत निर्देशिका (एलजीडी का पुराना संस्करण) - सितंबर 2007

(iii) पीआरआई प्रोफाइलर (एरिया प्रोफाइलर का पुराना संस्करण) - दिसंबर 2007

(iv) प्लानप्लस (एक्शनसॉफ्ट की कार्यप्रणाली सहित) - मार्च 2008

(v) पीआरआईसॉफ्ट (मॉडल लेखांकन प्रणाली को शामिल करते हुए) - अप्रैल 2009

10.3 शिकायत निवारण मॉड्यूल को बाद में सर्विस-प्लस फ्रेमवर्क में शामिल कर दिया गया और इस प्रकार एप्लिकेशन की संख्या घटकर 11 हो गई। चूँकि उपरोक्त एप्लिकेशन में डेटा को स्थिर होने में कुछ समय लगता, इसलिए जीआईएस को

एक मूल एप्लिकेशन के रूप में शुरू करने का निर्णय लिया गया क्योंकि जीआईएस एक व्यापक परत होगी जो विकसित ई-पंचायत एप्लिकेशन में संकलित डेटा पर आधारित है। 24 अप्रैल, 2012 को, पंचायती राज मंत्रालय ने निम्नलिखित छह एप्लिकेशन शुरू किए:

(i) सर्विसप्लस

(ii) राष्ट्रीय परिसंपत्ति निर्देशिका

(iii) एक्शनसॉफ्ट (प्लानप्लस से अलग किया गया)

(iv) बैठक प्रबंधन

(v) सामाजिक लेखापरीक्षा और

(vi) प्रशिक्षण प्रबंधन

10.4 इसके अलावा, पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में ई-गवर्नेंस को मजबूत करने और अंतत: ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन में शामिल जटिलताओं को कम करने के लिए, एक सरलीकृत कार्य-आधारित लेखांकन एप्लीकेशन, ई-ग्रामस्वराज, 24 अप्रैल, 2020 को लॉन्च किया गया था

10.4.1 ई-ग्रामस्वराज (https://egramswaraj.gov.in):

इस एप्लिकेशन को ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी में पंचायत संबंधी एप्लिकेशनों की कार्यक्षमताओं को एकीकृत करके विकसित किया गया है। इसमें प्लानप्लस, एक्शनसॉफ्ट, प्रियासॉफ्ट और राष्ट्रीय परिसंपत्ति निर्देशिका (एनएडी) सहित ई-एफएमएस एप्लिकेशनों के साथ साथ स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी) को एरिया प्रोफाइलर एप्लिकेशन में शामिल किया गया है, जो सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के साथ मिलकर इस तरह की मजबूत प्रणाली का आधार बनाते हैं।

इसे ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDPs) के तहत प्रस्तावित प्रत्येक गतिविधि पर हुए प्रत्येक व्यय की निगरानी करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। ई-ग्रामस्वराज ने ग्राम पंचायत उपयोगकर्ता द्वारा की जाने वाली डेटा प्रविष्टियों की संख्या को कम किया है और नेविगेशन की सुविधा सहित एक अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफेस प्रदान किया है, जो जीपीएस के लिए अपनी कार्य योजना का अनुसरण, निगरानी और संशोधित करना सरल और सुगम हो गया है।

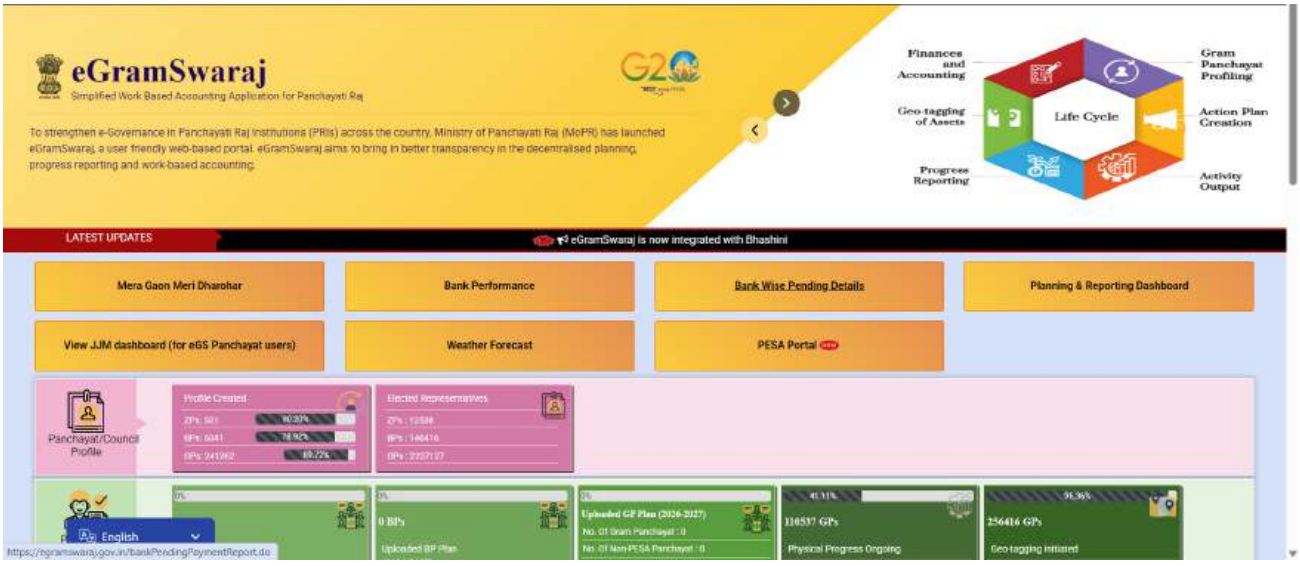

(चित्र 10.2 - ईग्रामस्वराज डैशबोर्ड)

10.4.2 ई-ग्राम स्वराज -

पीएफएमएस इंटरफेस (ईजीएसपीआई):

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) भारत सरकार की योजनाओं और केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान के लिए सामान्य लेनदेन आधारित ऑनलाइन निधि प्रबंधन एवं भुगतान प्रणाली और एमआईएस है जिसे वर्ष 2020 में शुरू किया गया। अब इस मंच का विस्तार राज्य सरकारों को किया गया है ताकि राज्य कोषागारों में सीधे प्राप्त निधियों का भुगतान किया जा सके। पीएफएमएस की परिकल्पना भारत सरकार से उपयोग के अंतिम स्तर तक विभिन्न स्तरों पर निधि संवितरण को ट्रैक करने और अंततः वास्तविक समय के आधार पर उपयोग की रिपोर्ट करने के लिए की गई है।

10.4.3 ग्राम मानचित्र (geo-spatial planning application (https://grammanchitra.gov.in/):

1. ग्राम मानचित्र का शुभारंभ माननीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण एवं पंचायती राज मंत्री द्वारा **23 अक्टूबर, 2019** को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, 2019 के अवसर पर किया गया। यह एप्लीकेशन ग्राम पंचायत उपयोगकर्ताओं को भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ ग्राम पंचायत स्तर पर योजना बनाने में सुविधा और सहायता प्रदान करने के लिए एक स्थानिक योजना एप्लीकेशन है। यह एप्लीकेशन सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) रिपोर्ट, एमए गैप विश्लेषण और ग्राम पंचायत को आवंटित संसाधन लिफाफे से भी जुड़ा हुआ है।

यह एप्लिकेशन विभिन्न मंत्रालयों के स्थानिक और गैर-स्थानिक डेटा के साथ एकीकृत किया जा रहा है

(i) जिला अस्पताल, उप-जिला अस्पताल,

(ii) सीएचसी, पीएचसी और उप-केंद्र (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय),

(थ्यह 10ण्3ख्र ळतंउ डंदबीपजतं कैंइवंतक)

(iii) बैंक सुविधाएं जैसे बैंक शाखाएं, एटीएम, बैंकिंग पत्राचार आदि जैसी बैंकिंग सुविधाएं (वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय),

(iv) डाक सुविधाएं (संचार मंत्रालय),

(v) स्कूल (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग),

(vi) उचित दर की दुकानों (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय),

(vii) पेयजल स्रोत (पेयजल और स्वच्छता विभाग) और

(viii) मनरेगा परिसंपत्ति डेटा (ग्रामीण विकास मंत्रालय)।

10.4.4 ऑडिट ऑनलाइन (https://auditonline.gov.in/):

सरकारी संस्थाओं की ऑनलाइन लेखापरीक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑडिट ऑनलाइन एप्लिकेशन विकसित किया गया है। यह परिकल्पना की गई है कि यह एप्लिकेशन जवाबदेही प्रक्रिया को मजबूत करेगा और पंचायत स्तरों पर लेखापरीक्षा प्रक्रिया को सरल बनाएगा। इसे वर्ष 2020 के दौरान लॉन्च किया गया था।

2. यह पंचायत खातों की ऑनलाइन लेखापरीक्षा की अनुमति देता है और आंतरिक एवं बाहरी लेखापरीक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी रिकॉर्ड करता है। इस एप्लिकेशन का उपयोग किसी अन्य विभाग द्वारा भी किया जाता है। राज्यों को ऑडिटऑनलाइन पर लाइव जाने के लिए, राज्यों ने पूर्व-जरूरी शर्तें पूरी कर ली हैं। जैसे लेखापरीक्षा प्रवाह, पदानुक्रम डेटा, जोखिम-आधारित श्रेणियां आदि।

(चित्र 10.4. ऑडिट ऑनलाइन डैशबोर्ड)

10.4.5 परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग :

प्रभावी निगरानी के लिए, फिजिकल प्रगति की क्षेत्र-स्तरीय निगरानी और कार्यों की निगरानी करना भी अनिवार्य है। इसके अलावा, प्रणाली को मजबूत करने के लिए पूरक, परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग (कार्य पूरा होने पर) अत्यंत महत्वपूर्ण है।

2. पंचायती राज मंत्रालय ने एमएक्शनसॉफ्ट - एक मोबाइल आधारित समाधान विकसित किया है जो उत्पादन के रूप में संपत्ति

वाले कार्यों के लिए भू-टैग (यानी जीपीएस निर्देशांक) के साथ तस्वीरों को कैप्चर करने में मदद करता है। परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग सभी तीन स्तरों में की जाती है अर्थात (i) कार्य शुरू होने से पहले (ii) कार्य के दौरान और (iii) कार्य पूरा होने पर। यह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जल संचयन, सूखा प्रूफिंग, स्वच्छता, कृषि, चेक डैम और सिंचाई चौनलों आदि से संबंधित सभी कार्यों और परिसंपत्तियों पर जानकारी का भंडार प्रदान करेगा।

10.5 मंत्रालय ने अन्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पहलें भी शुरू की हैं, जो इस प्रकार हैं:

10.5.1 ग्रामपंचायतविकासयोजना(जीपीडीपी) डैशबोर्ड - https://gpdp.nic.in **):**

- आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए जीपीडीपी की तैयारी के लिए ग्राम पंचायतों को अनिवार्य कर दिया गया है।
- लगभग 95% ग्राम पंचायतें ई-ग्राम स्वराज पोर्टल में अपनी जीपीडीपी तैयार कर अपलोड कर रही हैं।
- वित्त वर्ष 2021 से, जिला और ब्लॉक पंचायतों ने भी अपनी वार्षिक योजनाएं बनाना शुरू कर दिया है।
- वार्षिक मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण साक्ष्य-आधारित योजना के लिए आधार रेखा है।
- जन योजना अभियान 2022 में 'विषयगत जीपीडीसी निर्माण' की शुरुआत की गई, जिससे प्रणाली में व्यापक विषय-वार योजना और एकरूपता को सक्षम किया जा सके।

10.5.2 ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन के लिए मोबाइल ऐप: स्मार्ट फोन के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल और ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन के बढ़ते उपयोग को देखते हुए, ई-ग्रामस्वराज और एमएक्शनसॉफ्ट के लिए एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किए गए।

चित्र 10.5. ईग्राम स्वराज **मोबाइल ऐप**

चित्र 10.6. - एमएक्शनसॉफ्ट **मोबाइल ऐप**

10.6 पंचायत निर्णय ऐप और डेस्कटॉप एप्लिकेशन

पंचायतों के कामकाज को पारदर्शी बनाने के प्रयास में ग्राम सभाओं का कार्यक्रम पंचायत निर्णय ऑनलाइन एप्लीकेशन और ऐप के माध्यम से ऑनलाइन कर दिया गया है। पंचायत निर्णय एक समर्पित मोबाइल ऐप है जो ग्राम सभा की बैठकों सहित पंचायतों की बैठकों के प्रबंधन के लिए है। ग्राम सभाओं में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए ऐप में प्रावधान किया गया है ताकि ऐप उपयोगकर्ता/नागरिकों को अधिसूचित किया जा सके जब भी ग्राम सभा की बैठक निर्धारित की जाती है या पंचायत निर्णय पोर्टल या मोबाइल ऐप में बैठक का एजेंडा या कार्यवृत्त अपलोड किया जाता है जिसे ऐप उपयोगकर्ता द्वारा चुना/कॉन्फिगर किया गया है। ऐप आईओएस और एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

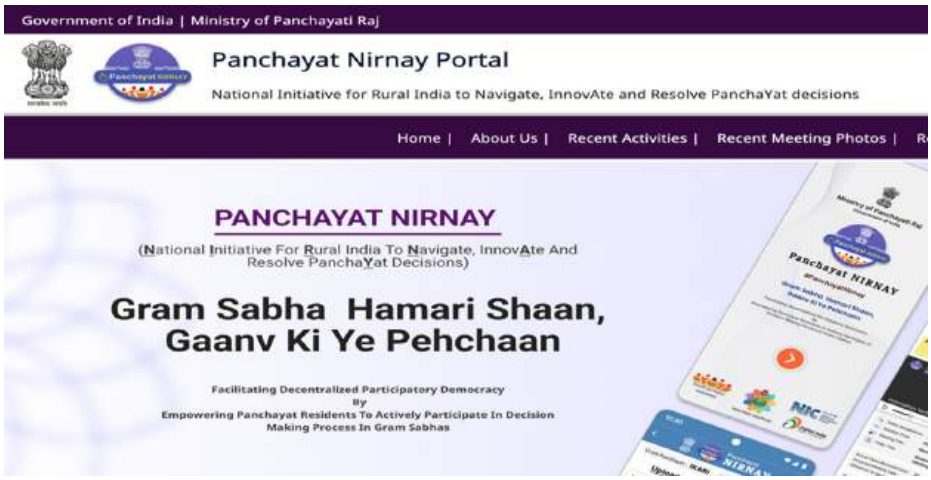

चित्र 10.7 – पंचायत निर्णय डैशबोर्ड

10.7 मेरी पंचायत

दूसरी ओर, मेरी पंचायत ऐप पंचायतों के साथ-साथ नागरिकों के लिए एक एम-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है और इसका मकसद नागरिकों को उनकी ग्राम पंचायतों के कामकाज की जानकारी तक पहुंच देकर उन्हें सशक्त बनाना है। दो ऐप के एकीकरण के कारण, पंचायत निर्णय ऐप पर निर्धारित ग्राम सभा की बैठकें भी मेरी पंचायत ऐप में दिखाई दे रही हैं और इस ऐप का कोई भी उपयोगकर्ता अपनी चुनी हुई ग्राम पंचायत की आगामी ग्राम सभा की बैठकें भी देख सकता है। यह ऐप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

चित्र 10.8. मेरी पंचायत ऐप डैशबोर्ड

10.7.1 *जिनेवा में विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन (डब्ल्यू.एस.आई.एस) +20 उच्च स्तरीय कार्यक्रम 2025 में "मेरी पंचायत" को चौंपियन पुरस्कार:*

"मेरी पंचायत" को 7 से 11 जुलाई 2025 तक जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा आयोजित डब्ल्यू.एस. आई.एस+20 उच्च स्तरीय कार्यक्रम 2025 में सांस्कृतिक विविधता एवं पहचान, भाषाई विविधता और स्थानीय सामग्री विषयक डब्ल्यू.एस.आई.एस एक्शन लाइन श्रेणी के अंतर्गत चौंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान यह पुरस्कार पंचायती राज मंत्रालय की ओर से प्राप्त किया गया तथा 21 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में माननीय पंचायती राज केंद्रीय मंत्री को, माननीय पंचायती राज राज्य मंत्री एवं मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में, औपचारिक रूप से चौंपियन प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। यह सम्मान जमीनी स्तर पर समावेशी शासन, स्थानीय सामग्री और भाषाई विविधता को बढ़ावा देने में डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका को रेखांकित करता है।

जिनेवा में डब्ल्यूएसआईएस+20 उच्च स्तरीय कार्यक्रम 2025 में "मेरी पंचायत" को चौंपियन पुरस्कार, पंचायती राज मंत्रालय की ओर से एनआईसी टीम द्वारा प्राप्त गया।

21 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में माननीय पंचायती राज केंद्रीय मंत्री को चौंपियन प्रमाणपत्र औपचारिक रूप से प्रदान किया गया।

10.8 ई-सेवाएं:

कई राज्यों में पंचायतें अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से जन्म, मृत्यु, आय, विवाह, निवास, निर्माण और व्यापार की अनुमति और संपत्ति और गृह कर के भुगतान आदि के प्रमाण पत्र जारी करने जैसी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। महाराष्ट्र, झारखंड और छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाएं प्रदान करने के लिए विकसित सर्विसप्लस एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि, अधिकांश राज्य लोगों को इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य-विशिष्ट सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए इस एप्लिकेशन का समग्र उपयोग कम हो गया है।

10.9 स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी- http://lgdirectory.gov.in)

एलजीडी एप्लिकेशन को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 24 अप्रैल 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। यह एप्लिकेशन सभी प्रशासनिक इकाइयों जैसे राजस्व संस्थाओं (जिले, उप-जिले और गांव), स्थानीय शासन निकायों (पंचायत, नगरपालिका और पारंपरिक निकाय), विकास खंड आदि के विशिष्ट स्थानिय कोड के मानक डिजिटल भंडार के रूप में कार्य करता है।

1. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संबंधित विभागों को प्रशासनिक इकाइयों के अद्यतन डेटा बनाए रखने के प्रावधान प्रदान किए गए हैं।

(चित्र. 10.9. एलजीडी एप्लीकेशन डैशबोर्ड)

10.10 विभिन्न एप्लिकेशन के कार्यान्वयन की स्थिति

यह देखा गया है कि ई-ग्राम स्वराज और अन्य ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन को अपनाने और उपयोग करने में राज्यों का प्रदर्शन जनशक्ति की उपलब्धता, इंटरनेट कनेक्टिविटी, पंचायतों में आईटी अवसंरचना और मानव संसाधन की क्षमताओं में अंतर के कारण भिन्न होता है। 31 दिसंबर 2025 तक ई-ग्राम स्वराज और अन्य ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन को अपनाने की स्थिति नीचे सूचीबद्ध है।:

तालिका 10.1	
विभिन्न आवेदनों के कार्यान्वयन की स्थिति	
एप्लिकेशन का नाम	**कार्यान्वयन की स्थिति**
➢ एलजीडी (जीपी से गांव के मानचित्रण की स्थिति के संदर्भ में)	सभी राज्यों ने लगभग 100% मानचित्रण पूरा कर लिया है।
ईग्राम स्वराज (मॉड्यूल के अनुसार प्रदर्शन)	
➢ योजना (अनुमोदित विकास योजना वाली पंचायतों की संख्या)	वर्ष 2025-26 के लिए, 2.53 लाख ग्राम पंचायतों, 5520 ब्लॉक पंचायतों और 536 जिला पंचायतों ने अपनी विकास योजना को अपलोड कर दिया है।
➢ लेखांकन (मासिक पुस्तकों के समापन करने के संदर्भ में)	वर्ष 2025-26 के लिए, 2.37 लाख जीपी ने मासिक किताब बंद कर दी है
➢ पीएफएमएस एकीकरण	➢ ईजीएस-पीएफएमएस पर 2.52 लाख पीआरआई को शामिल किया गया है। ➢ 2.22 लाख पीआरआई ने ऑनलाइन भुगतान किया है ➢ वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ईजीएस-पीएफएमएस के माध्यम से विक्रेता खातों में ₹22,769 करोड़ से अधिक भुगतान सफलतापूर्वक जमा किए गए हैं। ➢ शुरुआत से लेकर अब तक eGS&PFMS के माध्यम से ₹2.84 लाख करोड़ से अधिक के विक्रेता भुगतानों का प्रसंस्करण किया जा चुका है।
➢ रिपोर्टिंग*(शामिल पंचायतों के संदर्भ में)	वर्ष 2025-26 में, 1.3 लाख जीपी ने ईजीएस पर फिजिकल प्रगति दर्ज की।
➢ परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग	➢ 2.56 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों ने ई-ग्राम स्वराज एप्लीकेशन में परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग शुरू कर दी है।
➢ ऑडिट ऑनलाइन	**लेखापरीक्षा अवधि 2021-22 के लिए** ➢ 26 राज्यों में 12,246 लेखापरीक्षक पंजीकृत हैं। ➢ 2,63,142 लेखापरीक्षित पंजीकृत हैं। ➢ 27 राज्यों में 2,61,771 लेखापरीक्षा योजनाएं तैयार की गई हैं ➢ 27 राज्यों में 24,84,516 टिप्पणियाँ दर्ज की गई ➢ 27 राज्यों में 2,58,925 लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाती हैं। **लेखापरीक्षा अवधि 2022-23 के लिए** ➢ 27 राज्यों में 2,53,324 जीपी, 6,159 बीपी और 601 जेडपी लेखापरीक्षा योजनाएं तैयार की गई हैं। ➢ 27 राज्यों में 27,13,803 टिप्पणियां दर्ज की गई हैं। ➢ 27 राज्यों में 2,58,792 लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई हैं **लेखापरीक्षा अवधि 2023-24 के लिए** ➢ 26 राज्यों में 2,55,284 ग्राम पंचायत, 6,159 बाल पंचायत और 600 जिला पंचायत लेखापरीक्षा योजनाएं तैयार की गई हैं। ➢ 25 राज्यों में कुल 27,75,860 अवलोकन दर्ज किए गए हैं। ➢ 25 राज्यों में कुल 2,52,998 ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई हैं।
	लेखापरीक्षा अवधि 2024-25 के लिए ➢ 23 राज्यों में 1,95,028 ग्राम पंचायत, 4303 बालवाड़ी और 343 जिला पंचायत लेखापरीक्षा योजनाएं तैयार की गई हैं। ➢ 18 राज्यों में कुल 16,13,076 अवलोकन दर्ज किए गए हैं। ➢ 18 राज्यों में कुल 1,26,386 ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जाती हैं।

2. ई-पंचायत एमएमपी के तहत विकसित एप्लिकेशन के अलावा, कुछ राज्यों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार राज्य विशिष्ट ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन विकसित किए हैं। ये एप्लिकेशन पंचायत के कामकाज के विभिन्न पहलुओं को भी पूरा करते हैं।

10.11 वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान महत्वपूर्ण पहलें

10.11.1 सभासार

पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम सभा प्रलेखन को तेज, आसान और संरचित प्रारूप में बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग करके स्थानीय शासन में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ग्राम सभा की बैठकों के ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग से स्वचालित रूप से बैठकों के मिनट (एमओएम) तैयार करने के लिए 'सभासार' नामक एक एआई टूल/उपकरण लॉन्च किया गया है।

ग्राम सभाओं की कार्यवाही को पूर्व में मैनुअल प्रक्रिया के माध्यम से अभिलेखित करने तथा कार्यवृत्त (डवड) तैयार करने में व्यतीत होने वाले समय और श्रम से जुड़ी चुनौतियों को इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित उपकरण की सहायता से दूर किया गया है।

सभा सार ग्राम सभाओं में चर्चा किए गए सभी बिंदुओं का समुचित संकलन करने में सहायक है तथा त्रुटिरहित, त्वरित और पारदर्शी रूप से बैठक के कार्यवृत्त तैयार करने में सक्षम बनाता है।

इस टूल/उपकरण का शुभारंभ केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह द्वारा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या के अवसर पर 14 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में किया गया था।

31 दिसंबर 2025 तक, 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 94,212 ग्राम पंचायतों ने 1,46,275 बैठकें कीं और अपने ग्राम सभा की वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग से बैठकों के स्वचालित मिनट तैयार किए। त्रिपुरा की सभी ग्राम पंचायतों ने स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित विशेष ग्राम सभा के दौरान सभा सार का उपयोग किया।

ग्राम सभा, पंचायतों की स्थायी समितियां और पंचायतों की शक्तियों का हस्तांतरण

https://meetingonline.gov.in

अध्याय 11

ग्राम सभा, पंचायतों की स्थायी समितियां और पंचायतों की शक्तियों का हस्तांतरण

11.1 ग्राम सभा

ग्राम सभा सहभागी और विचारशील लोकतंत्र के लिए एक ऐसी संस्था है, जिसे अनुच्छेद 243 के संदर्भ में संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है। संविधान राज्यों को ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों पर विधान बनाने का अधिकार देता है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ग्राम सभा के मुख्य कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में विकास की गतिविधियों के लिए प्राथमिकता तय करना, विकास योजनाओं पर चर्चा/मंजूरी देना, खर्च करने की अनुमति देना आदि शामिल हैं। ग्राम सभाओं को फिर से सक्रिय करने के संबंध में मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित सलाह दी है:

(i) ग्राम सभाओं की संख्या बढ़ाई जाए (एक साल में कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12)

(ii) उपस्थिति के लिए कोरम: 10% सदस्य और महिला सदस्यों के लिए 30% का सब-कोरम, निर्धारित बैठक में कोरम की कमी के कारण स्थगित बैठकों के लिए भी कोरम पर जोर दिया जाए

(iii) ग्राम सभाओं की बैठकों का वार्षिक कैलेंडर और जिला/ब्लॉक-वार कार्यक्रम पहले से तैयार किया जाए

(iv) समूह 'क'/ समूह 'ख' के अधिकारी ग्राम सभा की बैठकों में अनिवार्य रूप से भाग लें। उन्हें ग्राम सभाओं में प्रभावी भागीदारी के लिए प्रशिक्षण दिया जाए।

(v) लाइन मंत्रालय / विभाग प्रसार और विचार-विमर्श के लिए ग्राम सभाओं में अपनी प्रमुख योजनाओं पर प्रस्तुति देंगे।

11.2. ग्राम पंचायत की स्थायी समितियाँ

हाल के वर्षों में, ग्राम पंचायतों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। इन कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को बांटने के लिए, राज्य पंचायती राज अधिनियमों में स्थायी समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। स्थायी समितियाँ पंचायतों के कामकाज में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देती हैं। स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों (LSDGs) के संदर्भ में स्थायी समितियों को मजबूत करना जरूरी है। इन समितियों का गठन राज्य पंचायती राज अधिनियम में बताए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाना है और ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख से तीन महीने के भीतर बैठक बुलानी होगी।

राज्यों में, ग्राम पंचायतों ने स्थायी समितियाँ बनाई हैं, जैसे, वित्त और योजना संबंधी स्थायी समिति; शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थायी समिति;

कृषि और पशु संसाधन विकास स्थायी समिति; उद्योग और बुनियादी ढाँचा स्थायी समिति; महिला, बाल विकास और समाज कल्याण स्थायी समिति। राज्य पंचायती राज अधिनियम के अनुसार यह संख्या हर राज्य में अलग-अलग हो सकती है। कुछ राज्य अधिनियमों में यह प्रावधान है कि ग्राम पंचायत यहाँ बताए गए विषयों के अलावा किसी भी विषय पर अतिरिक्त समिति भी बना सकती है।

11.3 स्थायी समितियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में शामिल हैं:

1. संबंधित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के सामने आने वाली समस्याओं की पहचान करना।
2. पंचायत समिति को क्षेत्रवार विकासात्मक जरूरतों के बारे में सिफारिश करना।
3. विभिन्न लाइन विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय करना और उन्हें स्थायी समिति की बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना।
4. समस्याओं का प्रभावी समाधान प्रदान करना और अभिसरण मोड के माध्यम से उचित योजना की पहचान करना।
5. निर्णयों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा करना और कार्यों के निष्पादन के दौरान आवश्यक सहायता प्रदान करना।
6. पहचाने गए मुद्दों पर जन जागरूकता लाना और समस्याओं को हल करने के लिए लोगों को प्रेरित करना ।
7. ग्राम सभा और अन्य सार्वजनिक सभाओं में विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा करना।
8. निगरानी समिति के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना।

11.4 वित्तीय हस्तांतरण और शक्तियों का हस्तांतरण

भारत के संविधान का अनुच्छेद 243छ, जो पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है, यह प्रावधान करता है कि किसी राज्य का विधानमंडल पंचायतों को स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए शक्तियां और अधिकार प्रदान कर सकता है और ऐसे कानून में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी; और संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पंचायतों पर शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के लिए प्रावधान हो सकते हैं। तदनुसार, 'पंचायत' राज्य का विषय है। पंचायतों को शक्तियों, जिम्मेदारियों और संसाधनों का हस्तांतरण स्थायी विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास के लिए आवश्यक माना जाता है।

11.5 राज्यों द्वारा पंचायतों को सौंपे गए कार्यों की कार्यात्मक गतिविधि का मानचित्रण

3.5.1 प्रभावी हस्तांतरण के लिए स्थानीय सरकार के प्रत्येक स्तर के लिए कार्यों का स्पष्ट सीमांकन होना चाहिए। विभिन्न स्तरों के पंचायतों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर स्पष्टता 'गतिविधि मानचित्रण' द्वारा प्रदान की जाती है, जो पंचायतों को कार्यों के हस्तांतरण में एक महत्वपूर्ण कदम बन जाता है।

3.5.2 कार्यात्मक गतिविधि मानचित्रण का आर्थ है, विषयों या क्षेत्रों को अलग-अलग करना और

सार्वजनिक वित्त एवं सार्वजनिक जवाबदेही के स्पष्ट सिद्धांतों के आधार पर सरकार के विभिन्न स्तरों को विभिन्न गतिविधियों सबसे बढ़कर, सहायकता, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और नागरिक-केंद्रितता के शासन सिद्धांत को सौंपना।

11.6 राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति - एक सांकेतिक साक्ष्य-आधारित रैंकिंग, 2024 शीर्षक वाली रिपोर्ट

मंत्रालय ने फरवरी 2025 में "राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति - एक सांकेतिक साक्ष्य-आधारित रैंकिंग, 2024" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है ताकि हस्तांतरण की प्रभावशीलता और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में स्थानीय सरकारों की भूमिका का आकलन किया जा सके। यह रिपोर्ट हस्तांतरण सूचकांक प्रस्तुत करती है, जो संविधान के भाग-IX के तहत शामिल सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए छह पहचाने गए आयामों के आधार पर समग्र अंक और रैंक प्रदान करती है: ढांचा, कार्य, वित्त, पदाधिकारी, क्षमता वृद्धि और जवाबदेही।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:

i. आईआईपीए द्वारा तैयार की गई नवीनतम रिपोर्ट से पता चलता है कि वर्ष 2013-14 से 2021-22 की अवधि के बीच हस्तांतरण 39.9% से बढ़कर 43.9% हो गया है।

ii. दिनांक 21.4.2018 को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के शुभारंभ के साथ, इस अवधि के दौरान सूचकांक का क्षमता वृद्धि घटक 44% से बढ़कर 54.6% हो गया है, यानी 10% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।

iii. इस अवधि के दौरान, भारत सरकार और राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को फिजिकल अवसंरचना प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं और ग्रामीण स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए अधिकारियों की भर्ती की है, जिसके परिणामस्वरूप पदाधिकारियों से संबंधित सूचकांक के घटक में 10% से अधिक की बढ़ोतरी देखी गई है (39.6% से 50.9%)।

1	कर्नाटक
2	केरल
3	तमिलनाडु
4	महाराष्ट्र
5	उत्तर प्रदेश
6	गुजरात
7	त्रिपुरा
8	राजस्थान
9	पश्चिम बंगाल
10	छत्तीसगढ़

50 और 55 के बीच के स्कोर के साथ, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा, 'मध्यम स्कोरिंग राज्यों' की श्रेणी में आते हैं, जो सभी उप-संकेतकों में सराहनीय निष्पादन प्रदर्शित करते हैं।

परिवर्तनकारी पहल को दर्शाती सफलता की कहानियां

उत्तर प्रदेश की 15वें से 5वें स्थान तक की उल्लेखनीय यात्रा केंद्रित शासन सुधारों की परिवर्तनकारी बदलाव का उदाहरण है। राज्य ने

अभिनव पारदर्शिता पहलों और मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के माध्यम से अपने जवाबदेही ढांचे में क्रांति ला दी है, जिससे वित्तीय जवाबदेही और लेखापरीक्षा अनुपालन में नए मानक स्थापित हुए हैं। इसी तरह, 13वें स्थान से 7वें स्थान तक त्रिपुरा की प्रभावशाली छलांग, विशेष रूप से राजस्व सृजन और वित्तीय प्रबंधन में, प्रदर्शित करती है कि छोटे राज्य स्थानीय शासन में उत्कृष्टता प्राप्त करने में समान रूप से सक्षम हैं।

11.7 कार्यात्मक गतिविधि मानचित्रण के लिए डैशबोर्ड

मंत्रालय ने संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों से संबंधित गतिविधियों का मानचित्रण करने के उद्देश्य से पंचायतों के तीन स्तरों की निधियों और पदाधिकारियों के साथ कार्यात्मक गतिविधि मानचित्रण की प्रक्रिया शुरू की है। कार्यों, निधियों और पदाधिकारियों की कार्यात्मक गतिविधि मैपिंग प्राप्त निधियों और पंचायत में उपलब्ध पदाधिकारियों की संख्या पर स्पष्टता प्रदान करेगी। यह अभ्यास राज्यों द्वारा प्राप्त कार्यात्मक गतिविधि मानचित्रण की स्थिति के आधार पर सोलहवें वित्त आयोग के अनुदान को जारी करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा।

एनआईसी द्वारा विकसित ईग्राम स्वराज पोर्टल में कार्यात्मक गतिविधि मानचित्रण को इंगित करने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उनकी प्रतिक्रिया के लिए साझा किया गया है। एनआईसी टीम ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रतिक्रिया और एनआईसी टीम के साथ हुई चर्चा के आधार पर पोर्टल में केंद्रीय-क्षेत्र की योजनाओं को शामिल करने के लिए पोर्टल में परिवर्तन किए हैं।

सार्वजनिक विमर्श में पंचायत विकेंद्रीकरण सूचकांक को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता:

पंचायत विकेंद्रीकरण सूचकांक (पी.डी.आई.) को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक ध्यान प्राप्त हुआ, जब एक प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्र में इसे राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं को प्रदत्त विकेंद्रीकरण की स्थिति के आकलन हेतु एक महत्त्वपूर्ण विश्लेषणात्मक रूपरेखा के रूप में रेखांकित किया गया।

लेख में सूचकांक को सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद को सुदृढ़ करने, विकेंद्रीकरण की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देने तथा राज्यों को पंचायतों के कार्यात्मक, वित्तीय एवं प्रशासनिक सशक्तीकरण को और सुदृढ़ करने के लिए प्रेरित करने वाले एक प्रभावी उपकरण के रूप में उल्लेखित किया गया, जिससे जमीनी स्तर पर शासन को अधिक सशक्त एवं परिणामोन्मुख बनाया जा सके।

The Indian EXPRESS

EDITORIALS COLUMNS

What the Panchayat Devolution Index reveals about strengthening local governance

Weak devolution hampers progress in health, nutrition, sanitation, and education, where local knowledge and quick decisions are essential. Without clear roles, accountability, trained staff, or financial control, Panchayats often remain symbolic despite having physical infrastructure

केंद्रीय वित्त आयोग-
राजकोषीय हस्तांतरण

अध्याय 12

केंद्रीय वित्त आयोग- राजकोषीय हस्तांतरण

12.1 राज्यों में ग्राम पंचायतों/स्थानीय निकायों (आरएलबी) को केंद्रीय वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित वित्तीय हस्तांतरण प्रदान किया जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 केंद्रीय वित्त आयोगों को संघ, राज्यों और उनके संबंधित स्थानीय निकायों के वित्त की स्थिति का आकलन करने और राज्यों एवं स्थानीय निकायों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए करों के साथ-साथ अनुदानों को साझा करने की सिफारिश करने का आधार प्रदान करता है।

12.2 संविधान के अनुच्छेद 280(3) (खख) में 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा यह जोड़ा गया है कि केंद्रीय वित्त आयोग ष्राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए राज्य के समेकित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायोंष पर सिफारिशें करेगा।

12.3 संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के बाद, दसवें वित्त आयोग से शुरू होने वाले केंद्रीय वित्त आयोग इन संवैधानिक जरूरतों के अनुसार पंचायतों को पुरस्कार देने की सिफारिश कर रहे हैं। पंचायती राज मंत्रालय के पास पंचायतों/आरएलबी को केंद्रीय वित्त आयोग के वित्तीय हस्तांतरण को प्रभावी ढंग से लागू करने और उसकी निगरानी करने का प्रावधान है।

12.4. पंद्रहवां वित्त आयोग (XV वित्त आयोग) (अवधि 2020-26)

12.4.1. केंद्रीय पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) ने दो रिपोर्ट प्रस्तुत कीं, अर्थात्, 2020-2021 के लिए अंतरिम रिपोर्ट और 2021-2026 के लिए अंतिम रिपोर्ट। आरएलबी को पंद्रवे वित्त आयोग अनुदान की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

i. राज्यों में पंचायतों/आरएलबी के सभी स्तरों को अनुदान आवंटित किया गया था, जिसमें गैर-भाग IX राज्यों में पहले से बहिष्कृत क्षेत्र और XIV वित्त आयोग द्वारा ब्लॉक और जिला पंचायतों के स्तर शामिल हैं।

ii. पिछली चौदहवीं वित्त आयोग की तुलना में पंचायतों/आरएलबी को उच्च स्तर के अनुदान आवंटित किए गए थे (48.56% की वृद्धि) (2,00,292 करोड़ रुपये से 2,97,555 करोड़ रुपये – जिसमें अंतरिम अवधि के लिए 60,750 करोड़ रुपये शामिल हैं)।

iii. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं तक बेहतर पहुंच की आवश्यकता पर जोर देते हुए राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में जल आपूर्ति और स्वच्छता की पहचान की।

iv. स्थानीय निकाय अनुदान आवंटन को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया: टाइड अनुदान और अनटाइड अनुदान।

v. टाइड अनुदान (कुल आवंटन का लगभग 60%) जल आपूर्ति, स्वच्छता और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए निर्धारित किया गया है।

vi. ग्यारहवीं अनुसूची के तहत 29 विषयों के लिए स्थानीय निकायों द्वारा अनटाइड अनुदान दिया जा सकता है।

vii. पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए खातों के डिजिटलीकरण और पंचायतों/आरएलबी की लेखा परीक्षा के लिए अनुदान जारी करने को जोड़ा गया।

viii. राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) के समुचित गठन और पंचायती वित्त के पूरक के लिए राज्यों द्वारा उनकी सिफारिशों के कार्यान्वयन पर जोर दिया गया।

12.4.2. पंचायतों/आरएलबी को पन्द्रहवे वित्त आयोग अनुदान की विभिन्न श्रेणियों की मुख्य विशेषताएं तालिका 12.1 में नीचे दी गई हैं:

तालिका 11.1

क्रं सं	अनुदान के प्रकार	आवंटन	उपयोगिता के क्षेत्र	कार्यान्वयन मंत्रालय
1.	मूल (अनटाइड) अनुदान	**अंतरिम अवधि** (2020-21): 50% अवॉर्ड अवधि (2021-26): 40%	वेतन और अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर, XI अनुसूची में निहित 29 विषयों के तहत आवश्यकताएँ महसूस की गई।	एमओपीआर
2.	टाइड अनुदान	**अंतरिम अवधि** (2020-21): 50% अवॉर्ड अवधि (2021-26): 60%	पेयजल और स्वच्छता/ओडीएफ के राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले फोकस क्षेत्रों के लिए प्रत्येक में 50% पर उपयोग किया जाना है। (पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण और ओडीएफ स्थिति का स्वच्छता और रखरखाव)। यदि किसी स्थानीय निकाय ने एक श्रेणी को पूरी तरह से संतृप्त कर दिया है, तो वह अन्य श्रेणी के लिए धन का उपयोग कर सकता है। पर्यवेक्षण प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा विधिवत पुष्टि किए जाने के बाद संबंधित ग्राम सभा/ग्राम सभा द्वारा इसे प्रमाणित किया जाएगा।	डीडीडब्ल्यूएस (जल शक्ति मंत्रालय और एमओपीआर
3.	स्वस्थ अनुदान	अवधि (2021-26) – स्थानीय निकायों के लिए 70,051 करोड़ रुपये, जिसमें से 43,928 करोड़ रुपये पंचायतों/आरएलबी के लिए हैं।	स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

12.4.3. अनुदानों का आवंटन और वितरण:

क. वित्त वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए पंद्रवे वित्त आयोग अनुदान का कुल आवंटन 60,750 करोड़ रुपये और 2021-2026 की अवधि के लिए 2,36,805 करोड़ रुपये है। राज्यों के बीच कुल अनुदान का परस्पर वितरण जनसंख्या के लिए 90:10 पर आधारित किया गया था।

ख. नवीनतम राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर और निम्नलिखित बैंड के अनुरूप राज्यों द्व ारा अंतर-स्तरीय वितरण का निर्णय लिया जाएगा:

- ग्राम/ग्राम पंचायतों के लिए 70-85 %।
- ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायतों के लिए 10-25%
- जिला/जिला पंचायतों के लिए 5-15%
- दो-स्तरीय प्रणाली वाले राज्यों में, जिनमें केवल ग्राम और जिला पंचायतें हैं, वितरण ग्राम/ग्राम पंचायतों के लिए 70-85% और जिला/जिला पंचायतों के लिए 15-30% के बैंड में होगा।

ग. इंट्रा-टियर वितरण नवीनतम एसएफसी की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर 90:10 के अनुपात में होगा। बहिष्कृत क्षेत्र में पारंपरिक निकायों के लिए, वितरण 90:10 के अनुपात में जनसंख्या और क्षेत्र पर आधारित होगा। राज्यवार अंतर-स्तरीय वितरण मानदंडों का विवरण अनुलग्नक VI में दिया गया है।

12.4.4. पंद्रहवें वित्त आयोग के दिशानिर्देशों का दस्तावेजीकरण

दस्तावेज/दिशानिर्देश	यूआरएल
''स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाना'' पर पंद्रवे वित्त आयोग अनुदान की अंतिम रिपोर्ट का अध्याय 7	https://panchayat.gov.in/finance-commission/central-finance-commissions-reports-related-to-rural-local-bodies-rlbs/
आरएलबी के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देश।	https://panchayat.gov.in/notice/ministry-of-finances-operational-guidelines-for-central-finance-commission-rlbs-grants/
आरएलबी द्वारा 15वें वित्त आयोग के अनटाइड अनुदान के साथ किए जा सकने वाले कार्यों/गतिविधियों से संबंधित एमओपीआर के दिशानिर्देश।	https://panchayat.gov.in/document-category/advisories-issued-by-ministry-of-panchayati-raj-on-cfc-grants/

12.4.5 राज्यों में आरएलबी को पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान का राज्य/वर्ष-वार आवंटन और जारी **अनुलग्नक VII** में किया गया है।

31.12.2025 को केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान के आवंटन और जारी करने के लिए डेटा चार्ट।

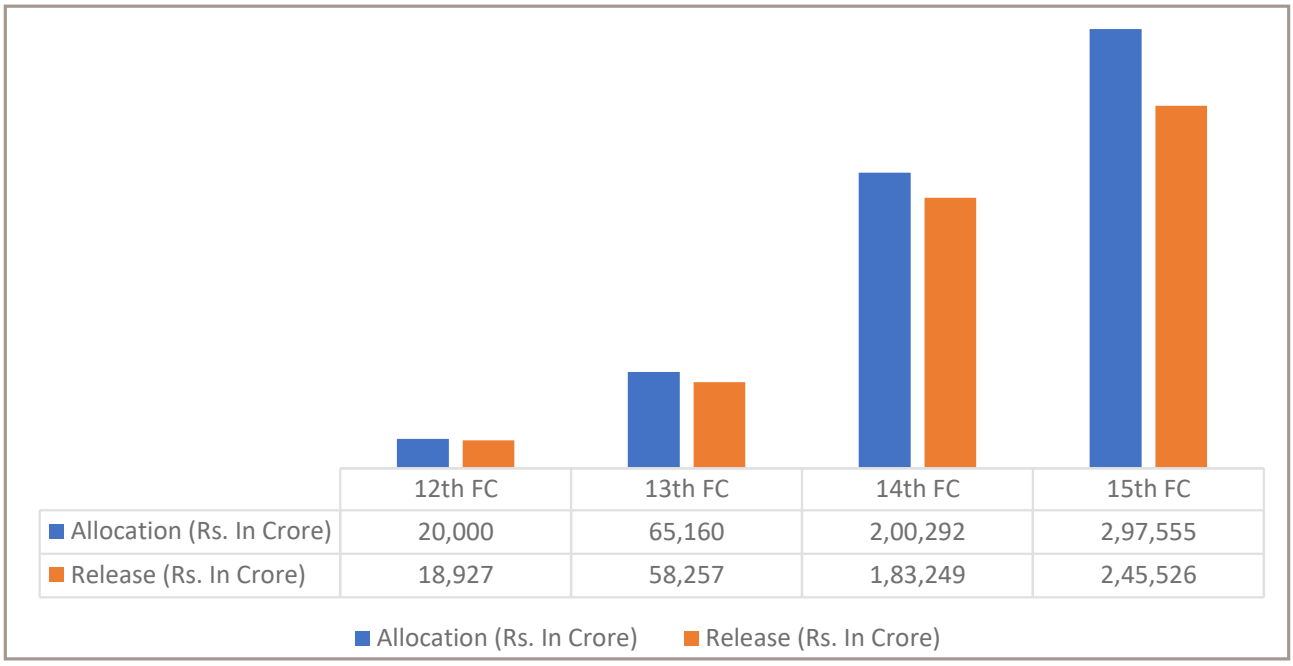

	12th FC	13th FC	14th FC	15th FC
Allocation (Rs. In Crore)	20,000	65,160	2,00,292	2,97,555
Release (Rs. In Crore)	18,927	58,257	1,83,249	2,45,526

*15वें वित्त आयोग अनुदान अभी भी पिछले वर्ष और चालू वर्ष के लिए जारी किए जा रहे हैं।

दिनांक 31.12.2025 को राज्यों में आरएलबी को वर्षवार आवंटन और पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान को जारी करने के लिए डेटा चार्ट।

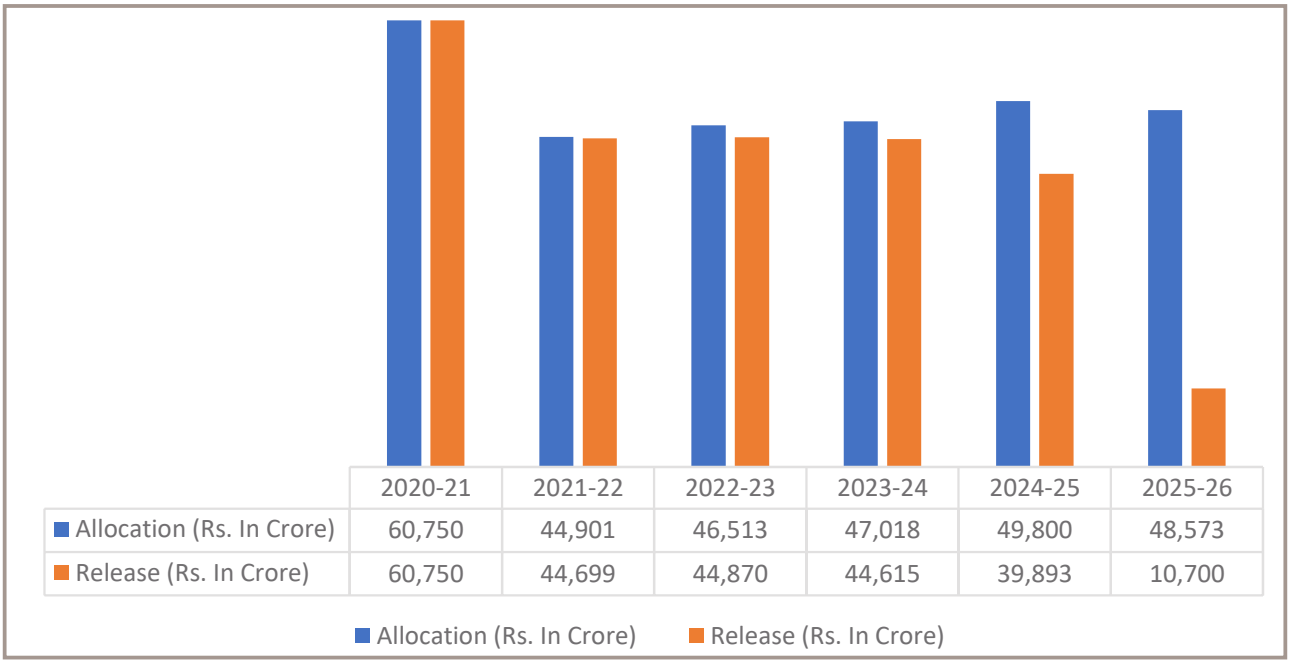

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
Allocation (Rs. In Crore)	60,750	44,901	46,513	47,018	49,800	48,573
Release (Rs. In Crore)	60,750	44,699	44,870	44,615	39,893	10,700

*15वीं वित्त आयोग अनुदान अभी भी पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के लिए जारी किए जा रहे हैं।

केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आवंटन का डेटा चार्ट

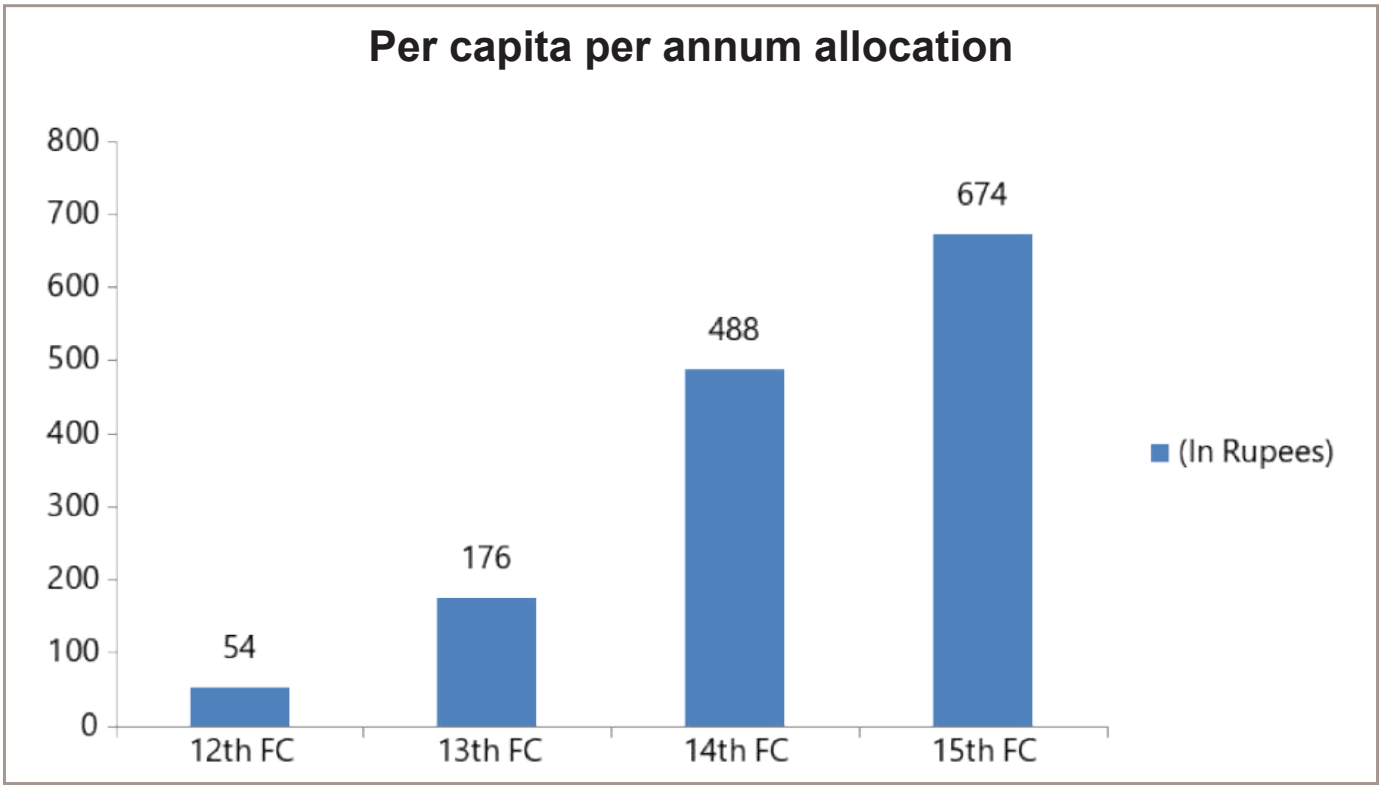

12.5. पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों की जारी और उपयोग की निगरानी

पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदानों को समय पर जारी करने और उपयोग की निगरानी के लिए एमओपीआर के कदम इस प्रकार हैं:

क. अनुदानों को नियमित रूप से जारी करने के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने हेतु आरएलबी को हेंडहोल्डिंग सहायता/ क्षमता निर्माण के लिए राज्यों के साथ नियमित बैठकें और विचार विमर्श।

ख. 'ई-ग्रामस्वराज (ईजीएस)' के ऑनलाइन पोर्टल का प्रावधान जो राज्य द्वारा पंचायतों/ आरएलबी को सभी पंद्रहवें वित्त आयोग को जारी करने के साथ ही पीएफएमएस इंटरफेस के माध्यम से विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं के सभी भुगतान की निगरानी करता है।

ग. मोबाइल ऐप – एमएक्शनसॉफ्ट के साथ वित्त आयोग के अनुदान से बनाई गई सभी फिजिकल परिसंपत्तियों की जियो -टैगिंग।

घ समय पर वित्तीय लेखापरीक्षा के लिए ऑडिटऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंचायतों/आरएलबी के वार्षिक खातों की ऑनलाइन लेखापरीक्षा को सक्षम करें।

ड. पंडरवें वित्त आयोग अनुदानों के उपयोग की निगरानी करने और राज्यों और आरएलबी को कार्यान्वयन के मुद्दों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सचिव, पंचायती राज की अध्यक्षता में पंद्रहवीं वित्त आयोग समन्वय समिति का गठन किया गया।

12.6. राज्य वित्त आयोग

1. संविधान के अनुच्छेद 243-झ में राज्य वित्त

आयोगों (एसएफसी) के गठन का प्रावधान है, जिनके पास राज्य और पंचायतों के बीच लगाए जाने वाले करों, शुल्कों, टोल और फीस की नेट आय के वितरण की सिफारिश करने के लिए संदर्भ की शर्तें होंगी और ऐसे कर, शुल्क, टोल और फीस जो पंचायतों को अपने राजस्व स्रोतों और राज्य स्तर के अनुदानों या पंचायतों को आवंटित किए जा सकते हैं ताकि पंचायत वित्त में सुधार किया जा सके।

2. वित्त वर्ष 2024-25 से पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान प्राप्त करने की दिशा में एसएफसी की सिफारिशों की उचित पात्रता शर्त के अनुपालन और कार्यान्वयन को सक्षम बनाने के लिए, एमओपीआर इस मानदंड को पूरा करने के लिए राज्यों के साथ सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। इन प्रयासों के कारण, कई राज्यों ने इसके लिए सक्रिय उपाय किए हैं।

3. सभी राज्यों ने राज्य वित्त आयोग का गठन किया है। एसएफसी का विवरण अनुलग्नक VIII में दिया गया है।

12.7 चार स्तरीय से छह स्तरीय लेखांकन संरचना में बदलाव

पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के लेखा और वित्तीय शासन फ्रेमवर्क को मजबूत करने में एक उल्लेखनीय सुधार किया है, इसके तहत लेखा प्रमुख प्रणाली का पुनर्गठन और मानकीकरण किया गया है और नियोजित गतिविधियों को उनके उपयुक्त व्यय वर्गीकरण के साथ जोड़ा गया है। पंचायत खातों के अनुकूलन के लिए समिति (सीओपीए) के काम के माध्यम से, मंत्रालय चार-स्तरीय से छह-स्तरीय लेखा संरचना में परिवर्तित हो रहा है और बैकएंड मानचित्रण शुरू कर रहा है जो नियोजित गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर भुगतान वाउचर के स्वतः उत्पादन को सक्षम बनाता है। यह स्वचालन मैन्युअल त्रुटियों को काफी कम करता है, व्यय के सही वर्गीकरण को सुनिश्चित करता है, और सार्वजनिक निधि उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है। ग्यारहवीं अनुसूची के सभी 29 विषयों में इस मानकीकृत और प्रौद्योगिकी-संचालित लेखा प्रणाली को लागू करके, मंत्रालय वित्तीय अखंडता को मजबूत कर रहा है, सेवा प्रदायगी में सुधार कर रहा है, और पीआरआई एवं पारंपरिक स्थानीय निकायों के लिए अधिक कुशल और विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्टिंग पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ा रहा है।

12.8 ग्रामीण स्थानीय निकायों के स्वयं के राजस्व स्त्रोतों में वृद्धि

i. ***ग्राम पंचायतों द्वारा स्वस्रोत राजस्व सृजन पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी.ओ.टी.) कार्यक्रमः***

ग्राम पंचायतों का स्वस्रोत राजस्व (ओ.एस.आर.) उनकी वित्तीय आत्मनिर्भरता, उत्तरदायित्व तथा स्वतंत्र रूप से विकास योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन की क्षमता का आधार है। ओ.एस.आर. का सुदृढ़ीकरण आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में एक केंद्रीय तत्व है। इसी परिप्रेक्ष्य में, दिनांक 23 जून 2025 को पंचायती राज मंत्रालय ने भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के सहयोग से "ग्राम

पंचायतों द्वारा स्वस्रोत राजस्व सृजन" मॉड्यूल पर तीन दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया, जो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 16 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से 65 मास्टर प्रशिक्षकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान स्वस्रोत राजस्व की आधारभूत अवधारणाएँ, राजस्व वृद्धि हेतु रणनीतिक दृष्टिकोण, बेहतर कर संग्रहण के लिए व्यवहार विज्ञान का उपयोग, ग्राम विकास में स्वस्रोत राजस्व का प्रभावी उपयोग, नवोन्मेषी वित्तपोषण की अवधारणाएँ, अभिनव परियोजना वित्तपोषण विकल्पों का अन्वेषण, सतत विकास के लिए राजस्व पूर्वानुमान एवं योजना निर्माण, राजस्व संवर्धन के लिए स्वॉट विश्लेषण तथा ग्राम पंचायत विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु परियोजना प्रबंधन जैसे विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

i. ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को उनके स्वयं के राजस्व स्त्रोत (ओएसआर) को बढ़ाने में एमओपीआर सक्रिय रूप से सहायता कर रहा है, जिससे उनकी स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता में सहायता मिलती है। इस उद्देश्य के साथ, मंत्रालय ने एक समर्पित पंचायत राजस्व संवर्धन प्रकोष्ठ (पीआरईसी / ओएसआर प्रकोष्ठ) की स्थापना की है और नवंबर, 2025 से शुरू होने वाले अगले चार वर्षों में कुल 350 ग्राम पंचायतों की पहचान करने और उन्हें विकास केंद्रों के रूप में बदलने के लिए आरजीएसए योजना के तहत एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के लिए एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) पहले ही नियुक्त की जा चुकी है।

ii. मंत्रालय अपने राजस्व स्त्रोत के लिए आदर्श नियम विकसित करने पर भी काम कर रहा है, जो राज्यों को अपने मौजूदा ढांचे को तैयार करने या संशोधित करने में सहायता करेगा। इन आदर्श नियमों का उद्देश्य पंचायती राज

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के सहयोग से "ग्राम पंचायतों द्वारा स्वस्रोत राजस्व सृजन" विषय पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी.ओ.टी.) कार्यक्रम

संस्थाओं (पीआरआई) को स्वयं के राजस्व स्रोतों को बढ़ाने, प्रबंधित करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त बनाना है।

iii. समर्थ पोर्टल (समर्थ पंचायत .gov.in) को पंचायतों को स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) की मांगों का आकलन, सृजन और प्रबंधन करने में मदद करने के लिए विकसित किया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कर और गैर-कर राजस्व - जैसे भवन कर, हाट शुल्क, होर्डिंग अनुमति, भवन योजना अनुमोदन, किराए और अन्य विविध शुल्क - को व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड, मॉनिटर और पारदर्शी तरीके से एकत्र किया जा सकता है। यह पोर्टल वर्तमान में कुछ राज्यों में लागू किया जा रहा है, और इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू करने की योजना है।

iv. मंत्रालय ने 'स्वयं के राजस्व स्रोतों (ओएसआर) के उत्पादन के लिए एक व्यवहार्य वित्तीय मॉडल की तैयारी' पर एक अध्ययन शुरू किया है, जो राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) द्वारा संचालित किया जा रहा है।

12.9. पंचायती राज संस्थाओं के लिए आपदा प्रबंधन योजनो

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के बाद, माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री द्वारा मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना जारी की गई और राज्यों के साथ साझा की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए इस पर प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा।

पीआरआई के लिए आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) का उद्देश्य जमीनी स्तर पर आपदा लचीलापन बढ़ाना है, जिससे गांव से लेकर जिला पंचायत स्तर तक समुदाय आधारित योजना पर जोर दिया जा सके। इस योजना में ग्राम आपदा प्रबंधन योजनाओं, खतरे के जोखिम भेद्यता मूल्यांकन, बाढ़ के मैदानी क्षेत्र के लिए सिफारिशें और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ प्रयासों को संरेखित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने पर्वतीय राज्यों को अचानक होने वाली बाढ़ पर एड्वाइजरी जारी की है और स्थानीय जलवायु कार्य योजनाओं और संशोधित राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कारों में एक विशेष श्रेणी के माध्यम से कार्बन न्यूट्रालिटी को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है।

इसके अलावा, पंचायती राज मंत्रालय आपदा जोखिम अनुकूलन पर पीआरआई की क्षमता निर्माण पर एक संयुक्त कार्यक्रम के लिए एनडीएमए के साथ भी विचार विमर्श कर रहा है।

12.10 ईग्रामस्वराजगेम इंटरफेस

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल 2023 को ई-ग्रामस्वराजगेम इंटरफेस लॉन्च किया गया था। इस इंटरफेस ने सभी पंचायतों को जीईएम के माध्यम से अपनी वस्तुओं/सेवाओं की खरीद के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान का उपयोग करने और ई-ग्रामस्वराज के माध्यम से सहज तरीके से योजना/भुगतान करने में सक्षम बनाया है। इस एकीकरण से ग्रामीण मांग और आपूर्ति पारिस्थितिकी तंत्र पर बहुत बढ़ावा मिलेगा क्योंकि राज्य स्वयं सहायता समूहों, स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्प निर्माताओं आदि को जीईएम में

खुद पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके अलावा, पंचायतों को लाभ होगा क्योंकि उनकी सभी खरीद पारदर्शी होगी, मानकीकृत दरों पर की जाएगी। इस इंटरफेस को वर्तमान में पूरे भारत में 22 राज्यों' द्वारा अपनाया गया है, जिसमें 1,13,012* से अधिक पंचायतें पहले से ही इस इंटरफेस पर पंजीकृत हो चुकी हैं (*19 नवंबर 2025 तक)।

12.11. ऑडिट ऑनलाइन।अ

ऑडिटऑनलाइन के लिए डैशबोर्ड

पंद्रहवें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों में स्थानीय निकाय स्तर पर लेखापरीक्षित खातों की अनुपलब्धता पर चिंता व्यक्त की है। इस महत्वपूर्ण संस्थागत सुधार को उल्लेखित करने के लिए, एमओपीआर ने पंचायत खातों की ऑनलाइन लेखा परीक्षा करने के लिए 15 अप्रैल 2020 को ऑडिट ऑनलाइन एप्लिकेशन शुरू किया ख्र जिससे पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन एवं पारदर्शिता को और मजबूत किया जा सकें। ऑडिटऑनलाइन को पंचायत खातों की ऑनलाइन ऑडिट करने और जवाबदेही एवं पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। ऑडिटऑनलाइन न केवल खातों की लेखापरीक्षा की सुविधा प्रदान करता है बल्कि किए गए ऑडिट रिकॉर्ड को बनाए रखने के प्रावधान भी करता है। यह एप्लिकेशन ई-ग्रामस्वराज के लेखांकन मॉड्यूल के साथ एकीकृत किया गया है जिसके तहत लेखापरीक्षक पंचायत खातों से संबंधित विभिन्न जानकारी जैसे वार्षिक रसीद और भुगतान विवरण, समेकित सार रजिस्टर, मासिक समाधान विवरण, वाउचर विवरण, कैश बुक रिपोर्ट आदि तक पहुंच सकते हैं। ऑडिटऑनलाइन के मुख्य अनूठे पहलुओं में से एक; यह है कि यह पूरी तरह से कॉन्फिगर करने योग्य एप्लिकेशन है, अर्थात इस एप्लिकेशन को राज्यों के ऑडिट प्रक्रिया प्रवाह के अनुसार आवेदन को संशोधित/ कॉन्फिगर किया जा सकता है।

पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार अनुदान के लिए पात्र होने के लिए; ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को निम्नलिखित शर्तें सुनिश्चित करनी चाहिए:

i) **वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए**, राज्यों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कम से कम 25% ग्रामीण स्थानीय निकायों के

पास पिछले वर्ष अर्थात क्रमशः 2019-20 और 2020-21 के ऑडिट किए गए खाते सार्वजनिक डोमेन में पहले से उपलब्ध हो।

ii) वर्ष 2023-24 से, सभी ग्रामीण स्थानीय निकायों के पिछले वर्ष यानी 2022-23, के ऑडिट किए गए खाते सार्वजनिक डोमेन में ऑनलाइन उपलब्ध होने चाहिए।

ऑडिटऑनलाइन पर वर्तमान स्थिति तालिका 12.1 में नीचे सारणीबद्ध है:

तालिका 12.1

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24**
पंजीकृत लेखा परीक्षकों की संख्या।	11,278	12,194	12,194	12,194	12,194
ऑडिट किए जाने के लिए पंजीकृत की संख्या*	2,62,261	2,63,483	2,62,846	2,62,878	2,62,379
सृजित लेखापरीक्षा योजनाओं की संख्या	2,58,116	2,45,651	2,61,755	2,60,148	2,52,804
रिकॉर्ड की गई टिप्पणियों की संख्या।	27,03,086	22,37,441	24,84,138	27,12,551	27,64,452
लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार की जानी है (लक्ष्य)	2,62,261	263483	262846	2,62,878	2,62,379
तैयार की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट	2,55,167 (97.2%)	2,27,685 (86.4%)	2,58,886 (98.4%)	2,58,475 (98.3%)	2,50,603 (95.5%)

(*पंचायती राज संस्था - जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत)

**राज्य वर्तमान में 2022-23 और 2023-24 खातों की लेखा परीक्षा की प्रक्रिया में हैं।

लेखापरीक्षा अवधि 2021-22, 2022-23, 2023-24 के लिए राज्य-वार प्रगति अनुलग्नक IX (क), IX (ख) और IX (ग) में रखी गई है।

ऑडिटऑनलाइन पर वर्तमान स्थिति का डेटा चार्ट

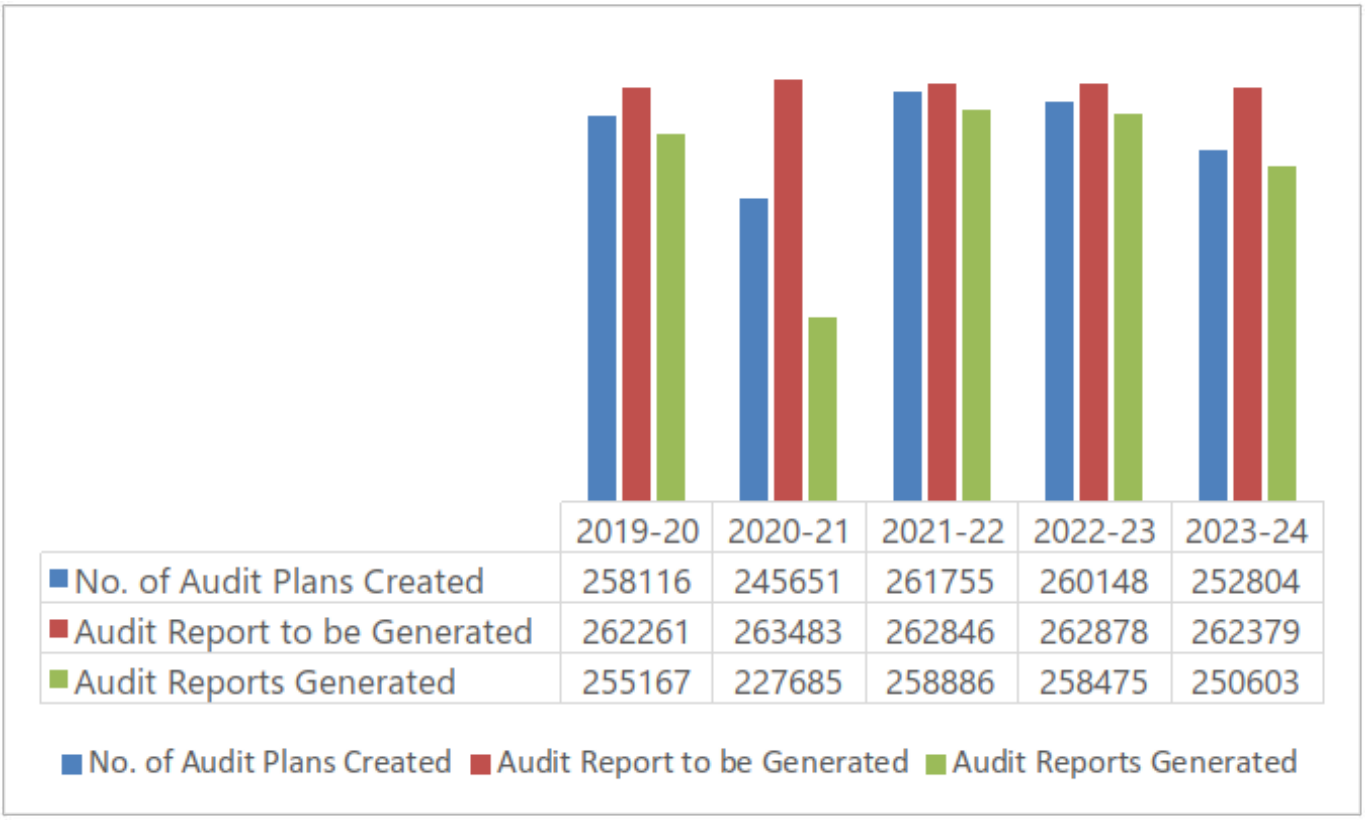

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
No. of Audit Plans Created	258116	245651	261755	260148	252804
Audit Report to be Generated	262261	263483	262846	262878	262379
Audit Reports Generated	255167	227685	258886	258475	250603

*राज्य वर्तमान में 2022-23 और 2023-24 खातों की लेखा परीक्षा की प्रक्रिया में हैं

ऑडिट ऑनलाइन के लाभ।

1. लेखापरीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही में सुधार करता है।
2. पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करता है और उनकी विश्वसनीयता को बढ़ाता है।
3. कागज आधारित प्रणाली से कंप्यूटर आधारित प्रणाली में परिवर्तन।
4. लेखापरीक्षित खातों की समय पर उपलब्धता।

12.12 जवाबदेही और पारदर्शिता के सिद्धांत को और मजबूत करते हुए, मंत्रालय ने **अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मॉड्यूल** को शामिल करके ऑनलाइन ऑडिट प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए एक मजबूत प्रणाली को भी विकसित किया है। इस तरह के एटीआर मॉड्यूल का उद्देश्य ऑडिट में मिली कमियों पर पंचायतों द्वारा की गई कार्रवाइयों पर स्पष्टता के माध्यम से जवाबदेही लाना है। ऑडिट में मिली कमियों पर एक अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मॉड्यूल न केवल जमीनी स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करेगा बल्कि यह सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा कि धनराशि सार्वजनिक उपयोग के लिए उपयोग की जा रही है। राज्यों से यह भी उम्मीद की जाती है कि वे दिए गए वित्तीय वर्ष में पंचायत के अनंतिम खातों के पूरा होते ही ऑडिट प्रक्रिया को तेज करें और ऑडिट प्रक्रिया अगले साल जल्द ही शुरू हो जाएगी; और राज्यों से ऑडिट पूरा करने की उम्मीद की जाएगी। इस संबंध में राज्यों को दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं।

12.13 मानकीकृत लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र

वर्ष 2021 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) के कार्यालय ने ष्पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देशष जारी किए थे। यह दिशानिर्देश वित्तीय/प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा प्रक्रिया और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को 'अनुपालन' और 'प्रदर्शन' ऑडिट से अलग करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। इसके अलावा, ये दिशानिर्देश वित्तीय लेखापरीक्षा के ढांचे और केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और पंचायती राज संस्थाओं में खातों की संरचना को शामिल करते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने दिशानिर्देश में ऑडिटऑनलाइन में शामिल करने के लिए एक ''मानकीकृत ऑडिटर प्रमाणपत्र'' भी निर्धारित किया है।

लेखापरीक्षा अवधि 2022-23 से, संबंधित प्राथमिक लेखा परीक्षक, अर्थात, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, राज्य निदेशालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, राज्य एजी और संबंधित पीआरआई की संलग्न रिपोर्ट और प्राप्ति एवं भुगतान विवरण के साथ इस मानकीकृत लेखापरीक्षक प्रमाण पत्र जारी करेंगे। यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट और विवरणों की एकरूपता सुनिश्चित करेगा जो दर्ज की जा रही टिप्पणियों की प्रकृति पर स्पष्टता के साथ उत्पन्न होते हैं।

पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में शासन

अध्याय 13

पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में शासन

13.1 संविधान के भाग IX को पांचवीं और छठी अनुसूची क्षेत्रों पर लागू करने के संबंध में संवैधानिक प्रावधानें

13.1.1 संविधान की पांचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अलावा अन्य क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित क्षेत्रों के साथ-साथ अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 243ड (1) में अनुच्छेद 244 के खंड (1) और (2) में उल्लिखित अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों को संविधान के भाग IX के प्रावधानों के लागू होने से छूट दी गई है। संविधान का अनुच्छेद 244(1) असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों में "अनुसूचित क्षेत्र" कहे जाने वाले कुछ क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करता है। हालांकि, अनुच्छेद 243ड (4) (ख) संसद को अनुच्छेद 368 के उद्देश्य के लिए संविधान के किसी भी कानून में निर्दिष्ट किए गए अपवादों और संशोधनों के अधीन, खंड (1) में उल्लिखित अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के लिए संविधान के भाग IX के प्रावधानों को कानून बनाने और विस्तारित करने का अधिकार देता है।

13.1.2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ड (4) (ख) के अनुसार, संसद ने अनुसूचित क्षेत्रों में कुछ अपवादों और संशोधन के साथ **संविधान के भाग-IX के प्रावधानों का विस्तार करने के लिए "पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधान" (पेसा अधि नियम के रूप में कहा जाता है) अधिनियमित किया।**

13.2 वर्तमान में, पांचवीं अनुसूची क्षेत्र 10 राज्यों में मौजूद हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना। अधिसूचित पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों (एफएसए) का विवरण नीचे तालिका 1.1 में दिया गया है:

तालिका 13.1

अधिसूचित पांचवीं अनुसूची क्षेत्र (एफएसए)

क्र सं	राज्य का नाम	गांव	पंचायत	ब्लॉक	जिला	
					पूर्ण रूप से शामिल किए गए	आंशिक रूप से शामिल
1.	आंध्र प्रदेश	1,586	588	36	0	5
2.	छत्तीसगढ़	9,977	5,050	85	13	6
3.	गुजरात	4,503	2,388	40	4	7

तालिका 13.1						
अधिसूचित पांचवीं अनुसूची क्षेत्र (एफएसए)						
क्रं सं	राज्य का नाम	गांव	पंचायत	ब्लॉक	जिला	
					पूर्ण रूप से शामिल किए गए	आंशिक रूप से शामिल
4.	हिमाचल प्रदेश	806	151	7	2	1
5.	झारखंड	16,022	2,074	131	13	3
6.	मध्य प्रदेश	11,784	5,211	89	5	15
7.	महाराष्ट्र	5,905	2,835	59	0	12
8.	ओडिशा	19,311	1,918	119	6	7
9.	राजस्थान	5,054	1,194	26	2	3
10.	तेलंगाना	2,616	631	72	0	4
	कुल	**77,564**	**22,040**	**664**	**45**	**63**

स्त्रोत : राज्य द्वारा प्रस्तुत डेटा।

13.3 पेसा अधिनियम, 1996 में यह प्रावधान है कि राज्य विधानमंडल अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था बनाते समय संविधान की छठी अनुसूची के वर्णित फ्रेमवर्क का अनुसरण करने का प्रयास करेगा। संविधान की छठी अनुसूची में जनजातीय स्वायत्तता को बनाए रखने और पर्वतीय जनजातियों के सांस्कृतिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए स्वायत्त जिलों के गठन का प्रावधान है।

13.4 पेसा अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

13.4.1 ग्राम सभा के विशेष अधिकार

हर गाँव की अपनी ग्राम सभा होगी। एक गाँव में एक या ज्यादा बस्तियाँ या मोहल्ले हो सकते हैं जो एक समुदाय का गठन करते हैं और अपनी परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार अपने कार्यों का संचालन करते हैं [धारा 4 (ख)]। (भाग IX के अंतर्गत ग्राम पंचायत के सभी निर्वाचक ग्राम सभा का गठन करते हैं)

13.4.2 ग्राम सभा निम्नलिखित की सुरक्षा और संरक्षण के लिए "सक्षम" है:

(क) लोगों की परंपराएँ और रीति-रिवाज, और उनकी सांस्कृतिक पहचान,

(ख) सामुदायिक संसाधन, और

(ग) विवादों को सुलझाने का पारंपरिक तरीका [धारा 4(घ)]

13.4.3 ग्राम सभा के अनिवार्य कार्यकारी दायित्व

(i) सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को मंजूरी देना [धारा 4(ड.)(i)]

(ii) गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान करना [धारा 4(ड) (ii)]

(iii) उपर्युक्त खंड (ड) में उल्लिखित योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए पंचायत द्वारा निधियों के उपयोग का प्रमाण पत्र जारी करना [धारा 4(च)]

13.4.4 ग्राम सभा/पंचायत को उचित स्तर पर दिए गए विशेष अधिकार

(i) भूमि अधिग्रहण, विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन में अनिवार्य परामर्श का अधिकार [धारा 4(झ)]

(ii) उचित स्तर पर पंचायत को लघु जल निकायों के नियोजन और प्रबंधन का काम सौंपा गया है [धारा 4(ञ)]

(iii) खदानों और खनिजों के लिए संभावित लाइसेंस/पट्टे, रियायतों के लिए ग्राम सभा या उचित स्तर पर पंचायत द्वारा अनिवार्य सिफारिशें [धारा 4(ट), (स)]

13.4.5 ग्राम सभा और उचित स्तर पर पंचायत को दिए गए अधिकार

- नशीले पदार्थों की बिक्री/खपत को नियंत्रित करना [धारा 4 (ड) (i)]
- लघु वन उपज पर स्वामित्व [धारा 4 (ड) (ii)]
- भूमि हस्तांतरण को रोकना और हस्तांतरित भूमि को बहाल करना [धारा 4(ड) (iii)]
- गाँव के बाजारों का प्रबंधन करना [धारा 4 (ड)(iv)]
- अनुसूचित जनजातियों को पैसे उधार देने पर नियंत्रण [धारा 4 (ड)(v)]
- सामाजिक क्षेत्र से संबंधित संस्थाओं और पदाधिकारियों, स्थानीय योजनाओं, जिसमें जनजातीय उप-योजनाएं और संसाधन पर नियंत्रण। [धारा 4(ड)(vi) और (vii)]

13.5 संविधान के अनुच्छेद 40 में बताए गए आभासी 'ग्राम गणराज्यों' की स्थापना के बारे में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत को पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों के लिए पेसा अधिनियम में शामिल किया गया है। इसके प्रभावी कार्यान्वयन से जनजातीय आबादी को निम्नलिखित लाभ होंगे:

(i) स्व-शासन और निर्णय लेने में लोगों की सहभागिता को संस्थागत बनाना। गांव (बस्तियों या बस्तियों के समूह/निवास या बस्तियों के समूह) स्तर पर ग्राम सभा को सूचित करके, लोग गांव के शासन में भाग लेने में अधिक सहज महसूस करेंगे।

(ii) जनजातीय क्षेत्रों में अलगाव कम होगा क्योंकि ग्राम सभा के माध्यम से गांव में सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग पर उनका नियंत्रण होगा।

(iii) जनजातीय आबादी के बीच अलगाव और संतोष में कमी का उन जिलों में वामपंथी उग्रवाद को कम करने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जो इससे प्रभावित हैं।

(iv) जनजातीय आबादी में गरीबी और पलायन कम होगा क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों जैसे छोटे जल निकायों, लघु वन उत्पादों, लघु खनिजों आदि पर उनका नियंत्रण होगा। इन संसाधनों पर नियंत्रण और प्रबंधन से उनकी आजीविका और आय में सुधार होगा।

(v) जनजातीय आबादी के शोषण को कम करना क्योंकि वे धन उधार देने, शराब की खपत और बिक्री और गाँव के बाजारों को नियंत्रित और प्रबंधित करने में सक्षम होंगे।

(vi) अवैध भूमि हस्तांतरण की जाँच करें और अवैध रूप से हस्तांतरित जनजातीय भूमि को भी

बहाल करें। इससे न केवल संघर्ष कम होगा बल्कि जनजातीयों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।

(vii) लाभार्थियों की योजना और पहचान में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के कारण विकासात्मक योजनाओं और कार्यक्रमों पर बेहतर कार्यान्वयन।

(viii) सामाजिक क्षेत्र के पदाधिकारियों पर नियंत्रण और उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति के कारण अधिक जवाबदेह और उत्तरदायी स्थानीय प्रशासन।

(ix) जनजातीय आबादी की परंपराओं, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना।

पेसा अधिनियम **अनुलग्नक X** में दिया गया है-

13.6 राज्यों में पेसा के कार्यान्वयन की स्थिति:

(i) **पेसा राज्यों ने पेसा अधिनियम, 1996 के नियमों को अपनाया है:**

राजस्थान को छोड़कर नौ पेसा राज्यों ने अपने संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों में पेसा 1996 के प्रावधानों को शामिल किया है। दसवें राज्य, राजस्थान ने राजस्थान पंचायत राज (अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने हेतु प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम 1999 को अधिसूचित किया है।

(ii) **पेसा राज्यों ने अपने पंचायती राज कानूनों के तहत पेसा नियम बनाए हैं:**

अब तक नौ पेसा राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और झारखंड ने अपने पेसा नियम बनाए हैं। ओडिशा ने पेसा नियमों का मसौदा तैयार किया है।

पेसा अधिनियम के नियमों को अपनाने और पेसा नियमों के निर्धारण का राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है-

राज्य	पेसा अधिनियम के प्रावधानों को अपनाया गया	अधिसूचित किए गए पेसा नियम
आंध्र प्रदेश	16.01.1998	24.03.2011
छत्तीसगढ	05.12.1997	08.08.2022
गुजरात	11.07.1998	17.01.2017
हिमाचल प्रदेश	24.05.2004	26.03.2011
झारखंड	10.05.2001	अधिसूचित नहीं किया गया
मध्य प्रदेश	05.12.1997	15.11.2022
महाराष्ट्र	ग्राम पंचायत के लिए दिनांक 08.08.2003	04.03.2014
	जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए दिनांक 03.01.1997	

राज्य	पेसा अधिनियम के प्रावधानों को अपनाया गया	अधिसूचित किए गए पेसा नियम
ओडिशा	ग्राम पंचायत के लिए दिनांक 21.12.1997	मसौदा नियम 10.11.2023 को अधिसूचित किए गए
	1997 के अधिनियम 16 द्वारा पंचायत समिति के लिए	
	1997 के अधिनियम 17 द्वारा जिला परिषद के लिए	
राजस्थान	30.09.1999	01.11.2011
तेलंगाना	30.03.2018	2 जून, 2014 को एक अलग राज्य बना। 2014 में आंध्र प्रदेश के पेसा नियमों, 2011 को अपनाया।

13.7 एमओपीआर द्वारा पेसा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए की गई पहल:

13.7.1 पेसा पर क्षेत्रीय सम्मेलन: इस मंत्रालय ने पेसा अधिनियम को लागू करने में राज्यों द्वारा की गई प्रगति का आकलन करने और जमीनी स्तर पर इसके कार्यान्वयन के लिए एक साझा विजन तैयार करने के लिए 11 और 12 जनवरी, 2024 को पुणे, महाराष्ट्र तथा 4 और 5 मार्च 2024 को रांची, झारखंड में पेसा पर दो क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया है। हाल में हुए

4 एवं 5 मार्च, 2024 को रांची, झारखंड में पेसा विषयक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

इन दो क्षेत्रीय सम्मेलनों से यह सामने आया है कि पेसा अधिनियम को अक्षरश: लागू करने के लिए प्रत्येक प्रमुख पेसा विषय पर एक प्रशिक्षण नियमावली आवश्यक है।

11 एवं 12 जनवरी, 2024 को पुणे, महाराष्ट्र में पेसा विषयक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना: क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान कार्य-उन्मुख क्षमता निर्माण की पहचान की गई आवश्यकता के जवाब में, मंत्रालय ने प्रमुख पेसा विषयों पर प्रशिक्षण सामग्री विकसित करने के लिए अधिकारियों की सात समितियों का गठन किया: (प) ग्राम सभा, (पप) लघु वन उपज, (पपप) लघु खनिज, (पअ) भूमि हस्तांतरण, (अ) ऋण लेना (अप) नशीले पदार्थ, और (अपप) पारंपरिक विवाद समाधान। इन सामग्रियों को 20-21 जून 2024 को एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में एक राष्ट्रीय लेखन कार्यशाला के दौरान अंतिम रूप दिया गया।

13.7.2 पेसा पर राष्ट्रीय सम्मेलन

पंचायती राज मंत्रालय ने 26 सितंबर, 2024 को नई दिल्ली में 'पेसा अधिनियम पर राष्ट्रीय सम्मेलन' का आयोजन किया है, जिसमें जनजातीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश, गैर सरकारी

26 सितम्बर, 2024 को नई दिल्ली में पेसा अधिनियम पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

संगठनों, तीन स्तरों पर दस पेसा राज्यों में से प्रत्येक से 35 निर्वाचित प्रतिनिधि, जमीनी स्तर पर पेसा लागू करने वाले संबंधित लाइन विभागों के अधिकारी, साथ ही दस पेसा राज्यों के राज्य पंचायती राज विभागों के वरिष्ठ और जमीनी स्तर के अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

सम्मेलन की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:-

मंत्रालय ने प्रमुख पेसा विषयों पर सात प्रशिक्षण नियमावली लॉन्च की गई हैं - ग्राम सभा को मजबूत करना; लघु वन उत्पाद; लघु खनिज; विवाद समाधान का पारंपरिक तरीका; ऋण लेने पर नियंत्रण; निषेध का प्रवर्तन और बिक्री को विनियमित करना/प्रतिबंधित करना; नशीले पदार्थों की खपत; और भूमि के हस्तांतरण की रोकथाम और मंत्रालय ने पेसा क्षेत्र के विकास के लिए पेसा ग्राम विकास योजना विकसित करने के लिए पेसा-जीपीडीपी पोर्टल लॉन्च किया है।

13.7.3 पेसा-जीपीडीपी एकीकरण: पेसा-जीपीडीपी पोर्टल को पेसा 2024 पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पेसा ग्राम-विशिष्ट विकास योजनाओं को विकसित करने के लिए भी लॉन्च किया गया था, ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) ढांचे के भीतर पेसा अधिनियम के तहत जनजातीय समुदायों के अधिकारों और प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास गतिविधियों की योजना और निगरानी को सुविधाजनक बनाने के लिए। पेसा-जीपीडीपी पोर्टल पेसा जीपी में केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान, राज्य वित्त आयोग अनुदान, केंद्र प्रायोजित योजनाओं, राज्य योजनाओं और अन्य निधियों के बस्ती/ग्राम-वार संसाधन आवंटन को सक्षम बनाता है, जिसका उपयोग वे ग्राम-वार गतिविधियों की योजना बनाने के लिए कर सकते हैं।

पेसा के लिए विशिष्ट विषयवार अतिरिक्त गतिविधियां, जैसे पेसा ग्राम सभा को मजबूत करना, पारंपरिक विवाद समाधान, भूमि अलगाव की रोकथाम, निषेध और नशीले पदार्थों का प्रवर्तन, लघु वन उपज का बिक्री प्रबंधन, लघु खनिज और धन उधार पर नियंत्रण, को भी पेसा क्षेत्र ग्राम पंचायतों के लिए जीपीडीपी पोर्टल में जोड़ा गया है। जीपी ने राष्ट्रीय कार्यशाला के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ग्राम स्तर पर अपने जीपीडीपी की योजना बनाना शुरू कर दिया है।

13.7.4 24 दिसंबर 2024 को पेसा दिवस समारोह

मंत्रालय ने सभी दस पेसा राज्यों से पेसा अधिनियम के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बेहतर शासन के लिए हितधारकों की क्षमता का निर्माण करने के उद्देश्य से पेसा दिवस के रूप में 24 दिसंबर

24 दिसम्बर, 2024 को रांची, झारखंड में पेसा दिवस समारोह आयोजित किया गया।

2024 को मनाने का अनुरोध किया था, जिसमें ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने और अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के कामकाज में सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया था।

राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव ने रांची में की, जहां अनुसूची ट क्षेत्रों के स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों, आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के विशेषज्ञों ने अधिनियम के विभिन्न पहलुओं और आदर्श एवं वास्तविक स्थितियों के बीच के अंतर को कम करने के लिए आवश्यक कार्यों पर एक दिवस का विचार-विमर्श किया गया।

13.7.5 पेसा राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना

मंत्रालय ने प्रमुख राज्यों के सहयोग से वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रमुख पेसा विषयों पर प्रत्येक प्रशिक्षण नियमावली पर राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों के सात प्रशिक्षण आयोजित किए हैं। प्रशिक्षण का विवरण निम्नानुसार है:

क्रं सं	प्रमुख राज्य	दिनांक	पेसा प्रशिक्षण/नियमावली
1.	महाराष्ट्र	22-23 अगस्त 2024	ग्राम सभा को मजबूत बनाना
2.	आंध्र प्रदेश	29-30 अगस्त 2024	लघु वन उत्पाद
3.	छत्तीसगढ	2-3 सितंबर, 2024	लघु खनिज
4.	तेलंगाना	18-19 सितंबर, 2024	भूमि के हस्तांतरण की रोकथाम
5.	मध्य प्रदेश	8-9 अक्टूबर, 2024	ऋण लेने पर नियंत्रण
6.	हिमाचल प्रदेश	15 अक्टूबर 2024	नशीले पदार्थों की बिक्री और सेवन पर रोक लगाना
7.	ओडिशा	22-23 अक्टूबर, 2024	विवाद समाधान का पारंपरिक तरीका

मंत्रालय ने दिनांक 09.07.2025 के पत्र के माध्यम से सात एंकर राज्यों से इस वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा सत्र आयोजित करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में, विभिन्न राज्यों में निम्नलिखित प्रशिक्षण पूरे किए गए हैं:-

क्रं सं	प्रमुख राज्य	प्रशिक्षण की तिथि	पेसा प्रशिक्षण/नियमावली
1.	महाराष्ट्र	30-31 अक्टूबर , 2025	ग्राम सभा का सुदृढ़ीकरण
2.	आंध्र प्रदेश	10-11 सितंबर , 2025	लघु वनोपज
3.	छत्तीसगढ़	09-10 अक्टूबर, 2025	लघु खनिज
4.	तेलंगाना	11-12 नवंबर , 2025	भूमि के हस्तांतरण की रोकथाम।
5.	मध्य प्रदेश	15-16 अक्टूबर, 2025	धन उधार पर नियंत्रण
6.	हिमाचल प्रदेश	26 सितंबर 2025	निषेध का प्रवर्तन और मादक पदार्थों की बिक्री और सेवन।
7.	ओडिशा	28-29 अक्टूबर, 2025	विवाद समाधान का पारंपरिक तरीका

13.7.6 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में उत्कृष्टता केंद्र का गठन:

पंचायती राज मंत्रालय ने जनजातीय समुदायों के लिए पेसा अधिनियम को लागू करने के प्रयासों को संस्थागत बनाने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) बनाने के लिए एक परियोजना शुरू की। इस पहल के लिए, मंत्रालय ने जनजातीय अध्ययन विभागों और जनजातीय अध्ययन में लगे विश्वविद्यालयों वाले राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग के साथ संवाद किया। जवाब में, उच्चतर शिक्षा विभाग ने ऐसे लगभग 16 विश्वविद्यालयों को सूचित किया।

'एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केंद्र का गठन' के प्रस्ताव के लिए अनुरोध 16 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को परिचालित किया गया था। आरएफपी के आधार पर, 08 केंद्रीय विश्वविद्यालयों से 08 प्रस्ताव प्राप्त हुए। बाद में राज्य सरकार की ओर से लागत का राज्य का हिस्सा वहन करने की इच्छा के साथ, मंत्रालय द्वारा पांच वर्षों के लिए भारत सरकार के 5,77,93,800 रुपये के हिस्से के साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश में पेसा के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

24 जुलाई 2025 को, पंचायती राज मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (आईजीएनटीयू), अमरकंटक के सहयोग से आईजीएनटीयू में पेसा पर उत्कृष्टता

पंचायती राज मंत्रालय ने 24 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश सरकार तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के साथ पेसा पर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.य)

केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह पहल जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में एक बड़ा कदम है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने उत्कृष्टता केंद्र का मार्गदर्शन करने के लिए एक कार्यक्रम सलाहकार बोर्ड (पीएबी) का गठन किया है। पीएबी के उद्देश्य जनजातीय समुदायों का क्षमता निर्माण, प्रथागत कानून और प्रथाओं का संरक्षण और संवर्धन और संस्थागत सहायता और अनुसंधान को मजबूत करना है।

18 अगस्त, 2025 को आयोजित दूसरी बैठक में, पीएबी के सदस्यों ने वर्ष 2025-26 के लिए कार्य योजना को मंजूरी दी है, जिसमें विवाद समाधान के पारंपरिक/प्रथागत तरीके के दस्तावेजीकरण, परंपराओं और रीति-रिवाजों के संहिता, जनजातीय क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं के दस्तावेजीकरण, प्रशिक्षण मैनुअल, पेसा राज्यों में 5 मॉडल पेसा ग्राम सभाएं, स्थानीय/आदिवासी भाषाओं में पेसा पर आईईसी सामग्री पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वर्तमान में, आईएमटीयू एमओपीआर और डीओपीआर, मध्य प्रदेश के नियमित समन्वय के साथ अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार सीओई के काम से गुजर रहा है।

हाल ही में, ईजीएनटीयू ने जनशक्ति को कार्य पर रखने के लिए विज्ञापन के प्रसार के लिए पंचायती राज मंत्रालय की मंजूरी मांगी है, पंचायती राज मंत्रालय ने तदनुसार आईजीएनटीयू के लिए उत्तर का मसौदा तैयार किया है कि उत्कृष्टता केंद्र का काम आईजीएनटीयू के कार्यक्षेत्र में है और पंचायती राज मंत्रालय की विज्ञापन को मंजूरी देने में कोई भूमिका नहीं है। आईजीएनटीयू को जवाब देने के लिए फाइल प्रस्तुत की जा रही है।

13.7.7 पेसा कर्मचारियों की नियुक्तिः

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत, पेसा राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन के लिए समर्पित कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए सभी 10 पेसा राज्यों की सहायता कर रहा है। जमीनी स्तर पर पेसा लागू करने के लिए राज्यों में 16,000 से अधिक समर्पित कर्मचारी कार्यरत हैं।

13.7.8 पंचायती राज मंत्रालय में पेसा प्रकोष्ठ का निर्माणः

अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा अधिनियम के लागू होने और निगरानी को बेहतर बनाने के लिए, सितंबर 2024 से मंत्रालय में एक पेसा प्रकोष्ठ बनाया गया है, जिसमें नियमित (अनुसचिवीय) स्टाफ के तौर पर एक अवर सचिव, एक अनुभाग अधिकारी और दो सहायक अनुभाग अधिकारी हैं। सामाजिक विज्ञान, कानूनी और वित्त की पृष्ठभूमि से चार परामर्शदाताओं को भी पेसा प्रकोष्ठ के लिए मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया गया है।

13.7.9 सरहुल महोत्सव 2025 पहल के तहत हमरी परंपरा हमारी विरासत

पंचायती राज मंत्रालय ने झारखंड सरकार के सहयोग से 4 अप्रैल 2025 को रंग भवन, आकाशवाणी भवन कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में ष्हमारी परंपरा हमारी विरासतष पहल के तहत सरहुल महोत्सव का आयोजन किया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का उद्घाटन प्रोफेसर एस. पी. सिंह बघेल, माननीय केंद्रीय पंचायती

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा झारखंड सरकार के सहयोग से "हमारी परंपरा हमारी विरासत" के अंतर्गत 4 अप्रैल 2025 को रंग भवन, नई दिल्ली में सरहुल महोत्सव का आयोजन किया गया।

राज राज्य मंत्री ने श्री विवेक भारद्वाज, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय और झारखंड पंचायती राज विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और झारखंड के 560 से अधिक जनजातीय प्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति में किया। यह कार्यक्रम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष को समर्पित था, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय विरासत का जश्न मनाया गया और उसे सम्मानित किया गया।

यह पहल झारखंड के जनजातीय समुदायों के अमूल्य ज्ञान को एक श्रद्धांजलि है और भगवान बिरसा मुंडा की विरासत को एक उचित समर्पण है। इसका उद्देश्य समृद्ध जनजातीय विरासत को एक स्थायी आधुनिक समाज की आकांक्षाओं से जोड़ना है, और उन परंपराओं के प्रति गहरी सराहना को बढ़ावा देना है जिन्होंने सदियों से सद्भाव और संतुलन की रक्षा की है।

इस संबंध में, भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) के सहयोग से झारखंड सरकार (GoJ) ने जनजातीय समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित और दस्तावेजित करने के लिए "हमारी परंपरा हमारी विरासत" नामक एक महत्वाकांक्षी और अनूठी पहल शुरू की है। इस साल गणतंत्र दिवस पर शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य झारखंड के 20,300 गांवों के जीवंत इतिहास और सांस्कृतिक प्रथाओं को रिकॉर्ड करना है। अब तक, 2,800 गांवों ने इस पहल में योगदान देने का संकल्प लिया है।

13.7.10 पेसा पर सर्वोत्तम प्रथाओं का संग्रहः

ग्राम सभाओं और पंचायतों द्वारा पेसा शक्तियों के उपयोग के संबंध में बेहतरीन तरीकों को साझा करने के लिए, एमओपीआर ने 13 और 14 मई, 2025 को यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमी (यशदा) पुणे, महाराष्ट्र में दो दिवसीय राइट-शॉप का आयोजन किया, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना और राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के विशेषज्ञों, पेसा अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

मंत्रालय द्वारा सभी 10 पेसा राज्यों से कुल 40 सर्वोत्तम प्रथाएं प्राप्त की गईं, जिन्हें ष्पेसा इन एक्शनः स्टोरीज ऑफ स्ट्रेंथ एंड सेल्फ गवर्नेंसष नाम से अंग्रेजी और हिंदी भाषा दोनों में एक संग्रह के रूप में प्रकाशित किया गया है, जिसे भोपाल, मध्य प्रदेश में 24 जुलाई, 2025 को आयोजित एक कार्यक्रम में जारी किया गया था। इस संग्रह

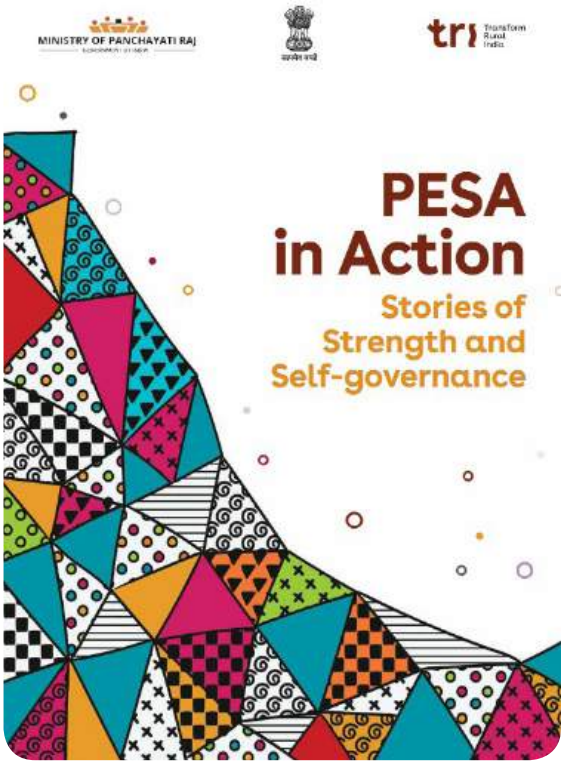

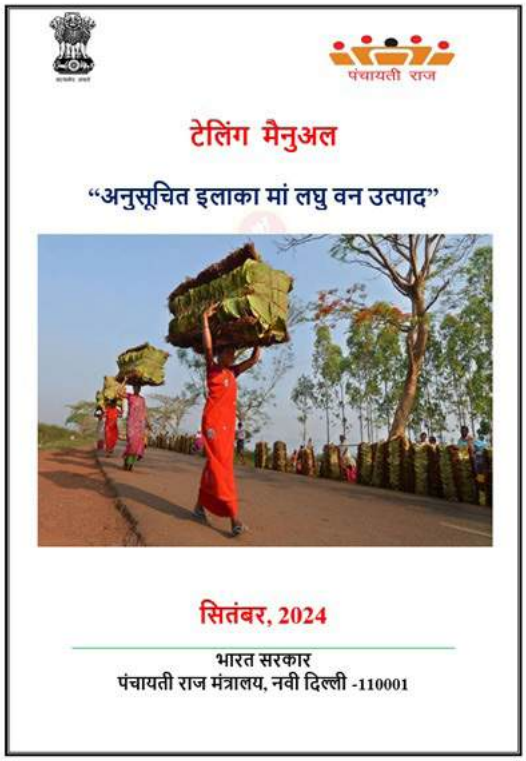

में सभी 10 पेसा राज्यों की 40 सफलता की कहानियां हैं। ये सफलता की कहानियां स्पष्ट प्रमाण हैं कि पेसा अधिनियम जमीनी स्तर पर लागू हो रहा है और पेसा क्षेत्रों में ग्राम सभाएं राज्य पेसा नियमों द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रही हैं।

इन सफलता की कहानियों के आधार पर, पंचायती राज मंत्रालय ने इन पर छह वीडियो भी बनवाए हैं जिन्हें व्यापक प्रसार के लिए मंत्रालय के यूट्यूब पेज पर अपलोड किया गया है।

13.7.11 पेसा पर प्रशिक्षण नियमावली का स्थानीय / जनजातीय भाषाओं में अनुवाद।

मंत्रालय पेसा पर प्रशिक्षण नियमावली को स्थानीय/जनजातीय भाषाओं में अनुवादित करवाने की प्रक्रिया में है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने सभी सात नियमावली का तेलुगु में अनुवाद पूरा कर लिया है, जबकि महाराष्ट्र ने मराठी में चार नियमावली का अनुवाद पूरा कर लिया है। पंचायती राज मंत्रालय ने भाषिणी से भी संपर्क किया है, जिसने गुजराती, मराठी, उड़िया और संथाली में पेसा प्रशिक्षण नियमावली के अनुवादित संस्करण साझा किए हैं। इन्हें प्रूफरीडिंग और जांच के लिए संबंधित राज्यों को भेज दिया गया है जिसके बाद उन्हें औपचारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, पंचायती राज मंत्रालय के पेसा प्रकोष्ठ ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ सहयोग किया है ताकि विशिष्ट मॉड्यूल के अनुवाद को सुविधाजनक बनाया जा सके – पेसा ग्राम सभा, लघु वन उपज को मजबूत करना और भूमि के अलगाव की रोकथाम करना – संथाली, मुंडारी, गोंडी और भिली सहित आदिवासी भाषाओं में, एमओटीए के आदि वाणी पोर्टल का उपयोग करना। संथाली, गोंडी, भिली और मुंडारी में मैनुअल का अनुवाद पूरा हो गया है और प्रूफरीडिंग और जांच के लिए राज्यों को भेजा गया है।

13.8 पेसा महोत्सव का आयोजन

13.8.1 पंचायती राज मंत्रालय ने 23-24 दिसंबर 2025 को विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में दो दिवसीय पेसा महोत्सव का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य जनजातीय युवाओं को जोड़ना, नेतृत्व कौशल को बढ़ावा देना, जनजातीय संस्कृति को राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करना और "मेरी परंपरा, मेरी पहचान" की भावना को मजबूत करना था।

13.8.2 पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधि नियम, 1996 (पेसा) के लागू होने के बाद पहली बार, एक ही मंच पर सभी दस पेसा राज्यों, यानी

पंचायती राज मंत्रालय ने 23-24 दिसम्बर 2025 को विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में दो दिवसीय पेसा महोत्सव का आयोजन किया।

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल, केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री ने 24 दिसम्बर 2025 को पेसा दिवस के अवसर पर प्रतिभागियों को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया।

आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के जनजातीय पंचायत प्रतिनिधि, युवा, खिलाड़ी, कारीगर, सांस्कृतिक कलाकार और प्रशासक एक साथ आए। इस महोत्सव ने पारंपरिक सम्मेलनों या कार्यशालाओं से आगे बढ़कर नीति, संस्कृति, खेल और क्षमता निर्माण को अनोखे तरीके से जोड़ा।

13.8.3 केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री, प्रो. एस. पी. सिंह बघेल ने पेसा दिवस (24 दिसंबर 2025) पर एक वीडियो संदेश के माध्यम से प्रतिभागियों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पेसा अधिनियम, 1996 द्वारा भूमि, जल, वन और प्राकृतिक संसाधनों पर जनजातीय अधिकारों के लिए दिए गए संवैधानिक सहायता पर प्रकाश डाला और जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर दिया।

13.8.4 पहली बार कबड्डी, तीरंदाजी, पेसा रन/दौड़ और जनजातीय प्रदर्शन खेल जैसे खेल इस आयोजन में शामिल किए गए (जो जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित स्वदेशी खेलों की समृद्ध विविधता को उजागर करता है) इसमें आंध्र प्रदेश से पुली मेका, छत्तीसगढ़ से गेदी दौड, हिमाचल प्रदेश से चोलो, झारखंड से सिकोड़, मध्य प्रदेश से पिथोल, महाराष्ट्र से मल्लखंब, ओडिशा से चक्की खेल, राजस्थान से रस्साकशी और तेलंगाना से उप्पन्ना बरेलू को शामिल किया गया, साथ ही आदिवासी भोजन, शिल्प, कला और संस्कृति की प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया, जिससे जमीनी स्तर के शासन की अवसंरचना में जनजातीय फिजिकल परंपराओं, आजीविकाओं और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने वाला एक एकीकृत मंच तैयार किया गया।

हिमाचल प्रदेश की टीम द्वारा 23-24 दिसम्बर 2025 को विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में आयोजित पेसा महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति।

13.8.5 यह कार्यक्रम संस्थागत नतीजों के मामले में भी अभूतपूर्व था, जिसमें पेसा पोर्टल, पेसा संकेतक, जनजातीय भाषाओं में पेसा पर प्रशिक्षण मैनुअल, और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की 'पंचायत धरोहर' पर एक ई-बुक शामिल है। इन्हें पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज और आंध्र प्रदेश सरकार के पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री शशि भूषण कुमार ने पंचायती राज मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में लॉन्च किया।

23ख्24 दिसम्बर 2025 को विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में आयोजित पेसा महोत्सव के दौरान खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

13.8.6 पेसा (ग्राम सभाओं का सुदृढ़ीकरण, लघु वन उपज का स्वामित्व, लघु खनिज, धन उधार पर नियंत्रण आदि) के 10 विषयों पर आंध्र प्रदेश के 10 स्थानों पर विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की गईं। सभी 10 पेसा राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा इन ग्राम सभाओं में स्थानीय लोगों ने भी भाग लिया था।

पंचायत चुनाव

अध्याय 14
पंचायत चुनाव

14.1 पंचायतों पर संविधान में प्रावधान

संविधान के भाग IX में पंचायतों के लिए निम्नलिखित अनिवार्य प्रावधान शामिल हैं:-

(i) 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों को छोड़कर पंचायतों के तीन स्तर (अनुच्छेद 243-ख)

(ii) पंचायतों के सभी तीन स्तरों पर सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव और अधिकारियों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव (अनुच्छेद 243ग)

(iii) ब्लॉक और जिला पंचायतों के अध्यक्षों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव [अनुच्छेद 243ग (2)]

(iv) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी संबंधित जनसंख्या के अनुपात में सीटों में आरक्षण [अनुच्छेद 243 घ (1)];

(v) एससी और एसटी आरक्षण सहित महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई सीटों और अध्यक्षों के कार्यालयों का आरक्षण [अनुच्छेद 243घ (3)]

(vi) आरक्षित सीटों और अध्यक्षों के कार्यालयों का आवर्तन/रोटेशन [अनुच्छेद 243घ (4)]

(vii) हर पांच साल में पंचायतों के लिए चुनाव [अनुच्छेद 243 ङ]

(viii) पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और करों, शुल्कों, टोल आदि की राज्य और पंचायतों के बीच वितरण के संबंध में राज्यपाल को सिफारिशें करने के लिए हर पांच साल में राज्य वित्त आयोग [अनुच्छेद 243-झ] का गठन करना।

(ix) राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) की स्थापना और एसईसी को पंचायतों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और सभी चुनावों के संचालन, निर्देश और नियंत्रण को सोपना [अनुच्छेद 243ट]

14.2 चुनावों का अनिवार्य संचालन:

i. पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के प्रभावी लोकतांत्रिक कामकाज के लिए पंचायत चुनावों का समय पर संचालन एक आवश्यक शर्त है।

ii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ङ के अनुसार, हर पंचायत, जब तक कि उस समय लागू किसी कानून के तहत उसे पहले भंग न कर दिया जाए, अपनी पहली बैठक की तारीख से पाँच साल तक बनी रहेगी और उससे ज्यादा नहीं।

iii. किसी पंचायत के गठन के लिए चुनाव उसके पाँच साल की अवधि समाप्त होने से पहले या उसके भंग होने की तारीख से छह महीने की अवधि समाप्त होने से पहले पूरे हो जाने चाहिए। संविधान के भाग-IX के तहत आने वाले हर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में संविधान के अनुच्छेद 243ट के तहत गठित एक राज्य चुनाव आयोग होगा, जो पंचायतों के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार, राज्य चुनाव आयोग समय पर पंचायत चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

14.3 पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के चुनावों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

(i) **वर्ष 2025 में चुनाव:** दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (नवंबर, 2025), अरुणाचल प्रदेश (दिसंबर, 2025), गोवा (दिसंबर, 2025 के लिए जिला परिषद), कर्नाटक (दिसंबर, 2025, ग्राम पंचायत), केरल (दिसंबर, 2025), राजस्थान (2025 के लिए 11310 ग्राम पंचायत, 222 ब्लॉक पंचायत, 21 जिला परिषद)

(ii) **वर्ष 2026 में और उससे आगे के चुनाव:** आंध्र प्रदेश (2026), बिहार (2026), गुजरात (10120 जीपी के लिए 2026, 231 बीपी, 31 जेडपी, 2030 4564 जीपी, 3 बीपी), हिमाचल प्रदेश (2026), उत्तर प्रदेश (2026), जम्मू और कश्मीर (डीपी के लिए फरवरी, 2026), राजस्थान (10 जीपी के लिए 2026, 130 बीपी, 12 जेडपी), गोवा (जीपी के लिए 2027) झारखंड (2027), हरियाणा (2027), मध्य प्रदेश (2027), ओडिशा (2027), सिक्किम (2027), उत्तराखंड (2027 हरिद्वार), अंडमान और निकोबार द्वीप (मार्च, 2027), पश्चिम बंगाल (2028), त्रिपुरा (2029), पंजाब (2029), असम (2030), छत्तीसगढ़ (2030), उत्तराखंड (2030 हरिद्वार को छोड़कर)

(iii) **चुनाव में विलंब:** पुद्दुचेरी (2011), कर्नाटक (बीपी और जेडपी के लिए 2021), महाराष्ट्र (बीपी और जेडपी के लिए 2022), मणिपुर (2022), लक्षद्वीप (जीपी के लिए दिसंबर, 2022, जेडपी के लिए जनवरी,2023), गुजरात (121 जीपी के लिए 2023, 4 बीपी, 2 जेडपी), जम्मू और कश्मीर (जीपी और बीपी के लिए जनवरी, 2024), लद्दाख (जनवरी 2024), तेलंगाना (2024), तमिलनाडु (जनवरी 2025)।

मंत्रालय उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों एड्वाइजरी जारी करता है, जहां पंचायत चुनाव में देरी हो रही है, जिसमें उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप पंचायत चुनाव कराने के लिए सभी संभव कदम उठाएं।

14.4 पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण:

i. भारत के संविधान का अनुच्छेद 243घ प्रत्यक्ष चुनाव और पंचायतों के अध्यक्षों के कार्यालयों द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या में से महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण अनिवार्य करके पीआरआई में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है।

ii. मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 21 राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, और 2 केंद्र शासित प्रदेश जैसे लक्षद्वीप का केंद्र शासित प्रदेश और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का केंद्र शासित प्रदेश, ने अपने संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों में पीआरआई में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया है।

iii. शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में, अनुच्छेद 243घ में निर्धारित संवैधानिक प्रावधान लागू होता है (अर्थात कुल सीटों का एक तिहाई)।

14.5 सलाहकार समिति अपने परिवारों के पुरुष सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जा रहे महिला प्रधानों के मुद्दों की जांच करेगी और इससे संबंधित अन्य मुद्दों की भी जांच करेगी:

श्री सुशील कुमार, सचिव (सेवानिवृत्त), खान मंत्रालय की अध्यक्षता में 19.09.2023 को एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है ताकि अपने परिवारों के पुरुष सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व की जा रही महिला प्रधानों के मुद्दों की जांच की जा सके और उससे संबंधित अन्य मुद्दों की जांच की जा सके। इस समिति का गठन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 06.07.2023 के आदेश के अनुसरण में, W-P- (C) No-615/2023 मामले में, साथ ही याचिकाकर्ता द्वारा इस मंत्रालय को भेजे गए 09.08.2023 के अभ्यावेदन के माध्यम से मांगे गए उपाय पर विचार करने के लिए किया गया है।

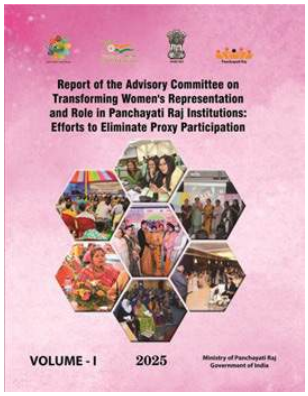

समिति ने 5 फरवरी, 2025 को मंत्रालय को सिफारिशों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की है और इसे मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। सलाहकार समिति द्वारा सुझाई गई व्यापक सिफारिशें इस प्रकार हैं:

i. **नीतिगत हस्तक्षेप और संरचनात्मक सुधार**, जिसमें कुछ पंचायत विषय समितियों-वार्ड-स्तरीय समितियाँ (जैसे केरल) में लिंग-विशिष्ट कोटा, प्रधान पति विरोधी विजेताओं के लिए वार्षिक पुरस्कार, महिला लोकपालों की नियुक्ति जैसी पहल शामिल हैं; ग्राम सभा में महिला प्रधानों का सार्वजनिक शपथ ग्रहण, महिला पंचायत नेताओं का संघ बनाया जा सकता है और लिंग संसाधन केंद्र जो नेतृत्व प्रशिक्षण, कानूनी सलाह और सहायता नेटवर्क के लिए केंद्र के रूप में काम करते हैं।

ii. वर्चुअल रियलिटी (VR) सिमुलेशन जैसे तकनीकी प्रयासों सहित **तकनीकी समाधान** प्रशिक्षण जैसे आधुनिक तकनीकी हस्तक्षेप शामिल हैं; स्थानीय भाषाओं में डब्ल्यूईआर को वास्तविक समय में कानूनी और शासन मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए AI-संचालित क्वेरी-आधारित उत्तरों को एकीकृत करना; WERs के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा सकते हैं और उन्हें पंचायतों और ब्लॉक अधिकारियों के अधिकारियों से जोड़ा जा सकता है ताकि दिन-प्रतिदिन की समस्याओं को हल करने में मदद मिल सके; और एमओपीआर का पंचायत निर्णय पोर्टल नागरिकों के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है जो उन्हें निर्वाचित प्रधानों की बैठकों और निर्णयों में भागीदारी को ट्रैक करने की अनुमति देता है, जिससे सार्वजनिक जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है और प्रॉक्सी नेतृत्व को हतोत्साहित किया जाता है आदि।

iii. **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पहल**, जो स्थानीय भाषाओं में निरंतर और अनिवार्य प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करती हैं, आईआईएम, आईआईटी/एनआईटी के साथ सहयोग; महिला प्रधानों आदि को नेतृत्व प्रशिक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियों और महिला विधायकों/सांसदों की भागीदारी आदि।

iv. **मेंटरशिप और सहकर्मी सहायता कार्यक्रम,** जिसमें विधायकों और सांसदों द्वारा निर्वाचित महिला प्रधानों की सीधी मेंटरशिप, जिला और ब्लॉक स्तर पर अनुभवी महिला निर्वाचित प्रतिनिधि और सेवानिवृत्त अधिकारियों से बनी समर्पित केवल-महिला निगरानी परिषदें, मेंटरशिप कार्यक्रम शुरू करना; निर्वाचित महिला नेताओं के क्षेत्रीय और जिला-स्तरीय नेटवर्क बनाना; महिला संघों का गठन/संघ आदि।

v. **सामुदायिक जुड़ाव और समावेशिता**, जिसमें नियमित महिला सभा बैठकों को अनिवार्य करना; सांस्कृतिक मानदंडों को चुनौती देने और शासन में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए नुक्कड़ नाटकों, रेडियो नाटकों और गाँव के त्योहारों के माध्यम से लोक परंपराओं का उपयोग करना आदि।

अप. संसाधन आवंटन और कार्यक्रम प्रबंधन में महिला निर्वाचित प्रतिनिधि को सशक्त बनाने के लिए पंचायत बैठकों में लिंग-उत्तरदायी बजट को संस्थागत बनाना।

vii. जवाबदेही और निगरानी प्रणाली: सत्यापित मामलों में व्हिसलब्लोअर/मुखबिर पुरस्कारों के साथ, प्रॉक्सी नेतृत्व के बारे में गोपनीय शिकायतों के लिए हेल्पलाइन और महिला निगरानी समिति की प्रणाली।

viii. प्रॉक्सी नेतृत्व के सिद्ध मामलों के लिए अनुकरणीय दंड लागू किया जाना चाहिए, जिससे पुरुष परिवार के रिश्तेदारों के हस्तक्षेप को रोका जा सके।

ix. मान्यता, पुरस्कार और प्रेरणा: गणतंत्र दिवस पर असाधारण महिला नेताओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जमीनी स्तर के नेतृत्व को प्रेरित कर सकते हैं और आदर्श बना सकते हैं।

उपरोक्त सिफारिशों के व्यावहारिक निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए, 70 से अधिक कार्रवाई योग्य रणनीतियां विकसित की गई हैं, और कार्यान्वयन के लिए प्रमुख हितधारकों की पहचान की गई है। हालांकि, इस मामले के महत्व और पीआरएल में महिलाओं के आत्म-निर्भर नेतृत्व पर इसके प्रभाव के कारण, इस मंत्रालय ने महिला प्रधान के मुद्दों पर सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए श्रीमती उमा महादेवन, अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, कर्नाटक सरकार के अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया है।

तेलंगाना में पंचायत चुनाव (2025)

उत्तराखंड में पंचायत चुनाव (2025)

गांवों का सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण (स्वामित्व)

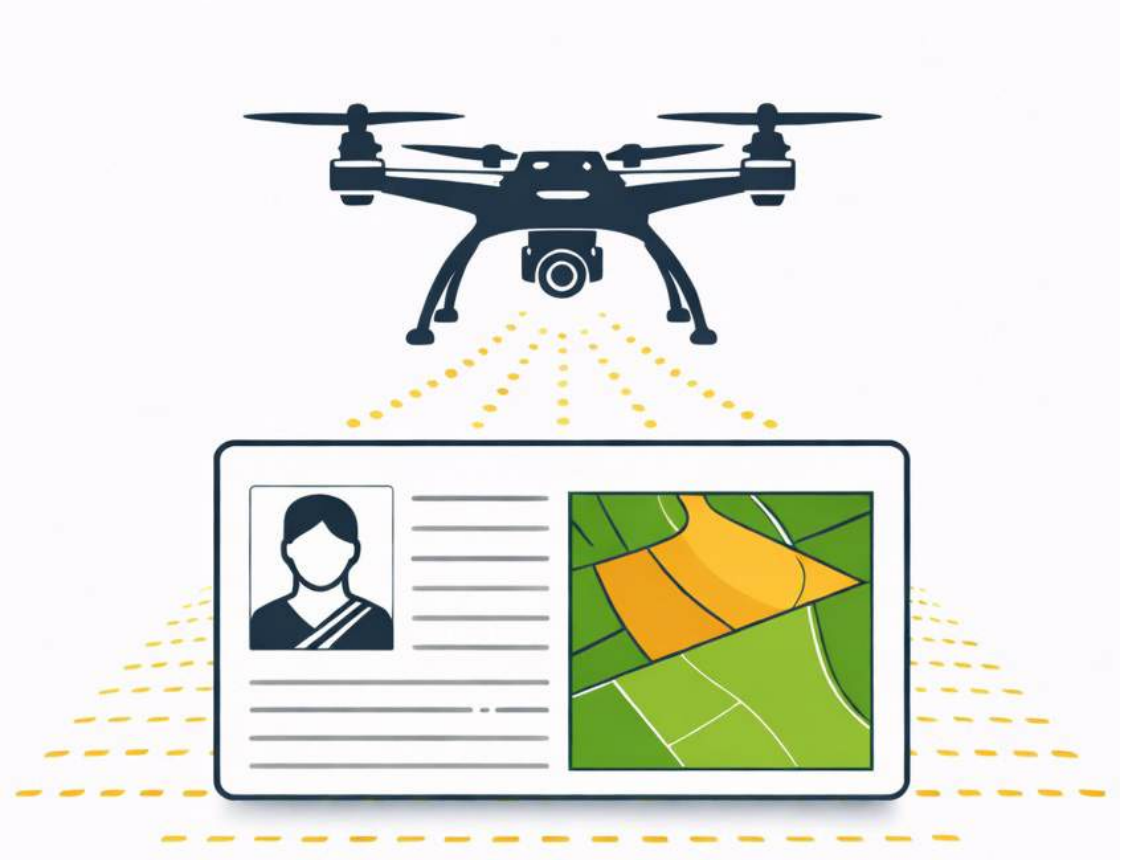

योजना के बारे में

स्वामित्व, पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल 2021 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा योजना के पायलट चरण के सफल समापन के बाद राष्ट्रव्यापी शुरू की गई थी ; (2020-2021) 9 राज्यों में। यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि पार्सल की मैपिंग और 'अधिकारों का रिकॉर्ड' संपत्ति के मालिकों को कानूनी स्वामित्व

https://svamitva.nic.in/

अध्याय 15

गांवों का सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण (स्वामित्व)

15.1 योजना के बारे में:

स्वामित्व (गांवों का सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण) योजना राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2020 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का उद्देश्य बसे हुए क्षेत्रों में संपत्ति रखने वाले ग्रामीण परिवारों को "अधिकारों का अभिलेख" प्रदान करना और उन्हें संपत्ति कार्ड जारी करना है। इसमें 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी बसे हुए गांव शामिल हैं, जिन्होंने इसके कार्यान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में ड्रोन सर्वेक्षण (संतृप्त) पूरा हो गया है, जबकि यह योजना हरियाणा, उत्तराखंड, पुदुच्चेरी, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पूरी तरह से प्राप्त हो चुकी है।

ओडिशा और असम में, ड्रोन उड़ान सर्वेक्षण रहित गांवों में पूरी हो गई है, जबकि सिक्किम, तमिलनाडु और तेलंगाना ने केवल पायलट आधार पर स्वमित्व सर्वेक्षण किया है। केरल, गोवा, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में पहले से ही पुराने रिकॉर्ड हैं, जो इन क्षेत्रों में संपत्ति स्वामित्व दस्तावेज के आधार के रूप में काम करते हैं।

15.2 योजना की आवश्यकता

अधिकारों के निपटान और रिकॉर्ड के लिए ग्रामीण भूमि सर्वेक्षण अक्सर दशकों पुराने होते हैं, और कई राज्यों में, अबादी (निवासी) ग्राम क्षेत्रों का सर्वेक्षण या मानचित्रण नहीं किया गया था। दस्तावेजीकरण की यह कमी संपत्ति मालिकों को ऋण और अन्य वित्तीय सहायता हेतु संपत्ति का लाभ उठाने से रोकती है।

स्वामित्व नवीनतम ड्रोन और सी.ओ.आर.एस. (निरंतर संचालन संदर्भ स्टेशन) प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके भूमि के टुकड़ों को सीमांकित करने और डिजीटल मानचित्र बनाने के लिए इसका समाधान करता है। भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) ने 5 सेमी सटीकता के साथ उच्च-रिजॉल्यूशन एरियल इमेज लेने और ड्रोन का उपयोग करके 1:500 पैमाने पर (आबादी) आबादी वाले क्षेत्रों के बड़े पैमाने पर मानचित्र तैयार करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं स्थापित की हैं।

15.3 उद्देश्य

(i) बेहतर ग्रामीण नियोजन के लिए और संपत्ति से संबंधित विवादों को कम करने के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाएं।

(ii) ग्रामीण नागरिकों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभों के लिए संपार्श्विक के रूप में अपनी संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाकर वित्तीय स्थिरता बढ़ाना।

(iii) संपत्ति कर के निर्धारण को सुविधाजनक बनाना, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों (जीपी) को सीधे प्राप्त कर सकता है जहां इसे हस्तांतरित किया जाता है।

(iv) एक सर्वेक्षण अवसंरचना स्थापित करें और जीआईएस मानचित्र बनाएं जिनका उपयोग विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा किया जा सके।

(v) जीआईएस मानचित्रों का लाभ उठाकर उच्च गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) की तैयारी में सहायता करना।

15.4 कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रवाह

i. भारतीय सर्वेक्षण और संबंधित राज्य सरकारों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

ii. सर्वेक्षण किए जाने वाले गांवों की पहचान।

iii. जन जागरूकता और शिक्षा (आईईसी) गतिविधियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों/ग्राम सभाओं/गाँवों का संवेदीकरण।

iv. ग्राम आबादी संपत्तियों के आबादी क्षेत्र और चुना वाले क्षेत्रों (ड्रोन सर्वेक्षण में सीमाओं की पहचान के लिए) का सीमांकन।

v. मानव रहित हवाई वाहनों/ड्रोन का उपयोग करके ग्राम अबादी क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर मानचित्रण।

vi. मानचित्रों को तैयार करना ।

vii. राजस्व अधिकारियों द्वारा मानचित्रों का जमीनी सत्यापन करना ।

viii. मानचित्रों का सुधार – जमीनी सत्यापन के बाद।

ix. संबंधित राज्य सरकार के नियमों/दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार जांच और दावों और आपत्तियों के निपटान की उचित प्रक्रिया। जांच और अभिलेखों के प्रकाशन में लगने वाला समय राज्य से राज्य में 10 दिनों से 90 दिनों तक अलग-अलग होता है।

x. अंतिम संपत्ति कार्ड तैयार करना

1. राज्यों और सर्वे ऑफ इंडिया के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर

2. सीओआरएस नेटवर्क साईट

3. ग्रामसभा

4. दीवार लेखन (आईसी)

5. ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स की स्थापना

6. चूना पाउडर से संपत्ति का सीमांकन

7. ड्रोन सर्वे

8. ड्रोन सर्वे डेटा प्रोसेसिंग

9. आकृति निष्कर्षण

10. आकृति प्रक्रिया/विवाद निपटारा

11. संपत्ति कार्ड

15.5. स्वमित्व योजना की प्रगति:

31 दिसंबर 2025 तक, देश भर के कुल 3.29 लाख अधिसूचित गांवों में से 3.44 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। 1.83 लाख गांवों के लिए लगभग 2.78 करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।

15.6 अप्रैल, 2025 से नवंबर, 2025 से स्वमित्व योजना की उपलब्धि

भारत ने समावेशी भूमि शासन और जमीनी सशक्तिकरण में अपने नेतृत्व को प्रदर्शित करते हुए वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में एक विजेता देश के रूप में भाग लिया। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज ने स्वामित्व योजना के परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए "भूमि कार्यकाल और शासन सुधार में अच्छी प्रथाओं और चुनौतियों" पर उच्च-स्तरीय पूर्ण कार्यक्रम को संबोधित किया।

एमओपीआर ने भारत के जीआईएस आधारित स्थानिक नियोजन प्लेटफॉर्म- ग्राम मानचित्र को प्रदर्शित किया, जो सतत और लचीले ग्राम विकास के लिए पंचायत-स्तरीय निर्णय लेने को मजबूत करने में अपनी भूमिका का प्रदर्शन करता है।

वाशिंगटन, मई 2025 में विश्व बैंक सम्मेलन में श्री विवेक भारद्वाज, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय।

15.6.1 *'एक अरब लोगों के लिए भूमि अधिकार सुनिश्चित करना': विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में साइड इवेंट:*

5 से 8 मई 2025 तक वॉशिंगटन डी.सी. में आयोजित विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 के दौरान, 7 मई 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा "एक अरब लोगों के लिए

भूमि अधिकार सुनिश्चित करना" विषयक एक उच्च-स्तरीय विशेष सत्र का नेतृत्व किया गया। भारत ने श्री विवेक भारद्वाज, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय के नेतृत्व में कंट्री चौंपियन के रूप में भाग लिया।

"एक अरब लोगों के लिए भूमि अधिकार सुनिश्चित करना" शीर्षक वाले इस सत्र में स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन आधारित सर्वेक्षण, सक्षम विधिक ढांचा, संपत्ति कार्ड का वितरण तथा संस्थागत अभिसरण सहित संपूर्ण कार्यान्वयन प्रक्रिया और उसके प्रभाव का प्रस्तुतीकरण किया गया। विश्व बैंक के विभिन्न प्रभागों तथा सहभागी देशों के प्रतिनिधियों ने सत्र में भाग लिया और ग्रामीण भूमि अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु प्रौद्योगिकी-सक्षम एवं विस्तार योग्य उपायों पर विचार-विमर्श किया।

श्री विवेक भारद्वाज, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने 7 मई, 2025 को वॉशिंगटन डी.सी. में आयोजित विश्व बैंक भूमि सम्मेलन के दौरान "एक अरब लोगों के लिए भूमि अधिकार सुनिश्चित करना" विषयक साइड इवेंट में भारत का नेतृत्व किया।

15.7. पुरस्कार और मान्यता:

कंप्यूटर सोसायटी आफ इंडिया द्वारा स्वामित्व डेशबोर्ड को अवार्ड आफ एक्सलेंस

ईटी डिजिटल कानक्लेव 2023,गोल्ड अवार्ड - ई-गवर्नेंस के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में तकनी. की नवाचार श्रेणी में

ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 (डीआरपीजी), गोल्ड अवार्ड - नागरिक-केंद्रित सेवाओं के लिए उभरती तकनीक के उपयोग में

बेस्ट इनोवेशन अवार्ड - पब्लिक पॉलिसी डायलॉग 2024 में आईएसबी (इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस) में

गवर्नेंस और विकास योजना में उत्कृष्टता का अवार्ड - जियोस्पैटियल लीडरशिप समिट 2024 में

पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण

अध्याय 16

पंचायतों का प्रोत्साह्नीकरण

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल, 2025 को मोटीपुर ग्राम पंचायत (प्रखंड रोसेड़ा, जिला समस्तीपुर), बिहार को जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार (सी.ए.एस.पी.ए.)ख्र2025 प्रदान किया।

16.1 परिचय

पुरस्कार और मान्यता पंचायतों और संस्थाओं को उनकी सेवा प्रदायगी और विकासात्मक परिणामों में सुधार करने के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा के रूप में काम करते हैं। वे पंचायतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं और स्थानीय विकास के लिए नवीन और टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पंचायतों का प्रोत्साह्नीकरण (राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना का एक केंद्रीय घटक) के तहत, पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) वार्षिक रूप से देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करता है, जिससे उन्हें सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा 2030 को साकार करने में स्थानीय स्तर पर विकासात्मक गतिविधियों में अपने प्रयासों में और सुधार करने के लिए प्रेरणा का एक मजबूत स्रोत मिलता है, जिसमें भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है। ये पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के बाद राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस

(NPRD) के रूप में मनाए जाने वाले 24 अप्रैल को सालाना प्रदान किए जाते हैं।

मंत्रालय स्वच्छता, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन आदि जैसे विभिन्न विकास क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न विषयों और श्रेणियों के तहत उनके प्रदर्शन के लिए वर्ष 2011 (2010 में स्थापित) से पंचायतों को पुरस्कार प्रदान कर रहा है। स्थानीय स्तर की सरकार में पदोन्नति के विषयों के आधार पर समय-समय पर इन विषयों और श्रेणियों की समीक्षा की जाती है। वर्ष 2023 के दौरान, एमओपीआर ने एसडीजी (LSDG) विषयों के 9 स्थानीयकरण के तहत एसडीजी के साथ राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों को संरेखित किया, अर्थात् (i) गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका गांव (ii) स्वस्थ गांव (iii) बाल अनुकूल गांव (iv) जल पर्याप्त गांव (v) स्वच्छ और हरित गांव (vi) गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा (vii) सामाजिक रूप से न्यायसंगत और सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव (viii) सुशासन वाला गांव और (ix) महिला-अनुकूल गांव।

16.2 पुरस्कारों का उद्देश्य

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार निम्नलिखित के लिए प्रयास करते हैं:

- 9 पहचाने गए एलएसडीजी विषयों के माध्यम से एसडीजी की प्राप्ति में पंचायतों के प्रदर्शन का आकलन करें
- पंचायतों के बीच प्रतिस्पर्धी भावना को बढ़ावा देना
- 'पीआरआई के माध्यम से एसडीजी के स्थानीयकरण' की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करना और 2030 तक एलएसडीजी प्राप्त करने के महत्व के बारे में पीआरआई को संवेदनशील बनाना

16.3 महत्व

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भारत के विकेंद्रीकरण ढांचे में पंचायतों के लिए सर्वोच्च मान्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक पारदर्शी, प्रौद्योगिकी-सक्षम ऑनलाइन प्रक्रिया और बड़े पैमाने पर अनटाइड प्रोत्साहन के माध्यम से, यह योजना पंचायतों को अपने प्रदर्शन को लगातार बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है, स्थानीय विकास को वैश्विक लक्ष्यों के साथ संरेखित करती है, और आत्मनिर्भर, समावेशी और टिकाऊ ग्रामीण शासन को बढ़ावा देती है। यह प्रणाली, ग्राम पंचायतों से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की जिम्मेदारियों के अपने संरचित पदानुक्रम के माध्यम से, जवाबदेही, पारदर्शिता और प्रतिस्पधर्ा की सच्ची भावना सुनिश्चित करती है, जो आत्मनिर्भर पंचायतों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

16.4 योजना की संकल्पना

अधिक हस्तांतरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) ने विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय प्रणाली के रूप में वर्ष 2005-06 में पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही प्रोत्साहन योजना (PEAIS) शुरू की। पंचायतों के बीच अनुकरणीय प्रदर्शन को मान्यता देते हुए, स्थानीय स्तर पर जवाबदेही और प्रदर्शन प्रणालियों की स्थापना करके पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2011-12 में पीईएआईएस में एक दूसरा घटक जोड़ा गया। तकनीकी, प्रशासनिक और बुनियादी ढांचागत सहायता के माध्यम से पंचायतों को और मजबूत

करने के लिए, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (RGPSA) को वर्ष 2013 में मंजूरी दी गई थी, जिसमें पीईएआईएस को शामिल किया गया था। प्रोत्साहन घटक को बाद में वर्ष 2016-17 से केंद्रित कार्यान्वयन के लिए एक अलग बजट प्रमुख के तहत रखा गया था। वर्ष 2016-17 में, माननीय वित्त मंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGPSA) की घोषणा की। 1 अप्रैल 2018 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया, आरजीएसए ने अपने चार केंद्रीय घटकों में से एक के रूप में 'पंचायतों का प्रोत्साहन' शामिल किया।

16.5 पुरस्कारों का वितरणे

राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को प्रदान किए जाते हैं, जो वर्ष 1993 में 73वें संविधान संशोधन के अधिनियमन की स्मृति में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (NPRD) के रूप में मनाया जाता है, जिसने पंचायती राज प्रणाली को संस्थागत रूप दिया और ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाया। समारोह में आमतौर पर भारत के माननीय राष्ट्रपति या भारत के माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति होती है।

16.6 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों का युक्तिकरण

वर्ष 2022 तक, सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए किए गए अच्छे कार्यों को मान्यता देने में उनके प्रदर्शन और प्रयासों के लिए ग्राम, ब्लॉक और जिला पंचायतों को विभिन्न श्रेणियों के तहत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिए गए थे। 7 दिसंबर, 2021 को मंत्रालय द्वारा जारी विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट 'पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण (LSDGs)' को स्वीकार करने के पश्चात, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों को वर्ष 2022 से 9 सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण (एलएसडीजी) विषय के साथ संरेखित करके संशोधित किया गया, जिसमें 17 सतत विकास लक्ष्य शामिल हैं। यह सतत विकास के 2030 एजेंडा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। नौ पुरस्कार विषय (i) गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका पंचायत, (ii) स्वस्थ पंचायत, (iii) बाल-अनुकूल पंचायत, (iv) जल-पर्याप्त पंचायत, (v) स्वच्छ और हरित पंचायत, (vi) आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा वाली पंचायत, (vii) सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत, (viii) सुशासन वाली पंचायत, और (ix) महिला-अनुकूल पंचायत हैं।

16.7 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों की श्रेणियां

वर्तमान में, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार निम्नलिखित श्रेणियों के तहत प्रदान किए जाते हैं जिन्हें नए पुरस्कारों की शुरुआत और पहले के पुरस्कारों के विलय के साथ वर्षों में युक्तिसंगत बनाया गया था:

16.7.1 दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार (DDUPSVP)

यह पुरस्कार प्रत्येक 9 एलएसडीजी के अंतर्गत 17 एसडीजी से एकत्रित किए गए पुरस्कार विषयों के तहत शीर्ष 3 जीपी को प्रदान किया जाता है, अर्थात् (i) गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका पंचायत, (ii) स्वस्थ पंचायत, (iii) बाल-अनुकूल पंचायत, (iv) जल पर्याप्त पंचायत, (v) स्वच्छ और हरित पंचायत, (अप) आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा वाली पंचायत (vii)

सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत, (viii) सुशासन वाली पंचायत और (ix) महिला-अनुकूल पंचायत।

इस पुरस्कार के तहत वित्तीय प्रोत्साहन 1.00 करोड़ रुपये (रैंक 1), 0.75 करोड़ रुपये (रैंक 2) और रुपये 0.50 करोड़ (रैंक 3) है।

- (1) गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका गाँव
- (2) स्वस्थ गाँव
- (3) बाल हितैषी गाँव
- (4) पर्याप्त जल गाँव
- (5) स्वच्छ एवं हरित गाँव
- (6) गाँव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा
- (7) सामाजिक रूप से न्यायसंगत एवं सुरक्षित गाँव
- (8) सुशासन युक्त गाँव
- (9) महिला हितैषी गाँव

16.7.2 नानाजी देशमुख सर्वोतम पंचायत सतत विकास पुरस्कार (NDSPSVP):

इस श्रेणी के तहत पुरस्कार शीर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और जिला पंचायतों को व्यापक रूप से डीडीयूपीएसवीपी के 9 विषयों के तहत उनके समग्र प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है।

इस पुरस्कार के तहत वित्तीय प्रोत्साहन इस प्रकार है (रैंक-वार: पहला; दूसरा; तीसरा):

- जीपी: 1.50; 1.25; 1.00 (रु. करोड़ में)
- बीपी: 2.00; 1.75; 1.50 (रु. करोड़ में)
- डीपी: 5; 3; 2 (रु. करोड़ में)

16.7.3 विशेष श्रेणी पुरस्कार

(i) **ब्जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार** (CASPA): यह पुरस्कार पहले के 2 पुरस्कारों ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार और कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार को जोड़कर स्थापित किया गया है जो वर्ष 2023 से 2024 तक कार्यात्मक थे। यह पुरस्कार ग्राम पंचायतों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने और उपयोग करने और जलवायु परिवर्तन को कम करने की दिशा में कार्बन न्यूट्रेलिटी प्राप्त करने के प्रयासों के संबंध में उनके प्रदर्शन के लिए भी है।

(ii) **स्वस्रोत राजस्व (ओ.एस.आर.)** ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता तथा कार्यात्मक स्वतंत्रता को सुदृढ़ करने का एक मूलभूत आधार है। एक सुदृढ़ ओ.एस.आर. आधार स्थानीय व्यय में लचीलापन बढ़ाता है, बाह्य अनुदानों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करता है तथा पंचायतों को उत्तरदायी और सतत वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से समुदाय-विशिष्ट विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रभावी निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

ओ.एस.आर. लोगो

इस महत्वपूर्ण आवश्यकता की मान्यता देते हुए, वर्ष 2025 में आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार (ए.एन.पी.एस.ए.) की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य उन ग्राम पंचायतों को मान्यता एवं प्रोत्साहन प्रदान करना है, जिन्होंने स्वस्रोत राजस्व के संकलन एवं संवर्धन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। यह पुरस्कार आत्मनिर्भरता, वित्तीय अनुशासन तथा सुदृढ़ एवं सशक्त जमीनी शासन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है।

(iii) **पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार** (PKNSSP): यह पुरस्कार उन संस्थाओं के लिए है जिन्होंने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (LSDGs) को

प्राप्त करने में ग्राम पंचायतों को संस्थागत सहायता प्रदान की है।

विशेष श्रेणी पुरस्कारों के तहत वित्तीय प्रोत्साहन रु. 1 करोड़ रुपये (रैंक 1), 0.75 करोड़ (रैंक 2) और 0.50 करोड़ रुपये (रैंक 3) है।

16.8 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार पोर्टल

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे पंचायती राज मंत्रालय की देखरेख में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित और अनुरक्षित किया गया है। पुरस्कार पोर्टल निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करता है:

- ग्राम पंचायतों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना।
- डिजिटल कार्यप्रवाहों के माध्यम से ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरों पर सत्यापन और अनुशंसा।
- पुरस्कारों की प्रक्रिया की निगरानी सभी स्तरों पर-राष्ट्रीय, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, जिला और ब्लॉक।
- एलएसडीजी विषयों में पंचायतों के डेटा-संचालित प्रदर्शन का विश्लेषण।
- पारदर्शिता और सूचित निर्णय लेने को बढ़ावा देने के लिए पंचायत-स्तरीय डेटा और संकेतकों का भंडार निर्माण।

यह एंड-टू-एंड डिजिटल प्रणाली एक पारदर्शी, कुशल और कागजरहित प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया सुनिश्चित करती है, जो प्रौद्योगिकी-सक्षम शासन के मंत्रालय के दृष्टिकोण में सहायता करती है।

16.9 राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस और पुरस्कार समारोह

हर साल 24 अप्रैल को (असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर) पंचायती राज मंत्रालय राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम का आयोजन करता है, जिसके दौरान राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस कार्यक्रम में भारत के माननीय प्रधानमंत्री या माननीय राष्ट्रपति शामिल होते हैं और इसमें देश भर से कई गणमान्य व्यक्ति और पंचायत प्रतिनिधि भी हिस्सा लेते हैं। इस समारोह के दौरान पुरस्कार विजेताओं को एक ट्रॉफी/स्मारक और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। यह समारोह न केवल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को मान्यता देता है, बल्कि नवाचार, ज्ञान का आदान-प्रदान और स्थानीय शासन में सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में भी कार्य करता है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हटबदरा ग्राम पंचायत (प्रखंड कुसुमी, जिला मयूरभंज), ओडिशा को क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवॉर्ड (सी.ए.एस.पी.ए.)-2025 प्रदान किया।

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दव्वा एस ग्राम पंचायत (ब्लॉक सड़क अर्जुनी, जिला गोंदिया), महाराष्ट्र को क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड (CASPA) -2025 से सम्मानित किया।

वर्ष 2008 में, पंचायती राज मंत्रालय ने संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 की 15वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बुरारी ग्राउंड, दिल्ली (22–24 अप्रैल) में जिला परिषद और मध्यवर्ती पंचायत अध्यक्षों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में पंचायती राज पर 15वें वार्षिकी चार्टर को अपनाया गया, जिसका विषय ष्समावेशी शासन के माध्यम से समावेशी विकासष था, और 24 अप्रैल 2008 को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसे संबोधित किया। इसने हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (NPRD) मनाने की नींव रखी।

16.10 वित्तीय प्रोत्साहन

पुरस्कार वर्ष 2021 से एक पहल के रूप में, किसी भी देरी को समाप्त करने के इरादे से पुरस्कार राशि को पुरस्कार विजेताओं को सीधे इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित कर दिया जाने लगा। यह पहल माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 24 अप्रैल, 2021 को मनाए गए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2021 के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 के विजेताओं के लिए एक बटन क्लिक करके शुरू की गई और लागू की गई। पुरस्कार पाने वाली पंचायतों द्वारा प्राप्त वित्तीय प्रोत्साहन का उपयोग केवल संबंधित एलएसडीजी विषय के भीतर सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। इन निधियों का उपयोग आजीविका संवर्धन, नागरिक सुविधाओं के निर्माण और रखरखाव, बुनियादी ढांचे के विकास या अन्य आवश्यकता-आधारित सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जा सकता है। पुरस्कार निधियों के उपयोग की निगरानी संबंधित राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा मंत्रालय को प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र (UCs) के माध्यम से की जाती है।

आत्म निर्भर पंचायत स्पेशल अवार्ड
Atma Nirbhar Panchayat Special Award
The Ministry of Panchayati Raj is pleased to confer the **Second Prize** to **Hatbadra Gram Panchayat, Block Kusumi, District Mayurbhanj** of **Odisha** for its performance on mobilization and augmentation of Own Sources of Revenue under the **Atma Nirbhar Panchayat Special Award** for the appraisal year 2023-24.
पंचायती राज मंत्रालय मूल्यांकन वर्ष 2023-24 के लिए **आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार** के तहत **ओडिशा** की **हटबद्रा ग्राम पंचायत, ब्लॉक कुसुमी, जिला मयूरभंज** को स्वयं के राजस्व स्रोतों के सृजन एवं संवर्धन हेतु प्रदर्शन के लिए **द्वितीय पुरस्कार** प्रदान करते हुए हर्षित है।
(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

16.11 सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रसार

मंत्रालय ई-बुक के रूप में पुरस्कार विजेता पंचायतों की सर्वोत्तम प्रथाओं को संकलित करता है, जो मंत्रालय की वेबसाइट https://panchayat.gov.in/en/revamped-awards पर सार्वजनिक रूप से सुलभ है। इन संकलन में केस स्टडी, तस्वीरें और वीडियो लिंक शामिल हैं जो अन्य पंचायतों को उत्कृष्टता के समान आदर्श को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

16.12 प्रदान किए गए पुरस्कारों की संख्या का वर्ष-वार विवरण

वर्ष 2016 से, पंचायती राज संस्थाओं को 1891 पुरस्कार और राज्यों को 53 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। प्रदान किए गए पुरस्कारों की संख्या का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक XII** में दिया गया है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के तहत पुरस्कार विजेताओं की विस्तृत सूची मंत्रालय की वेबसाइट पर https://panchayat.gov.in/en/list-of-awardee-panchayats/ लिंक पर उपलब्ध है।

16.13 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रणाली की प्रमुख उपलब्धियां

- पुरस्कार प्रक्रिया अब एनआईसी-विकसित पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह से ऑनलाइन है।
- भाग लेने वाले ग्राम पंचायतों की संख्या 2022 में लगभग 20,000 से बढ़कर वर्ष 2023 में 2.41 लाख से अधिक हो गई है, जो व्यापक जागरूकता और उत्साह को दर्शाती है।
- प्रोत्साहन राशि में काफी वृद्धि की गई है, जिसमें स्तर और श्रेणी के आधार पर पुरस्कार राशि ₹50 लाख से ₹5 करोड़ तक है।
- पुरस्कारों ने पंचायत स्तर पर प्रदर्शन-आधारित शासन, जवाबदेही और पारदर्शिता को संस्थागत बनाने में मदद की है।
- पुरस्कार राशि का सीधे पंचायत खातों में इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण होने से काम में तेजी आती है और देरी नहीं होती है, जिससे पंचायतों को स्थानीय विकास से जुड़ी समस्याओं को हल करने में ज्यादा मदद मिलती है।

16.14 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 (मूल्यांकन वर्ष 2023-24)

जब पंचायत उन्नति सूचकांक संस्करण 2.0 का व्यापक अभ्यास प्रक्रिया में था, तब केवल 8 राज्यों (आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना) की 6 ग्राम पंचायतों और 3 संस्थाओं को

विशेष श्रेणी पुरस्कार प्रदान किए गए। खास बात यह है कि अवॉर्ड पाने वाली 6 ग्राम पंचायतों में से 3 बिहार, महाराष्ट्र और ओडिशा की हैं, जिनकी मुखिया महिला सरपंच हैं।

24.04.2025 को लोहना उत्तर ग्राम पंचायत, जिला मधुबनी, बिहार में आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस-2025 के दौरान भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्व ारा 6 ग्राम पंचायतों और 3 संस्थाओं को विशेष श्रेणी पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्रियों और बिहार सरकार के मंत्रियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री ने रेलवे, बिजली और एलपीजी क्षेत्रों में प्रमुख पहलों सहित लगभग 13,500 करोड़ रुपये की लागत वाली कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लाखों लाभार्थियों को आवास और आजीविका के लाभों का वितरण भी किया गया। पुरस्कार विजेताओं की सूची तालिका 16.1 में दी गई है।

तालिका 16.1

क्र. सं.	विशेष श्रेणी पु. रस्कार	रैंक	ग्राम पंचायत / संस्था	राज्य	ग्राम पंचायत का एलजीडी कोड	पुरस्कार वर्ष 2025 के दौरान जीपी/ संस्था के प्रमुख	पुरस्कार राशि (करोड़ रुपये में)
1	जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार (सीएएसपीए)	1	दव्वा एस ग्राम पंचायत (ब्लॉक सड़क अर्जुनी, जिला गोंदिया)*	महाराष्ट्र	175545	श्रीमती. योगेश्वरी चतुर्गन चौधरी	1.00
		2	बिरादहल्ली ग्राम पंचायत (ब्लॉक सकलेशपुर, जिला हसन)	कर्नाटक	218437	श्री सतीश एस डी	0.75
		3	मोतीपुर ग्राम पंचायत (ब्लॉक रोसेरा, जिला समस्तीपुर)*	बिहार	100332	श्रीमती प्रेमा देवी	0.50
2	आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार (एएनपीएसए)	1	मॉल ग्राम पंचायत (ब्लॉक याचारम, जिला रंगरेड्डी)	तेलंगाना	210571	अस्तित्व में नहीं (पंचायत सचिव द्वारा प्राप्त पुरस्कार)	1.00
		2	हटबदरा ग्राम पंचायत (ब्लॉक कुसुमी, जिला मयूरभंज)*	आडिशा	120264	श्रीमती सबिता सोरेन	0.75
		3	गोल्लापुडी ग्राम पंचायत (ब्लॉक विजयवाड़ा ग्रामीण, जिला कृष्णा)	आंध्र प्रदेश	203825	अस्तित्व में नहीं (पंचायत सचिव द्वारा प्राप्त पुरस्कार)	0.50

3.	पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार (पीकेएनएसएसपी)	1	केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान	केरल	उपलब्ध नहीं	श्री निजामुदीन ए	1.00
		2	राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान	ओडिशा	उपलब्ध नहीं	श्री सुरेंद्र कुमार मीना	0.75
		3	राज्य पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान	असम	उपलब्ध नहीं	श्री मुनीन्द्र शर्मा	0.50

*पुरस्कार वर्ष (2025) के दौरान महिला सरपंच की अध्यक्षता में

https://www.youtube.com/watch?v=SkF0v6FaX3U

(राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के तहत विशेष श्रेणी पुरस्कारों सहित पहलुओं को कवर करने वाली समेकित वीडियो फिल्म: विशेष रूप से राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के लिए अवधि देखें 0.53 मिनट से 1.47 मिनट)

16.14.2 स्थानीय कला को बढ़ावा देना: आत्मनिर्भर भारत की दिशा में स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देने के प्रयास के साथ, पुरस्कार विजेताओं को बिहार के एक स्थानीय कारीगर श्री रेमंत कुमार मिश्रा द्वारा तैयार मधुबनी कला की तैयार पेंटिंग भेंट की गई। पुरस्कार फ्रेम के साथ-साथ पुरस्कार विजेताओं को कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। मंत्रालय द्वारा पुरस्कार विजेताओं के लिए तैयार की गई ट्राफियों को कार्यक्रम के बाद पुरस्कार विजेताओं को अलग से भेजा गया था।

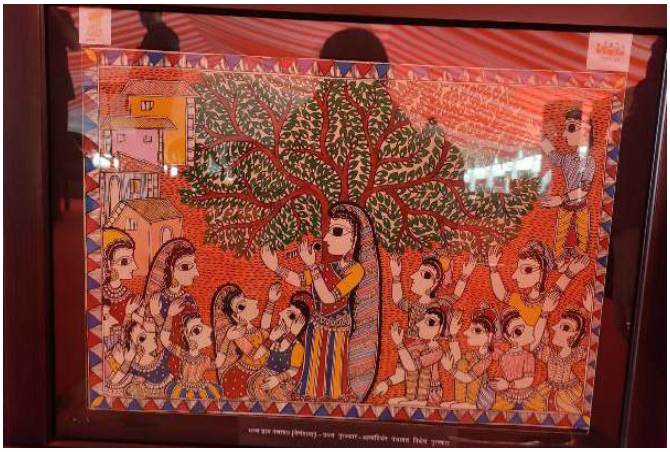

विशेष श्रेणी पुरस्कार 2025 के विजेताओं के लिए मधुबनी पेंटिंग फ्रेम

आत्म निर्भर पंचायत स्पेशल अवार्ड
Atma Nirbhar Panchayat Special Award

The Ministry of Panchayati Raj is pleased to confer the **Second Prize** to **Hatbadra Gram Panchayat, Block Kusumi, District Mayurbhanj** of **Odisha** for its performance on mobilization and augmentation of Own Sources of Revenue under the **Atma Nirbhar Panchayat Special Award** for the appraisal year 2023-24.

पंचायती राज मंत्रालय मूल्यांकन वर्ष 2023-24 के लिए **आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार** के तहत **ओडिशा** की **हटबदरा ग्राम पंचायत, ब्लॉक कुसुमी, जिला मयूरभंज** को स्वयं के राजस्व स्रोतों के सृजन एवं संवर्धन हेतु प्रदर्शन के लिए **द्वितीय पुरस्कार** प्रदान करते हुए हर्षित है।

(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)
माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री,
पंचायती राज मंत्रालय और मत्स्यपालन,
पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)
माननीय केंद्रीय मंत्री,
पंचायती राज मंत्रालय और मत्स्यपालन,
पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार

विशेष श्रेणी पुरस्कार 2025 के विजेताओं के लिए प्रमाण पत्र

विशेष श्रेणी पुरस्कार 2025 के पुरस्कार विजेताओं के सर्वोत्तम अभ्यास

17.1 जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार (सीएएसपीए)-2025

रैंक 1: दव्वा एस ग्राम पंचायत (ब्लॉक सड़क अर्जुनी, जिला गोंदिया), महाराष्ट्र

ग्राम पंचायत का विवरण

- स्थानीय सरकारी निर्देशिका (एलजीडी) कोड: 175545
- कुल परिवार: 796
- जनसंख्या: 3418

प्रमुख उपलब्धियां

- वनरोपण अभियान: 116,643 से ज्यादा देसी पेड़, 5,000 बांस, 500 सहजन, और खस लगाए गएख़हर घर ने 15-20 पेड़ों का योगदान दिया।
- राज्य मान्यता: पर्यावरण उत्कृष्टता के लिए महाराष्ट्र के माझी वसुंधरा 4.0 कार्यक्रम में तीसरी रैंक हासिल की
- सौर अवसंरचना: स्कूलों, आंगनवाड़ियों और सार्वजनिक भवनों में सौर पीवी सिस्टम स्थापित किए गए
- समावेशी पहुंच: ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए दिव्यांग निवासियों को 80 सौर किट वितरित किए गए
- एलईडी कवरेज: 100% एलईडी अपनाने का लक्ष्य हासिल किया, जिससे ऊर्जा का उपयोग और उत्सर्जन कम हुआ
- कार्बन और जल लाभ: पेड़ों की छतरी में 10% की वृद्धि, बेहतर कार्बन पृथक्करण, और भूजल पुनर्भरण
- कार्बन और जल लाभ: पेड़ों की छतरी में 10% की वृद्धि, बेहतर कार्बन पृथक्करण, और भूजल पुनर्भरण

- प्लास्टिक से मुक्ति: शपथ, जागरूकता अभियान और संकेतक के माध्यम से एकल-प्रयोग के प्लास्टिकों पर सक्रिय रूप से रोक लगाने को बढ़ावा दिया गया

सर्वोत्तम पद्धतियों /उपलब्धियों पर वीडियो: https://youtu.be/ni0TfQtNlmA

रैंक 2: बिरादहल्ली ग्राम पंचायत (ब्लॉक सकालेशपुर, जिला हसन), कर्नाटक

ग्राम पंचायत का विवरण

- स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी) कोड: 218437
- कुल परिवार: 950
- जनसंख्या: 4145

प्रमुख उपलब्धियां

- जीपी ऑफिस और जरूरी पब्लिक सुविधाओं के लिए छत पर सौर पैनल लगाए गए

- 21 हाई-मास्ट और 190 मिनी सौर स्ट्रीट लाइट लगाई गई
- कमजोर वर्गों को सौर लालटेन बांटे गए
- घरेलू उपयोग में 100% एलपीजी और बायोगैस का उपयोग सुनिश्चित किया
- वन महोत्सव और मनरेगा के तहत 1 लाख से अधिक पौधे लगाए
- सौर पंप, सौर वॉटर हीटर और ईवी जागरूकता को बढ़ावा दिया
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और किचन गार्डन की स्थापना की
- जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए 4 समावेशी ग्राम सभाएं आयोजित कीं

सर्वोत्तम पद्धतियों/उपलब्धियों पर वीडियो: https://youtu.be/2ZilIwCtu8Y?si=bccO3sYtKOQ0QRm-

रैंक 3: मोतीपुर ग्राम पंचायत (ब्लॉक रोसेरा, जिला समस्तीपुर), बिहार

ग्राम पंचायत का विवरण

- स्थानीय सरकारी निर्देशिका (एलजीडी) कोड: 100332
- कुल परिवार: 1684
- जनसंख्या: 10,536

प्रमुख उपलब्धियां

- वर्षा जल संचयन और मत्स्य पालन के लिए 21 तालाबों का कायाकल्प और 2 अमृत सरोवर
- मनरेगा के तहत 4 खाइयों का उपयोग करके 250 एकड़ से अधिक जलभराव का समाधान किया गया
- 60,000+ पेड़ लगाए; मियावाकी वृक्षारोपण और पोषक उद्यान को बढ़ावा दिया
- हर पैदा हुई बच्ची के लिए 10 पेड़ बांटे गए
- हर घर नल का जल योजना के तहत पाइप से पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई
- 560 से ज्यादा सोक पिट और जल निकासी प्रणाली का निर्माण किया
- द्वार-से-द्वार अपशिष्ट संग्रह, पृथक्करण और बायोगैस उत्पादन की स्थापना
- 132 घरों में सौर स्ट्रीट लाइट, स्मार्ट क्लास, बायोगैस और 32 सौर पंप लगाए गए
- जलवायु परिवर्तन और प्लास्टिक प्रदूषण पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए

सर्वोत्तम पद्धतियों /उपलब्धियों पर वीडियो: https://youtu.be/2UjpHirdUjM?si=A8yiOhSYc9UumVs2

17.2 आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार (एएनपीएसए) -2025

रैंक 1: मॉल ग्राम पंचायत (ब्लॉक याचारम, जिला रंगरेड्डी), तेलंगाना

ग्राम पंचायत का विवरण

- स्थानीय सरकारी निर्देशिका (एलजीडी) कोड: 210571
- कुल परिवार: 1581
- जनसंख्या: 3211

प्रमुख उपलब्धियां

- वर्ष 2023-24 के दौरान 95 लाख रुपये का ओएसआर एकत्रित (पिछले वर्ष की तुलना में 45% की वृद्धि)
- प्रति व्यक्ति लगभग 2,954 रुपये का ओएसआर
- विशेष करों (लाइटिंग, निकासी) और सेवा शुल्क से आय उत्पन्न
- साप्ताहिक पशु बाजार से ₹67 लाख की कमाई
- शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से ₹3.75 लाख की कमाई

सर्वोत्तम पद्धतियों /उपलब्धियों पर वीडियो:
https://youtu.be/6ORVAna1KOk?si=o_9VwjsWWY6Kbjhs

रैंक 2: हटबदरा ग्राम पंचायत (ब्लॉक कुसुमी, जिला मयूरभंज), ओडिशा

ग्राम पंचायत का विवरण

- स्थानीय सरकारी निर्देशिका (एलजीडी) कोड: 120264
- कुल परिवार: 1552
- जनसंख्या: 6703

प्रमुख उपलब्धियां

- वर्ष 2023-24 के दौरान 94 लाख रुपये का ओएसआर एकत्रित (पिछले वर्ष की तुलना में 20% की वृद्धि)
- लगभग 1,407 रुपये प्रति व्यक्ति ओएसआर
- आय स्रोतों में साप्ताहिक हाट/स्थानीय बाजार कर शामिल हैं
- जल कर, सफाई कर, व्यापार लाइसेंस, कसाईखाने की नीलामी, और विज्ञापन कर से अर्जित
- गैर-कर राजस्व में 66.29% की वृद्धि हुई, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग और पट्टे पर देना शामिल है
- रोजगार सृजन के लिए 18.45 लाख आवंटित

- जल, गरीबी उन्मूलन, बाल कल्याण, स्वास्थ्य देखभाल, हरित परियोजनाओं, और महिला विकास पर एलएसडीजी-संरेखित व्यय
- सड़कों, पुलों, सिंचाई, बाजार उन्नयन और सार्वजनिक सुविधाओं में निवेश हुआ
- स्वैच्छिक योगदानों और परिसंपत्ति मुद्रीकरण में परिलक्षित मजबूत सामुदायिक विश्वास

सर्वोत्तम पद्धतियों /उपलब्धियों पर वीडियो: https://youtu.be/3a4eJl_-k98?si=20pChqfn7kPW5vCs

रैंक 3: गोलपुडि ग्राम पंचायत (ब्लॉक विजयवाड़ा ग्रामीण, जिला कृष्णा), आंध्र प्रदेश

ग्राम पंचायत का विवरण

- स्थानीय सरकारी निर्देशिका (एलजीडी) कोड: 203825
- कुल घर: 9460
- जनसंख्या: 37349

प्रमुख उपलब्धियां

- वर्ष 2023-24 के दौरान 4.11 करोड़ रुपये का ओएसआर एकत्रित (पिछले वर्ष की तुलना में 40% की वृद्धि)
- प्रति व्यक्ति ओएसआर लगभग रु. 1,130
- अपने निधि से 3 पानी के टैंक बनाए और 5 किमी सड़कों का नवीनीकरण किया
- घर-घर कचरा एकत्रण लागू किया गया, जिससे अप्रबंधित कचरा 60% तक कम हुआ
- 50 सौर स्ट्रीट लाइटें लगाई, जिससे बिजली की लागत में कटौती हुई
- परिचालन खर्चों में 80% आत्मनिर्भरता हासिल की

सर्वोत्तम पद्धतियों /उपलब्धियों पर वीडियो: https://youtu.be/KfvNvHlFEyQ?si=wPz1pLKT-iGeTHhH

17.3 पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार (पीकेएनएसएसपी) - 2025

रैंक 1: केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन (KILA), केरल

संस्था का विवरण

किला, 1990 में स्थापित, केरल में एक नोडल क्षमता विकास संस्थान है, जिसे 2014 में केरल के केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा एक अनुसंधान केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह 15 संकाय सदस्यों, 3,000 प्रशिक्षकों और छह क्षेत्रीय केंद्रों के साथ संचालित होता है, जो अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रकाशनों के माध्यम से स्थानीय शासन, विकेंद्रीकरण और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

प्रमुख उपलब्धियां

- वर्ष 2023-24 के दौरान निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) और पदाधिकारियों के लिए 6450 प्रशिक्षण आयोजित किए गए
- वर्ष 2023-24 में लगभग 21 हजार ईआर और 2.4 लाख संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया
- एक परियोजना प्रबंधन इकाई है
- केरल में सभी ग्राम और ब्लॉक पंचायतों के लिए आईएसओ प्रमाणन प्राप्त किया
- जलवायु परिवर्तन के लिए स्थानीय कार्य योजना (एलएपीसीसी) तैयार करने के लिए 260+ स्थानीय सरकारों को सक्षम किया गया
- योजना और निगरानी के लिए डीसीएटी उपकरण/टूल (आपदा और जलवायु कार्रवाई ट्रैकर) विकसित किया
- स्थानीय शासन के लिए एक अनुकूलन एसडीजी डैशबोर्ड और स्थानीय संकेतक ढांचे का निर्माण और मुख्यधारा में लाया गया

- अनुकूलित उपकरणों/टूल्स और प्रशिक्षण का उपयोग करके अत्यधिक गरीबी की पहचान का नेतृत्व किया
- कई क्षेत्रीय और विषयगत केंद्रों (उदाहरण के लिए, लिंग, एसडीजी, जनजातीय विकास, शहरी शासन) का संचालन करता है
- पारिस्थितिकी तंत्र आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण, कौशल प्रशिक्षण और जल-मृदा परीक्षण में सहायता करता है
- आईआईटी बॉम्बे के साथ साझेदारी में नहरों को बहाल करने के लिए अलप्पुझा में नहर परियोजना शुरू की गई
- अपने आंतरिक ऑनलाइन प्रशिक्षण और निगरानी प्रणाली के लिए मुख्यमंत्री का पुरस्कार जीता
- इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड लीडरशिप (आईपीपीएल) के माध्यम से पीजी कार्यक्रम चलाता है

सर्वोत्तम पद्धतियों /उपलब्धियों पर वीडियो: https://youtu.be/N2H1FGsGo2s?si=kYn-xKiCLx8Tongn

रैंक 2: राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एसआईआरडी और पीआर), ओडिशा

संस्था का विवरण

एसआईआरडी एंड पीआर, ओडिशा जिला और ब्लॉक स्तरों पर इन-हाउस, ऑफ-कैंपस और कैस्केडिंग मोड सहित विभिन्न प्रारूपों के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित करता है, जो 19 जिला पंचायत संसाधन केंद्रों, 3 एक्सटेंशन प्रशिक्षण केंद्रों और 314 पंचायत समितियों द्वारा समर्थित है। यह पहल ज्ञान प्रसार को बढ़ाती है और अधिक प्रभावशाली मान्यता के लिए एनपीए मानकों, सीएफसी-एसएफसी अनुदान का उपयोग और ओएसआर मानकों

को शामिल करके राज्य पंचायत पुरस्कार मानदंडों को परिष्कृत करती है।

प्रमुख उपलब्धियां

- वर्ष 2023-24 के दौरान निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) और पदाधिकारियों के लिए 2795 प्रशिक्षण आयोजित किए गए
- लगभग 51 हजार ईआर और 1.09 लाख लाइन विभाग वर्ष 2023-24 में प्रशिक्षित पदाधिकारी
- एक परियोजना प्रबंधन इकाई है
- नए नियुक्त जेई, जीपीडीओ और पीईओ (252 प्रशिक्षित) के लिए 15 दिवसीय प्रवेशकालीन मॉड्यूल पेश किए गए
- महिला सभा और बाल सभा के दिशानिर्देशों को विकसित और कार्यान्वित किया
- प्रदर्शन ट्रैकिंग और परामर्श के लिए ष्स्थानीय चौंपियनष और षबिगिनर टू अचीवरष लॉन्च किया गया
- वास्तविक-काल प्रशिक्षण और प्रतिभागी निगरानी के लिए एक डिजिटल पोर्टल (जउचेपतक.वकपें.हवअ.पद) विकसित किया गया
- स्वामित्व पहल के माध्यम से 4,562 सरपंचों और 1,250 वीईओ का उल्लेख किया गया
- मसौदा प्रमुख शासन उपकरण/टूल्स: ओएसआर नियम, पेसा नियम, नागरिक चार्टर और 9 विषयगत मॉड्यूल
- वित्तीय स्थिरता मेट्रिक्स को शामिल करके पुरस्कार मूल्यांकन मानदंडों को बेहतर बनाया गया

सर्वोत्तम पद्धतियों /उपलब्धियों पर वीडियो: https://youtu.be/5b94Piz9KTA?si=0lDYSkXRGzULvdzE

रैंक 3: राज्य पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईपी और आरडी), असम

संस्था का विवरण

(एसआईपी एंड आरडी), असम की स्थापना सितंबर 1987 में हुई थी और 1998 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वायत्त निकाय बन गया था। पंचायती राज मंत्रालय के एक निर्देश के जवाब में, इसे 11 जुलाई 2016 को पंचायत और ग्रामीण विकास राज्य संस्थान (एसआईपीआरडी) के रूप में फिर से नामित किया गया था। संस्थान की परिकल्पना ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान में उत्कृष्टता का केंद्र बनना है, और इसका मिशन बेहतर शासन और विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए हितधारकों की क्षमता का निर्माण करना है। एसआईपीआरडी गुवाहाटी में 2 परिसरों से संचालित होता है, जिसमें 12 एक्सटेंशन प्रशिक्षण केंद्र और 11 कार्यात्मक जिला पंचायत संसाधन केंद्र (12 और निर्माणाधीन) हैं, जो 87 संकाय सदस्यों और प्रशिक्षित मास्टर प्रशिक्षकों के नेटवर्क द्वारा समर्थित हैं।

प्रमुख उपलब्धियां

- निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) और पदाधिकारियों के लिए वर्ष 2023-24 के दौरान 5975 प्रशिक्षण आयोजित किए गए
- वर्ष 2023-24 में लगभग 14 हजार ईआर और 25 हजार लाइन विभाग के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया
- एक परियोजना प्रबंधन इकाई है
- राज्य भर में जन योजना अभियान (जीपीडीपी, बीपीडीपी, डीपीडीपी तैयारी)
- राज्य भर में लोगों के योजना अभियान का नेतृत्व किया (जीपीडीपी, बीपीडीपी, डीपीडीपी तैयारी)
- 9 विषयवार क्षेत्रों (उदाहरण के लिए लिंग, आजीविका, पेयजल) में एसडीजी-केंद्रित प्रशिक्षण दिए गए
- व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए लाइव प्रदर्शन उपकरण के रूप में 6 पीएमएवाई-जी मॉडल घर बनाए गए
- प्रशिक्षण निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए एक एमआईएस सिस्टम (siprdassam-org) लागू किया गया
- 12 विस्तार प्रशिक्षण केंद्र और 11+ जिला पंचायत संसाधन केंद्र स्थापित किए गए
- टीओटी के माध्यम से मास्टर प्रशिक्षकों/संसाधन व्यक्तियों का एक प्रशिक्षित नेटवर्क बनाया गया
- पंचायत विकास सूचकांक (PDI) के कार्यान्वयन के लिए पंचायतों का समन्वय और मार्गदर्शन

सर्वोत्तम पद्धतियों /उपलब्धियों पर वीडियो: https://youtu.be/64Lu9j2Xx7k?si=PjXTncmqbH2N9yFp

18. सेवा वितरण की गहराई को सुदृढ़ करने हेतु जमीनी स्तर की पहलों के लिए पुरस्कार:''

पंचायती राज मंत्रालय तथा प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार (एन.ए.ई.जी.) 2026 के तत्वावधान में 'जमीनी स्तर की पहलों हेतु पुरस्कार' स्थापित किए हैं।

इन पुरस्कारों का उद्देश्य उन उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय निकायों को समुचित मान्यता प्रदान करना है, जिन्होंने नवोन्मेषी, पारदर्शी एवं प्रौद्योगिकी-सक्षम शासन

रोहिणी ग्राम पंचायत (धुले जिला, महाराष्ट्र) को वर्ष 2025 में जमीनी स्तर पर सेवा प्रदायन को सुदृढ़ करने की पहलों हेतु पुरस्कार प्राप्त हुआ।

पद्धतियों को अपनाते हुए जन-जीवन की सुगमता को बढ़ावा दिया है तथा सार्वजनिक सेवा वितरण को सुदृढ़ किया है। यह पहल केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों, जिला प्रशासन, संस्थानों तथा स्टार्टअप्स द्वारा उत्तरदायी, नागरिक-केंद्रित एवं डिजिटल रूप से सशक्त शासन तंत्र को प्रोत्साहित करने में किए गए अनुकरणीय योगदान को भी सम्मानित करने का उद्देश्य रखती है।

पुरस्कारों के वर्तमान चक्र में अभूतपूर्व प्रतिसाद प्राप्त हुआ है, जिसमें 30 राज्यों से 1,65,000 से अधिक ग्राम पंचायतों ने सहभागिता की, जो जमीनी स्तर पर डिजिटल रूपांतरण के प्रति संस्थागत प्रतिबद्धता एवं व्यापक सहभागिता को दर्शाता है। एक सुव्यवस्थित एवं कठोर बहु-स्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया के उपरांत 3,800 से अधिक ग्राम पंचायतों को खंड-स्तरीय मूल्यांकन चरण में अनुशंसित किया गया। तत्पश्चात, 360 ग्राम पंचायतों को जिला-स्तरीय मूल्यांकन चरण में अनुशंसा प्राप्त हुई है, जिन्हें आगामी राज्य-स्तरीय मूल्यांकन हेतु विचारार्थ अग्रेषित किया गया है।

सहभागिता के इस व्यापक स्तर तथा क्रमिक परीक्षण की व्यवस्थित प्रक्रिया से देशभर में जमीनी स्तर पर संचालित ई-गवर्नेंस पहलों की सुदृढ़ता, विश्वसनीयता एवं परिवर्तनकारी महत्ता परिलक्षित होती है।

कार्यात्मक अनुसंधान और अनुसंधान अध्ययन

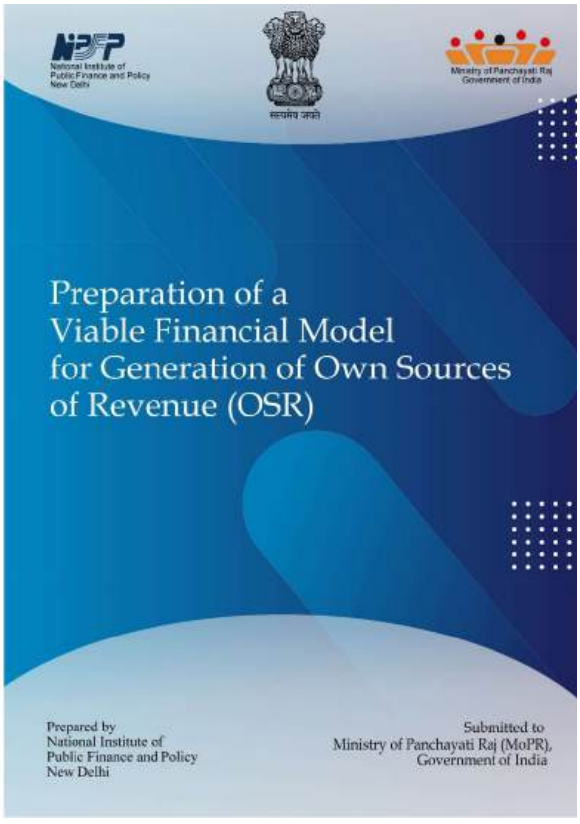

अध्याय 17

कार्यात्मक अनुसंधान और अनुसंधान अध्ययन

17.1 संशेधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत शामिल "कार्यात्मक अनुसंधान एवं प्रचार" योजना का कार्यात्मक अनुसंधान घटक उन शैक्षणिक संस्थाओं/एनजीओ/ अनुसंधान सोसाइटियों / पंजीकृत सोसाइटियों / गैर-लाभकारी संगठनों/एसआईआरडी एवं पीआर को, जिनके पास पंचायती राज के क्षेत्र में अनुसंधान और मूल्यांकन का विशेष अनुभव है, अनुसंधान अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये अध्ययन देशभर में पंचायती राज से संबंधित दीर्घकालिक मुद्दों, प्रभावों और अनुभवों का गहन विश्लेषण प्रदान करते हैं। एआर एवं आरएस के माध्यम से, मंत्रालय उन क्रॉसकटिंग नीतिगत मुद्दों की पहचान करने के बौद्धिक प्रयासों का समर्थन करता है जो पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावित करते हैं, और इन निष्कर्षों को राज्य सरकारों तथा केंद्रीय मंत्रालयों तक संप्रेषित करता है। ये अध्ययन मौजूदा योजना के दिशानिर्देशों में कमियों को दूर करने और नए दिशानिर्देश तैयार करने में मदद करते हैं। उक्त घटक में की जाने वाली परियोजनाओं या गतिविधियों के प्रकार निम्नलिखित हैं:

i. संशेधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत शामिल "कार्यात्मक अनुसंधान एवं प्रचार" योजना का कार्यात्मक अनुसंधान घटक उन शैक्षणिक संस्थाओं / एनजीआ / अनुसंधान सोसाइटियों/ पंजीकृत सोसाइटियों / गैर - लाभकारी संगठनों /एसआईआरडी एवं पीआर को, जिनके पास पंचायती राज के क्षेत्र में अनुसंधान और मूल्यांकन का विशेष अनुभव है, अनुसंधान अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये अध्ययन देशभर में पंचायती राज से संबंधित दीर्घकालिक मुद्दों, प्रभावों और अनुभवों का गहन विश्लेषण प्रदान करते हैं। एआर एवं आरएस के माध्यम से, मंत्रालय उन क्रॉसकटिंग नीतिगत मुद्दों की पहचान करने के बौद्धिक प्रयासों का समर्थन करता है जो पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावित करते हैं, और इन निष्कर्षों को राज्य सरकारों तथा केंद्रीय मंत्रालयों तक संप्रेषित करता है। ये अध्ययन मौजूदा योजना के दिशानिर्देशों में कमियों को दूर करने और नए दिशानिर्देश तैयार करने में मदद करते हैं। उक्त घटक में की जाने वाली परियोजनाओं या गतिविधियों के प्रकार निम्नलिखित हैं:

17.2 वर्ष 2025-26 के दौरान, इस घटक के तहत 1.80 करोड़ रुपये (बजट आकलन) आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 0.89 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग अब तक (31 दिसंबर, 2025 तक) किया जा चुका है।

17.3 हर साल, मंत्रालय चिन्हित विषयों के आधार पर अध्ययन को मंजूरी देता है। तदनुसार, वर्ष के लिए चिन्हित विषयों के आधार पर, निम्नलिखित अध्ययन स्वीकृत किए गए और प्रगति पर हैं:

तालिका 17.1		
क्र.सं.	पुरस्कृत संस्थान/संगठन का नाम	अध्ययन का शीर्षक
i.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली	पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और दो बच्चों के नियम लागू करने की प्रभावशीलता का आकलन करें।
ii.	ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आणंद (इरमा), गुजरात।	पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज में चक्रानुक्रम (रोटेशनल) आरक्षण ख्र तर्कसंगत और प्रभाव।

17.4. उपरोक्त के अलावा, निम्नलिखित चिन्हित विषयों पर अध्ययन करने के लिए प्रस्ताव भी आमंत्रित किए गए हैं:

क) पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में पारंपरिक नेता और ग्रामीण स्थानीय निकायों पर उनका प्रभाव।

ख) ग्राम न्यायालय पर अध्ययन।

ग) ग्रामीण स्थानीय निकायों में प्रत्यक्ष चुनावों का प्रभाव।

घ) पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में पंचायतों के स्वशासन को मजबूत करने में पेसा का प्रभाव।

ङ) पंचायती राज संस्थाओं को राजकोषीय स्वायत्तता - एक क्रॉस कंट्री तुलनात्मक अध्ययन।

17.5 इस वर्ष, तीन एक्शन रिसर्च अध्ययन रिपोर्टें स्वीकृत की गई, जो प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा संचालित की गई थीं। ये अध्ययन पंचायती राज के कामकाज के महत्वपूर्ण आयामों को संबोधित करते हैं और देश भर में विकेंद्रीकृत शासन को सुदृढ़ करने के लिए साक्ष्य-आधारित सिफारिशें प्रस्तुत करते हैं।

1. **संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं पंचायतों के बीच संपर्क को सुदृढ़ बनाना (सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, हैदराबाद)**

यह अध्ययन सांसदों, विधायकों और पंचायती राज संस्थाओं के बीच कार्यसंबंध की जांच करता है, जिसमें स्थानीय स्तर पर योजनाओं और निधियों के अभिसरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें जिला योजना समितियों को दिशा समितियों के साथ मिलकर पुनर्जीवित करने तथा माननीय सांसदों और विधायकों को पंचायती राज संस्थाओं की योजनाओं से एकीकृत निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनाएं तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभाने की सिफारिश की गई है। यह ज्ञान साझाकरण के लिए अंतर-जिला

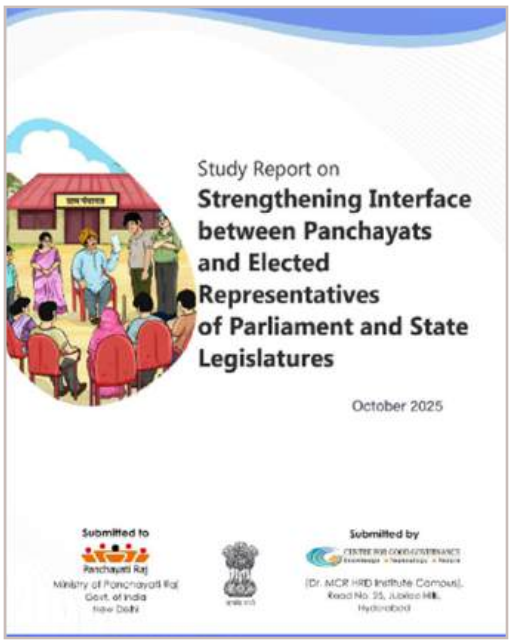

परिषदों की स्थापना, पंचायती राज मामलों के लिए राज्य-स्तरीय समन्वय समितियों के गठन और अनुदान जारी करने की पूर्व शर्त के रूप में कार्यात्मक जिला योजना समितियों को अनिवार्य बनाने का आह्वान करता है। महत्वपूर्ण रूप से, राज्य पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थानों को सांसद एवं विधायक निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनाओं की तैयारी में अग्रणी भूमिका निभाने और पंचायत प्रतिनिधियों व विधायकों को योजना, अभिसरण तथा सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर संयुक्त रूप से उन्मुख करने की सिफारिश की गई है जिससे उच्च विधायी निकायों और जमीनी शासन के बीच एक अधिक संरचित और समन्वित संपर्क स्थापित हो सके।

2. **पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की केंद्र प्रायोजित योजना और आंध्र प्रदेश में ग्राम सचिवालयों का मूल्यांकन (इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, गुजरात)**

यह मूल्यांकन क्षमता निर्माण, डिजिटल शासन, बुनियादी ढांचे, पंचायतों को प्रोत्साहन और प्रचार-प्रसार के क्षेत्रों में पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत उल्लेखनीय प्रगति की पुष्टि करता है और सभी घटकों सहित इसके विस्तार की दृढ़ता से अनुशंसा करता है। प्रमुख सिफारिशों में वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर को संस्थागत बनाना, खंड पंचायत संसाधन केंद्रों और मोबाइल प्रशिक्षण इकाइयों के माध्यम से प्रशिक्षण का विकेंद्रीकरण, महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए अनिवार्य नेतृत्व कार्यक्रम

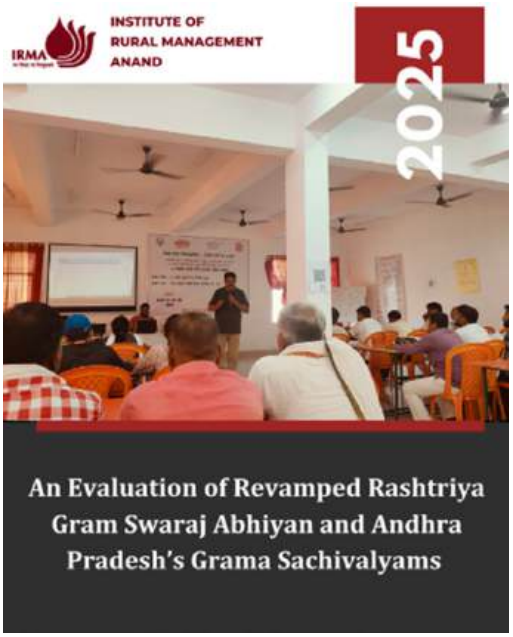

शुरू करना, पंचायत डिजिटल सहयोगियों की तैनाती, एकीकृत सूचना-शिक्षा-संचार और क्रियात्मक शोध गतिविधियों के लिए समर्पित बजट मद बनाना तथा पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना करना शामिल है। आंध्र प्रदेश में ग्राम सचिवालय मॉडल पर यह अध्ययन ग्राम सचिवालय कार्यकर्ताओं को ग्राम पंचायत ढांचे में एकीकृत करने की सिफारिश करता है और सभी राज्यों के लिए एकीकृत स्थानीय स्वशासन मॉडल की वकालत करता है जिसमें एकीकृत शासन प्राधिकरण, समन्वित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और निरंतर क्षमता निर्माण शामिल हो।

3. **राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ग्राम सभा में कम भागीदारी (राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद)**

यह अध्ययन ग्राम सभा को जमीनी लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में रेखांकित करता

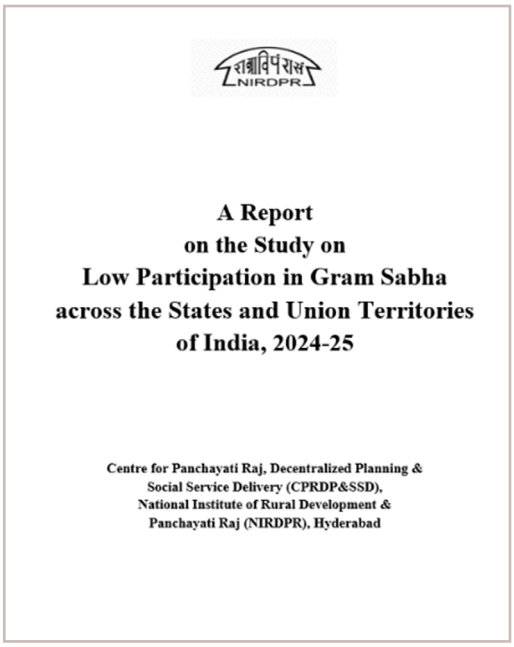

है और भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक उपायों की सिफारिश करता है। इनमें कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों में जागरूकता अभियान, पहुंच और सहभागिता के लिए प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया का उपयोग, सामुदायिक जुड़ाव बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करना, प्रशिक्षित सामुदायिक संगठकों की तैनाती तथा पारदर्शिता के लिए ग्राम सभा की कार्यवाही को एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना शामिल है। महिला नेतृत्व को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया है और पंचायत विस्तार अनुसूचित क्षेत्र अधि नियम के अंतर्गत राज्यों के लिए भागीदारी हेतु कानूनी अधिदेश, उन्नत डिजिटल शासन तथा लाइन विभागों एवं ग्राम समुदायों के साथ सुदृढ़ संपर्क की सिफारिश की गई है।

मीडिया और प्रचार

अध्याय 18

मीडिया और प्रचार

18.1 परिचय

18.1.1 ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर निर्णय लेने वाली संस्थाओं, पंचायतों और ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए, मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों, पंचायतों के राज्य अधिकारियों, एनजीओ, जैसे कई और विविध हितधारकों तक पहुंचने का प्रयास करता है, साथ ही नीति निर्माताओं और विचार निर्माताओं तक और उनके माध्यम से अंतिम छोर के ग्रामीण आबादी तक पहुँचने का प्रयास करता है, ताकि उन्हें इस मंत्रालय के साथ-साथ भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों की योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतिगत पहलों और सुधारों के बारे में सूचित, जागरूक और शिक्षित किया जा सके। इसके लिए, पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) न केवल अंतिम मील की ग्रामीण आबादी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी के प्रसार के लिए केवल 'मीडिया और प्रचार' योजना लागू नहीं करता है, बल्कि पीआरआई और अन्य पदाधिकारियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की वकालत और क्षमता निर्माण को भी मजबूत करता है।

18.1.2 आईईसी अभियानों की आवश्यकता और लक्षित दर्शकों के अनुसार, लक्षित दर्शकों / समूहों तक पहुंचने, संलग्न करने, सूचित करने और जागरूकता फैलाने के लिए मीडिया के विभिन्न तरीकों का उपयोग करके रणनीतिक रूप से मीडिया योजना तैयार की जाती है, जिसमे आम तौर पर प्रिंट (समाचार पत्र, पत्रिकाएं), प्रसारण (टीवी, रेडियो, सामुदायिक रेडियो), आउटडोर (दीवार-पेंटिंग/ बैनर/ होर्डिंग्स/ मेले/ त्यौहार), पारंपरिक (गीत, नृत्य, नाटक, लोक गायन) और सोशल मीडिया शामिल हैं।

18.2 राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह - 2025

18.2.1 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 अप्रैल, 2025 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के समारोह में भाग लेने के लिए ग्राम पंचायत-लोहना उत्तर, जिला-मधुबनी, बिहार का दौरा किया और वहां से, गणमान्य व्यक्तियों और बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की उपस्थिति में, देश भर की सभी ग्राम सभाओं को संबोधित किया।

18.2.2 राष्ट्रीय स्मरणोत्सव में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के निर्वाचित प्रतिनिधियों, कई सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और स्थानीय निवासियों की जीवंत भागीदारी देखी गई। माननीय प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 13,480 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ये पहलें आवास, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, परिवहन और कनेक्टिविटी सहित प्रमुख क्षेत्रों में फैली हुई थीं।

18.2.3 इस कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार (सीएएसपीए), आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार (एएनपीएसए), और पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार (पीकेएनएसएसपी) प्रदान करना, जलवायु कार्रवाई (सीएएसपीए), आत्मनिर्भरता (एएनपीएसए) और क्षमता निर्माण (पीकेएनएसएसपी) में अनुकरणीय योगदान को मान्यता देना था। आठ राज्यों की कुल छह ग्राम पंचायतों और तीन संस्थाओं को सम्मानित किया गया।

18.3 डिजिटल पहुँच और अभिनव मीडिया पहलें

18.3.1 वर्ष 2025 के दौरान, मंत्रालय ने पंचायती राज से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए नवीन डिजिटल पहुँच की विधियों को अपनाया। एक उल्लेखनीय पहल वेब श्रृंखला "फुलेरा का पंचायती राज" थी, जिसे शासन से संबंधित संदेशों को संप्रेषित करने के लिए एक ज्ञानरंजक/इन्फोटेनमेंट माध्यम का उपयोग करके लोकप्रिय श्रृंखला "पंचायत" के विस्तार के रूप में विकसित किया गया था।

18.3.2 इस श्रृंखला को यूट्यूब पर 41 मिलियन से अधिक व्यूज मिले, मंत्रालय के यूट्यूब चौनल पर अतिरिक्त 8.6 मिलियन व्यूज मिले। व्यापक पहुंच के लिए अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ सभी एपिसोड हिंदी में तैयार किए गए थे। महिलाओं के नेतृत्व, मेरी पंचायत ऐप और स्वामित्व (SVAMITVA) जैसी डिजिटल सेवाओं के माध्यम से पारदर्शिता और पंचायतों के स्वयं के राजस्व स्रोतों में वृद्धि जैसे मुद्दों पर प्रकाश डालने वाले प्रकरणों/एपिसोड का विवरण:

एपिसोड का शीर्षक	विमोचन की तिथि	मूल संदेश
असली प्रधान कौन?	4 मार्च 2025	महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा वास्तविक नेतृत्व को बढ़ावा देना और प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर प्रकाश डालना
फुलेरा में चोरी	12 मार्च 2025	मेरी पंचायत ऐप और स्वामित्व (SVAMITVA) जैसे डिजिटल सेवाओं के माध्यम से पारदर्शिता और पहुंच का प्रदर्शन।
अल्हुआ विकास	24 अप्रैल 2025	नागरिक भागीदारी के साथ स्वयं के राजस्व स्रोतों में वृद्धि के माध्यम से पंचायतों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना

18.3.3 इस श्रृंखला पर व्यापक सार्वजनिक ध्यान दिया गया, जिसमें यूट्यूब पर 40 मिलियन से अधिक लोगों ने देखा, जिसमें मंत्रालय के आधिकारिक यूट्यूब चौनल पर 7.9 मिलियन देखने वाले शामिल थे।

18.3. 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी:

18.3.1 देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, पूरे देश से पंचायती राज संस्थाओं के लगभग 210 चुने हुए प्रतिनिधियों और उनके जीवनसाथियों को खास मेहमान के तौर पर बुलाया गया, जिन्होंने 15.08.2025 को मशहूर लाल किले पर झंडा फहराने का समारोह देखा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर विशेष रूप से आयोजित एक अभिनंदन समारोह में पंचायती राज मंत्री और पंचायती राज राज्य मंत्री ने विशेष अतिथियों को सम्मानित किया।

18.3.2 इस अवसर पर, विशिष्ट अतिथियों ने "सभासार" का भी अनावरण किया, जो एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) संचालित उपकरण/टूल है जो ग्राम सभा की कार्यवाही और अन्य पंचायत बैठकों की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग से स्वचालित रूप से संरचित बैठक के कार्यवृत्त (एमओएम) तैयार करता है। इसके अतिरिक्त, ग्रामोदय संकल्प पत्रिका के 16वें संस्करण का विमोचन किया गया। यह ई-प्रकाशन पंचायत सशक्तिकरण, स्थानीय

शासन और नवाचार से संबंधित मूल्यवान अंतर्दृष्टि, सफलता की कहानियों और प्रेरक अनुभवों पर प्रकाश डालता है। 16वें संस्करण का विषय "पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण" है।

18.4 श्रव्य-दृश्य और रेडियो कार्यक्रम

18.4.1 मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 के दौरान 17 श्रव्य-दृश्य लघु फिल्मों का निर्माण किया ताकि उन्हें विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में प्रदर्शित किया जा सके और पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण समुदायों के प्रतिनिधियों के बीच जागरूकता बढ़ाई जा सके। जिन प्रमुख विषयों पर श्रव्य-दृश्य फिल्मों का निर्माण किया गया था, वे इस प्रकार हैं:

i. पेसा दिवस के अवसर पर माननीय राज्य मंत्री का संदेश
ii. संविधान दिवस पर फिल्म
iii. सभासार के लिए शिक्षण वीडियो
iv. आदर्श युवा ग्राम सभा पर फिल्म
v. आदर्श युवा ग्राम सभा के लिए शिक्षण वीडियो (MYGS)
vi. सबकी योजना सबका विकास पर पीएसए फिल्म
vii. पंचायत वेब सीरीज पर फिल्में (3 एपिसोड)
viii. पेसा अधिनियम की सर्वोत्तम प्रथाओं पर फिल्म (4 फिल्में)
ix. पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) पर फिल्म

x. सभासार के लिए फिल्म का विमोचन

xi राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए फिल्म (एनपीआरडी)

18.4.2 इन लघु फिल्मों को मंत्रालय के यूट्यूब चौनल में भी अपलोड किया गया है।

18.4.3 केंद्रीय संचार ब्यूरो के समन्वय से 22-24 दिसंबर 2025 के दौरान पेसा राज्यों में आकाशवाणी के माध्यम से पेसा महोत्सव 2025 के संबंध में एक कंद्रित रेडियो-आधारित जागरूकता अभियान चलाया गया था।

18.4.4 पेसा महोत्सव और जनजातीय स्वशासन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए समाचार खंडों के दौरान हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में 40 सेकंड का रेडियो स्पॉट प्रसारित किया गया था, जिससे ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में प्रभावी पहुंच सुनिश्चित हो सके जहां रेडियो संचार का प्राथमिक माध्यम बना हुआ है।

18.4.5 जन योजना अभियान पर लोक सेवा जागरूकता फिल्म - सबकी योजना, सबका विकास

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकृत योजना में जागरूकता और जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए जन योजना अभियान ख्र सबकी योजना, सबका विकास पर दो मिनट की जन सेवा जागरूकता (पीएसए) फिल्म का निर्माण किया गया था। फिल्म को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से 24 अक्टूबर से 6 नवंबर 2025 तक देश भर के सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया था।

18.5 आईईसी अभियान

18.5.1 पंचायती राज मंत्रालय ने पूरे वर्ष आईईसी /जागरूकता सृजन गतिविधियों को जारी रखा, जिसका उद्देश्य सूचना प्रसार / प्रभावी संचार क्षमता का निर्माण करना और पंचायतों के प्रदर्शन को बढ़ाना है। मीडिया गतिविधियों का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मचारियों, राज्य मशीनरी के अधिकारियों, अन्य हितधारकों और बड़े पैमाने पर जनता को लक्षित करना है।

18.5.2 मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं और पंचायती राज के अन्य हितधारकों के बीच मंत्रालय के प्रमुख अभियानों, पहलों और गतिविधियों के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रसारित करने के लिए बल्क शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज (एसएमएसई), सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप समूहों का सहारा लिया।

18.5.3 वर्ष समाप्ति समीक्षा (2025) - वार्षिक प्रेस विज्ञप्ति

पंचायती राज मंत्रालय की वर्ष 2024 के लिए प्रमुख पहलों और उपलब्धियों को उजागर करने वाली वार्षिक प्रेस विज्ञप्ति 29 दिसंबर 2025 को प्रेस सूचना ब्यूरो के माध्यम से जारी की गई थी।

18.6 मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म

18.6.1 सोशल मीडिया की पहुंच और ग्रामीण जनता के बीच लगातार तेज गति से उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि को देखते हुए, मंत्रालय चार सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया नेटवर्क सेवाओं का उपयोग करता है: एक्स (ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब (वीडियो साझा करने के लिए), लिंक्डइन और पब्लिक ऐप।

18.6.2 सर्विस प्लस और सोशल मीडिया द्वारा संचालित बल्क-एसएमएस का उपयोग मंत्रालय द्वारा घटनाओं/गतिविधियों/अभियानों को कवर करने के साथ-साथ मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों/विभागों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण संदेशों के प्रसार के लिए किया जा रहा है।

18.6.3 सीबीसी और एनएफडीसी के साथ सूचीबद्ध एजेंसियों के साथ-साथ अन्य मंत्रालयों और विभागों के समान दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से उत्पादित विभिन्न प्रारूपों और शैलियों में दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम मंत्रालय के यूट्यूब चौनल पर अपलोड किए जाते हैं। मंत्रालय की वेबसाइट पर यूट्यूब चौनल का लिंक शामिल किया गया है, ताकि इसे राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश पंचायती राज विभागों तथा राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थाओं (एसआईआरडी और पीआरएस) द्वारा जन जागरूकता सृजन और अभिविन्यास या प्रशिक्षण गतिविधियों सहित कई उद्देश्यों के लिए इसके प्रभावी उपयोग को सक्षम किया जा सके।

18.6.4 मंत्रालय द्वारा आयोजित सभी प्रमुख कार्यक्रम, कार्यशालाओं/सम्मेलनों आदि सहित, प्रमुखता से कवर किए गए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, संविधान दिवस, सुशासन सप्ताह, विशेष अभियान 5.0, मिशन लाइफ आदि जैसे राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण दिनों/अभियानों के स्मरणोत्सव से संबंधित आईईसी अभियान भी सोशल मीडिया के माध्यम से चलाए गए हैं। मंत्रालय के सक्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का विवरण तालिका 18.1 में दिया गया है।

(31 दिसंबर 2025 तक)

क्र. स.	प्लेटफॉर्म	उपयोगकर्ता का नाम	उपयोगकर्ता की आईडी	फौलोवर्स की संख्या	यूआरएल (लिंक)
1.	X (ट्विटर)	पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार	@mopr.goi	2,53,060	https://twitter.com/mopr_goi
2.	फेसबुक	पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार	@MinistryOfPanchayatiRaj	1,04,032	1,04,032
3.	पब्लिक ऐप	पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार	@MinistryOfPanchayatiRaj	32k	https://www.kooapp.com/profile/MinistryofPanchayatiRaj
4.	इन्स्टाग्राम	पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार	@Ministry of Panchayati Raj	67.9k	https://www.instagram.com/ministryofpanchayatiraj

5.	यू ट्यूब	पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार	@Ministry of Panchayati Raj	62.6k	https://www.youtube.com/@Ministryof PanchayatiRaj

18.7 मेरी पंचायत, मेरी धरोहर ख्र ग्राम पंचायतों की सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन

मेरी पंचायत मेरी धरोहर देश के विभिन्न हिस्सों में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने के लिए एक अभियान है। इस पहल के माध्यम से, ग्राम पंचायतें अपनी स्थानीय परंपराओं, ऐतिहासिक स्थलों, कला रूपों, त्योहारों और सामुदायिक प्रथाओं का प्रदर्शन कर रही हैं जो भारत की विविध विरासत को दर्शाती हैं। व्यापक जागरूकता पैदा करने, सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने और गांवों से कई अनूठी कहानियों को राष्ट्रीय दर्शकों तक लाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है,जिससे स्थानीय विरासत और उसे बचाने में पंचायतों की भूमिका पर गर्व बढ़ता है।

मंत्रालय में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

अध्याय 19

मंत्रालय में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

19.1 संघ सरकार की राजभाषा नीति

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा नीति का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नोडल विभाग है। यह विभाग संवैधानिक प्रावधानों, नियमों और आदेशों के माध्यम से राजभाषा नीति को लागू करता है। प्रत्येक वर्ष, यह अपने 'वार्षिक कार्यक्रम' के माध्यम से राजभाषा हिंदी के लिए लक्ष्य और कार्यक्रम निर्धारित करता है। पंचायती राज मंत्रालय ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए हैं। मंत्रालय के राजभाषा अनुभाग ने सभी प्रकार के अनुवाद कार्य पूरे कर लिए हैं और राजभाषा नीति का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया है।

19.2 राजभाषा नियमों का अनुपालन

राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधान मंत्रालय में लागू किए जा रहे हैं। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत सभी निर्दिष्ट दस्तावेज, जैसे संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्ति, प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट और संसद के किसी भी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने वाले आधिकारिक कागजात, अनुबंध, करार, लाइसेंस, परमिट, निविदा नोटिस, निविदा प्रपत्र आदि द्विभाषी रूप से अर्थात हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी किए जा रहे हैं।

19.3 राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियाँ

19.3.1. मंत्रालय के राजभाषा अनुभाग ने हिंदी के प्रयोग की प्रगति का आकलन करने के लिए 9 अनुभागों का राजभाषा निरीक्षण किया।

19.3.2. मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

इस संबंध में, 7 मई, 2025 को "संसदीय राजभाषा निरीक्षण" विषय पर और 23 जुलाई, 2025 को "हिंदी सलाहकार समिति की बैठक" विषय पर हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गई। मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इन कार्यशालाओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। मंत्रालय की त्रैमासिक ई-पत्रिका, 'ग्रामोदय संकल्प' हिंदी सहित 13 भाषाओं में प्रकाशित की जाती है, यह सुनिश्चित करती है कि योजनाओं और गतिविधियों के बारे में जानकारी आम जनता तक सरल भाषा में पहुंचे।

19.4 मंत्रालय की वेबसाइट का द्विभाषीकरण

मंत्रालय की वेबसाइट द्विभाषी बनाई गई है और यह डिफॉल्ट रूप से (बाइ डिफॉल्ट) हिंदी में खुलती

है।

19.5 मंत्रालय में राजभाषा कार्यान्वयन की निगरानी

19.5.1. मंत्रालय में राजभाषा हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करने के लिए संयुक्त सचिव (राजभाषा प्रभारी) की अध्यक्षता में एक विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। समिति में मंत्रालय के सभी निदेशक, उप सचिव और अन्य अधिकारी शामिल हैं। समीक्षा अवधि के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की कुल चार बैठकें आयोजित की गईं। इन समिति की बैठकों में हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग की प्रगति की समीक्षा की गई, हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की गई, और समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती

कार्रवाई सुनिश्चित की गई।

19.5.2. इस वर्ष, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने राजभाषा विभाग की स्थापना की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में 26 जून, 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली और 10 जुलाई, 2025 को जीएमसी बालायोगी इनडोर स्टेडियम, हैदराबाद में भव्य

सम्मेलनों का आयोजन किया। इसके अलावा, 14-15 सितंबर, 2025 को अहमदाबाद, गुजरात में हिंदी दिवस समारोह आयोजित किए गए। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया।

19.5.3. हिन्दी दिवस के अवसर पर माननीय गृह मंत्री, माननीय पंचायती राज मंत्री, माननीय पंचायती राज राज्य मंत्री और माननीय सचिव के अपील विभाग के सभी वर्गों को प्रसारित किए गए।

19.6 मंत्रालय में हिंदी पखवाड़े का आयोजन

19.6.1. मंत्रालय में 16 से 30 सितंबर, 2025 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया था। इस अवधि के दौरान विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुल चार प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, मुख्य रूप से हिंदी नोटिंग और ड्राफ्टिंग, निबंध लेखन, हिंदी प्रश्नोत्तरी और शब्दावली प्रतियोगिताएं और एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस वर्ष प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के साथ-साथ सांत्वना पुरस्कार देने का प्रावधान बनाया गया। विजेता अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के लिए 16 अक्टूबर, 2025 को एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया था। पुरस्कार माननीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एस.पी. सिंह बघेल द्वारा प्रदान किए गए।

19.7 हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन करना

19.7.1 संबंधित माननीय मंत्री की अध्यक्षता में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में माननीय सांसद और राजभाषा हिंदी से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रख्यात विद्वान शामिल हैं, जिन्हें गैर-आधिकारिक सदस्यों के रूप में नामित किया जाता है। पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह की अध्यक्षता में मंत्रालय की पुनर्गठित हिंदी सलाहकार समिति की पहली बैठक 15 दिसंबर, 2025 को डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

19.7.2 इस बैठक में माननीय पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह, माननीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. एस. पी. सिंह बघेल, श्री विवेक भारद्वाज, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय और हिंदी सलाहकार समिति के सम्मानित सदस्य ख्र श्री रामभाई हरजीभाई मोकारिया, माननीय सांसद (राज्य सभा); श्री वीरेंद्र प्रसाद वैश्य, माननीय सांसद (राज्य सभा); श्री राम नरेश तिवारी पिंडीवासा; श्रीमती (डॉ.) सुमन सुराना; श्री विजय बघेल; डॉ. राहुल राज कुलश्रेष्ठ; श्रीमती माया कुलश्रेष्ठ, श्री प्यार सिंह और डॉ. आथिरा वी.। श्री सुशील कुमार लोहानी,

अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, श्रीमती ममता वर्मा (संयुक्त सचिव), सुश्री मुक्ता शेखर (संयुक्त सचिव), श्री आलोक प्रेम नागर (संयुक्त सचिव), श्री विजय कुमार बेहरा, आर्थिक सलाहकार, श्री राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव और राजभाषा प्रभारी, श्री रघुवीर शर्मा, उप निदेशक (राजभाषा) और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे। समिति के माननीय सदस्यों ने समिति की बैठक में राजभाषा के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने पर सार्थक चर्चा की। कार्यालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए समिति के सदस्यों द्वारा कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए, जिन पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

पंचायती राज मंत्रालय की पुनर्गठित हिंदी सलाहकार समिति की पहली बैठक, जिसकी अध्यक्षता माननीय पंचायती राज मंत्री ने की

पंचायत धरोहर पहल

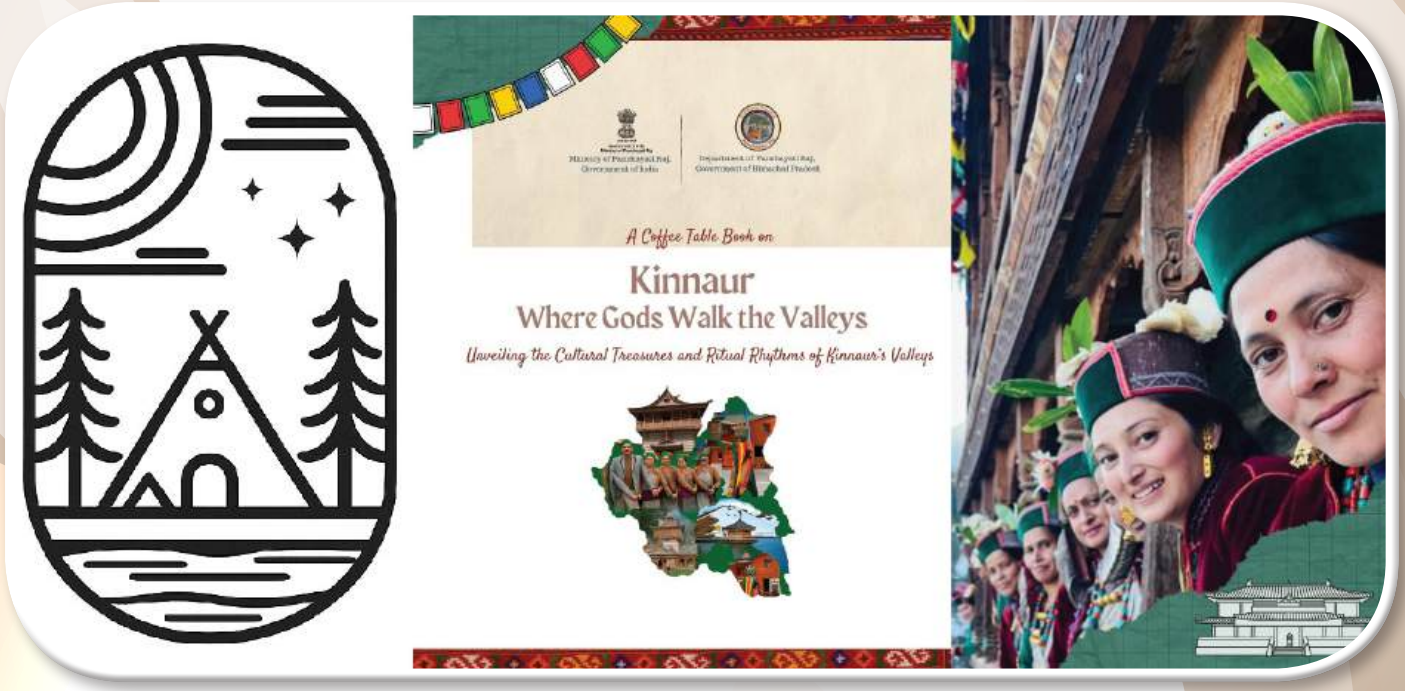

अध्याय 20

पंचायत धरोहर पहल

20.1 सांस्कृतिक गतिविधियां भारत के संविधान द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित 29 विषयों में से एक है। भारत में अपार महत्व की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत है। यह मानते हुए कि भारत की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है, पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) द्वारा 'पंचायत धरोहर पहल' की संकल्पना की गई है। इस पहल का उद्देश्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के पंचायती राज विभागों के सहयोग से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित निर्मित धरोहर स्थलों और अन्य सांस्कृतिक परिसंपत्तियों की पहचान करना, उनका दस्तावेजीकरण करना और उन्हें बढ़ावा देना है।

इस पहल का उद्देश्य देश की ग्रामीण सांस्कृतिक विरासत की पहचान, दस्तावेजीकरण और संवध ्न की प्रक्रिया में पंचायत स्तर पर जमीनी स्तर के शासन को एकीकृत और मुख्यधारा में लाना है, जिससे सामुदायिक स्वामित्व, गर्व और ग्रामीण विरासत के सतत संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय समुदायों को अपनी सांस्कृतिक संपदा की रक्षा और उत्सव मनाने के लिए सशक्त बनाया जाएगा। यह पहल भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के 'मेरा गाँव मेरी धरोहर' पोर्टल के अद्यतनीकरण के लिए डेटा प्रदान करने का भी लक्ष्य रखती है।

20.2. इस पहल को आंध्र प्रदेश (तिरुपति), हरियाणा (कुरुक्षेत्र) और हिमाचल प्रदेश (किन्नौर) और त्रिपुरा राज्य के प्रत्येक जिले में पायलट आधार

'मेरा गाँव मेरी धरोहर' पर पंचायती राज मंत्रालय और पंचायती राज डिपार्टमेंट, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मिलकर तैयार की गई किताब "किन्नौर: जहाँ देवता रमण करते हैं", 24.12.2025 को रिलीज की गई

पर सफलतापूर्वक लागू किया गया है। किन्नौर के विरासत स्थलों पर "किन्नौर: जहाँ देवता रमण करते हैं" शीर्षक से एक सचित्र पुस्तक पंचायती राज मंत्रालय और पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है, जिसे 24.12.2025 को विशाखापत्तनम में अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार अधिनियम (पेसा) दिवस पर जारी किया गया था। (विज्ञप्ति की फोटो जोड़ी जानी है)। इसी तरह की पहल अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में की गई है जहां पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार और संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पंचायती राज विभाग के सक्रिय और सहयोगी प्रयासों के साथ ग्राम पंचायत स्तर पर महत्वपूर्ण निर्मित धरोहर स्थलों और रुचि के स्थानों की पहचान की जा रही है और उनका दस्तावेजीकरण किया जा रहा है।

20.3. पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने संस्कृति मंत्रालय (एमओसी), भारत सरकार के सहयोग से, 18.12.2025 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए), नई दिल्ली में मेरा गांव मेरी धरोहर पोर्टल के अद्यतनीकरण के लिए एक दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर भारत की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की पहचान और दस्तावेजीकरण के लिए पंचायत स्तर के अधि कारियों की क्षमता का निर्माण करना था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों के रूप में कुल 96 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। सचिव,

पंचायती राज मंत्रालय; सचिव, संस्कृति मंत्रालय; अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, एवं अन्य अधिकारियों ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और उनसे बातचीत की।

पंचायती राज मंत्रालय ने संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से 'मेरा गाँव मेरी धरोहर' पोर्टल के अद्यतन हेतु एक दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 18 दिसम्बर 2025 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली में किया।

20.4. पंचायत धरोहर पहल के तहत पंचायत स्तर पर पहचाने गए धरोहर स्थलों और रुचि के स्थानों को "मेरी पंचायत मेरी धरोहर" टैगलाइन के तहत विभिन्न सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से प्रचारित किया जा रहा है। जनवरी से दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुल 59 पोस्ट साझा की गई हैं।

अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

ग्यारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243छ)

1. कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार है।
2. भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण।
3. लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जलविभाजक क्षेत्र का विकास।
4. पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट-पालन।
5. मत्स्य उद्योग।
6. सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी।
7. लघु वन उपज।
8. लघु उद्योग, जिनके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी हैं।
9. खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग।
10. ग्रामीण आवासन।
11. पेय जल।
12. ईंधन और चारा।
13. सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन।
14. ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है।
15. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत।
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
17. शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं।
18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा।
19. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा।
20. पुस्तकालय।
21. सांस्कृतिक क्रियाकलाप।
22. बाजार और मेले।
23. स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिनके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय भी हैं।
24. परिवार कल्याण।
25. महिला और बाल विकास।
26. समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है।
27. दुर्बल वर्गों का और विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।
28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
29. सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण।

अनुलग्नक-II

दिनांक 31.12.2025 तक पंचायती राज मंत्रालय की संख्या (पीएओ स्टाफ सहित)							
क्रम संख्या	पदनाम	स्वीकृत संख्या	तैनात	रिक्त	वेतन का स्तर	समूह क/ख/ग	राजपत्रित/ अराजपत्रित
1.	सचिव	1	1	0	17	क	राजपत्रित
2.	अपर सचिव	1	1	0	15	क	राजपत्रित
3.	संयुक्त सचिव (इन-सीटू सहित)	3	4	0	14	क	राजपत्रित
4.	आर्थिक सलाहका	1	1	0	14	क	राजपत्रित
5.	डायरेक्टर/DS = 5, जिसमें सेंट्रल डेपुटेशन- 2, CSS-3 शामिल हैं, जिसमें से CSS के डायरेक्टर का 1 पद इन-सीटू JS में अपग्रेड किया गया है	1	1	0	13	क	राजपत्रित
6.	संयुक्त निदेशक/निदेशक(आईईकस)	1	1	0	13,12	क	राजपत्रित
7.	संयुक्त निदेशक/निदेशक (आईकसकस)	1	1	0	11	क	राजपत्रित
8.	उप निदेशक/कडी (आईईकस)	1	1	0	11	क	राजपत्रित
9.	उप निदेशक (ओकल	8	8	0	11	क	राजपत्रित
10.	सचिव के तह	8	8	0	11	क	राजपत्रित
11.	पीकसओ/वरिष्ठ पीपीकस(2)/पीपीकस (5)	7	7	0	13/12/11	क	राजपत्रित
12.	अनुसंधान अधिकारी	1	0	1	10	क	राजपत्रित
13.	सहायक निदेशक (ओकल)	1	1	0	10	क	राजपत्रित
14.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	2	2	0	10	क	राजपत्रित
15.	सहायक लेखा अधिकारी (एएओ)	1	1	0	8	ख	राजपत्रित
16.	अनुभाग अधिकारी	14	13	1	8	ख	राजपत्रित
17.	निजी सचिव (पीएस)	5	2	3	8	ख	राजपत्रित
18.	एएसओ	15	12	3	7	ख	अराजपत्रित
19.	निजी सहायक (पीक)	3	2	1	7	ख	अराजपत्रित
20.	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी (कसटीओ)	1	1	0	7	ख	अराजपत्रित
21.	अनुसंधान सहायक	1	0	1	7	ख	अराजपत्रित
22.	रिकॉर्ड सहाय	1	0	1	6	ख	अराजपत्रित
23.	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (जेटीओ	2	2	0	6	ख	अराजपत्रित
24.	लेखाका	3	2	1	6/5	ख	अराजपत्रित
25.	केयरटेक	1	0	1	4	ग	अराजपत्रित
26.	आशुलिपिक ग्रेड 'डी'	9	8	1	4		अराजपत्रित
27.	जेएसए/एलडीसी	2	3	0	2	ग	अराजपत्रित
28.	डिस्पैच राइडर	1	0	1	1	ग	अराजपत्रित
29.	स्टाफ कार चाल	5	0	5	2	ग	अराजपत्रित
30.	एमटीएस (एमओपीआर-13 और 1 पीएओ	14	5	9	1	ग	अराजपत्रित
	कुल	112	85	29			

अनुलग्नक-III

31.12.2025 तक पंचायती राज मंत्रालय का संगठनात्मक अवसंरचना

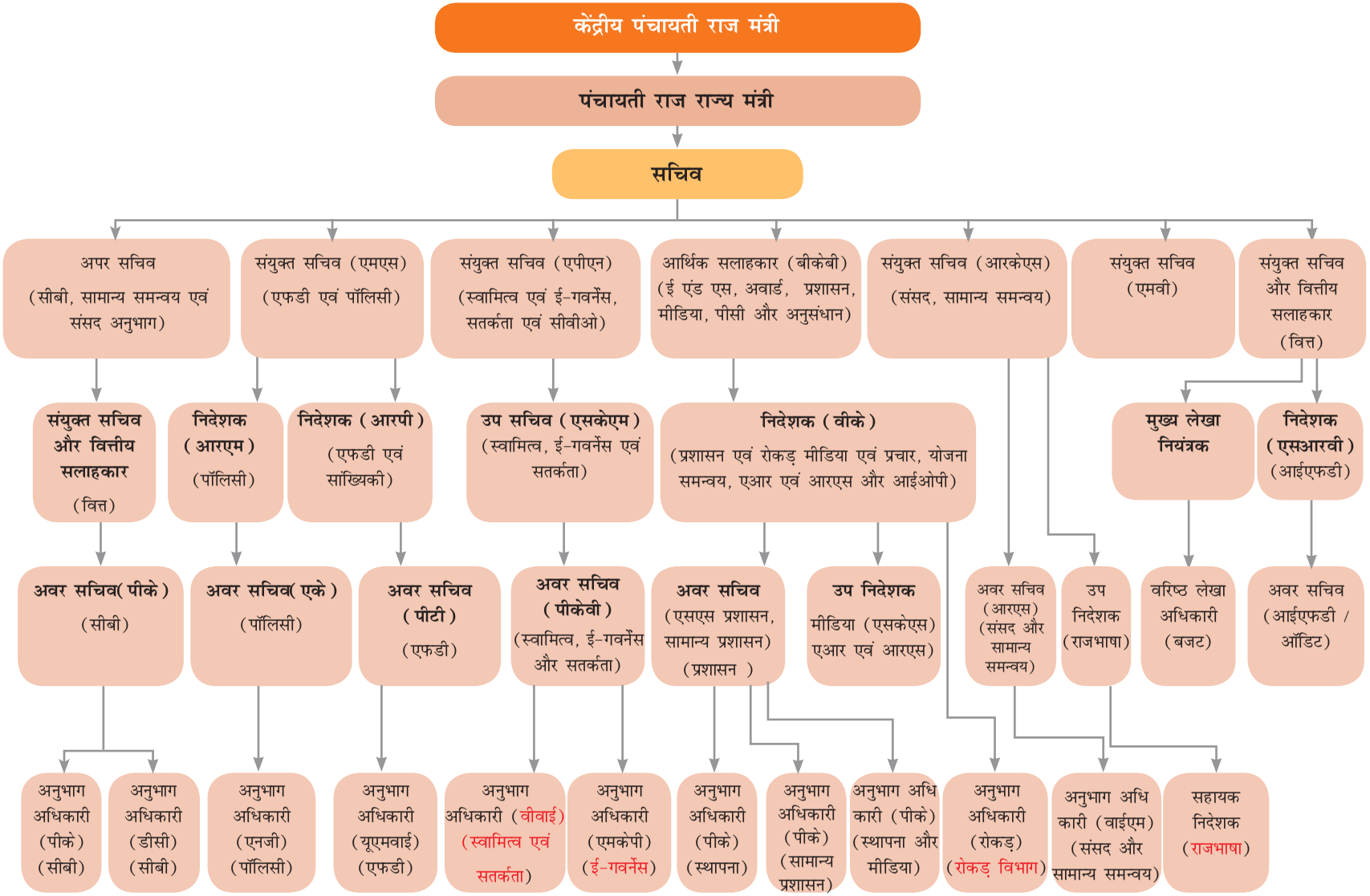

अनुलग्नक-IV

वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक आरजीएसए की संशोधित योजना के तहत जारी की गई निधि की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्थिति (31 दिसंबर, 2025 तक)

क्रम संख्या	राज्य	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.79	2.12	1.00
2	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	2.52	50.00
3	अरुणाचल प्रदेश	108.69	72.09	70.00	70.00
4	असम	55.29	77.70	60.00	65.71
5	बिहार	33.37	25.00	0.00	25.00
6	छत्तीसगढ़	0.00	17.57	16.50	20.00
7	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1.14	1.00	1.00	1.00
8	गोवा	0.00	0.89	1.35	1.00
9	गुजरात	0.00	0.00	0.00	15.00
10	हरियाणा	0.00	0.00	5.00	17.50
11	हिमाचल प्रदेश	60.65	19.31	27.21	14.00
12	जम्मू और कश्मीर	40.00	65.00	65.00	50.00
13	झारखंड	0.00	31.00	0.00	7.50
14	कर्नाटक	36.00	20.00	16.25	10.00
15	केरल	30.40	10.00	10.00	18.00
16	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
17	लद्दाख	0.00	1.00	0.00	0.50
18	मध्य प्रदेश	28.00	32.17	40.00	50.00
19	महाराष्ट्र	37.84	116.12	80.00	57.50
20	मणिपुर	8.63	9.56	0.00	3.55
21	मेघालय	0.00	6.00	8.00	7.50
22	मिजोरम	14.27	10.00	12.00	15.00
23	नागालैंड	0.00	10.00	10.00	10.00
24	ओडिशा	11.40	27.33	20.00	40.00
25	पुदुच्चेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
26	पंजाब	34.25	10.00	5.00	20.00
27	राजस्थान	0.00	21.72	15.00	10.00
28	सिक्किम	6.01	6.00	7.00	5.00
29	तमिलनाडु	25.42	0.00	45.00	20.00
30	तेलंगाना	0.00	20.00	0.00	3.00
31	त्रिपुरा	9.80	7.43	10.00	30.00
32	उत्तर प्रदेश	85.05	84.13	38.77	30.235
33	उत्तराखंड	42.48	64.67	50.00	25.00
34	पश्चिम बंगाल	4.28	33.69	52.68	39.00
	उप कुल	672.97	800.17	670.40	732.00
	अन्य कार्यान्वयन एजेंसियां	10.01	14.69	23.77	19.32
	कुल योग	**682.98**	**814.86**	**694.17**	**751.32**

* दिनांक 31.12.2025 तक।

अनुलग्नक-V

वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक आरजीएसए की संशोधित योजना के तहत प्रशिक्षित प्रतिभागियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्थिति (31 दिसंबर, 2025 तक)

क्रम संख्या	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (दिनांक 31-12-2025 तक)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1874	2865	5221	2676
2	आंध्र प्रदेश	649156	165001	325643	335565
3	अरुणाचल प्रदेश	3711	6138	12344	8844
4	असम	227733	348183	144936	75879
5	बिहार	404406	163809	435896	129690
6	छत्तीसगढ़	121099	163292	90559	77185
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	575	1000	1073	1812
8	गोवा	1777	3548	4519	1899
9	गुजरात	250	1938	90368	22243
10	हरियाणा	4859	12431	11909	90758
11	हिमाचल प्रदेश	9531	92458	120455	11660
12	जम्मू एवं कश्मीर	284138	350026	82534	24439
13	झारखंड	8302	54056	135817	89587
14	कर्नाटक	213467	363317	321380	211880
15	केरल	179478	149153	129632	54944
16	लद्दाख	0	0	26	426
17	लक्षद्वीप	0	0	0	0
18	मध्य प्रदेश	281610	86884	242279	204241
19	महाराष्ट्र	1041165	984321	363111	73368
20	मणिपुर	894	5591	195	3771
21	मेघालय	11588	74410	78537	13788
22	मिजोरम	2659	9800	9841	5689
23	नागालैंड	1832	3435	4725	2389
24	ओडिशा	79116	160774	279505	192849
25	पुडुचेरी	0	0	0	0
26	पंजाब	36378	13359	122848	83524
27	राजस्थान	2481	96389	71795	278542
28	सिक्किम	13552	11249	6709	3838
29	तमिलनाडु	106560	101513	78490	67009
30	तेलंगाना	14506	2441	1701	13175
31	त्रिपुरा	7743	63715	54228	34519
32	उत्तराखंड	48241	144374	22342	73135
33	उत्तर प्रदेश	263409	82712	76302	261263
34	पश्चिम बंगाल	174974	272762	228081	183330
35	एनआईआरडीपीआर एवं अन्य	5229	1438	1941	1839
	कुल	**42,02,293**	**39,92,382**	**35,54,942**	**26,35,756**

* दिनांक 31.12.2025 तक।

अनुलग्नक-VI

पन्द्रहवां (XV) वित्त आयोग अनुदान - पंचायतों के विभिन्न स्तरों के बीच वितरण		
क्रम संख्या	राज्य	% आवंटन (जीपी:बीपी:जेडपी)
1	आंध्र प्रदेश	70:20:10 (संशोधित)
2	अरुणाचल प्रदेश	70 : 30 (दो स्तरीय पंचायतें)
3	असम	70:15:15
4	बिहार	70:20:10
5	छत्तीसगढ़	75:15:10
6	गोवा	85 :- : 15 (दो स्तरीय पंचायतें)
7	गुजरात	70:20:10
8	हरियाणा	75:15:10
9	हिमाचल प्रदेश	70:15:15
10	झारखंड	75:15:10
11	कर्नाटक	85:10:05
12	केरल	75 :12.5 : 12.5
13	मध्य प्रदेश	85:10:05
14	महाराष्ट्र	80:10:10
15	मणिपुर	70 :- : 30 (दो स्तरीय पंचायतें)
16	मेघालय	तीन एडीसी को 100%'
17	मिजोरम	वीसी को 100%
18	नगालैंड	वीसी को 100%
19	ओडिशा	70:20:10
20	पंजाब	70:20:10 (संशोधित)
21	राजस्थान	75:20:05
22	सिक्किम	85 :- : 15 (दो स्तरीय पंचायतें)
23	तमिलनाडु	80:15:05
24	तेलंगाना	85:10:05
25	त्रिपुरा	70:25:05
26	उत्तर प्रदेश	70:15:15
27	उत्तराखंड	75:10:15
28	पश्चिम बंगाल	70:15:15

अनुलग्नक-VII

दिनांक 31.12.2025 तक ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) अनुदान का वर्ष-वार आवंटन और रिलीज

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26	
		आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज
1	आंध्र प्रदेश	2625.00	2625.00	1939.00	1917.85	2010.00	1976.75	2031.00	1997.45	2152.00	2109.97	2099.00	1026.91
2	अरुणाचल प्रदेश	231.00	231.00	170.00	170.00	177.00	35.40	179.00	0.00	189.00	0.00	185.00	0.00
3	असम	1604.00	1604.00	1186.00	1186.00	1228.00	1228.00	1241.00	1241.00	1315.00	760.29	1283.00	0.00
4	बिहार	5018.00	5018.00	3709.00	3709.00	3842.00	3842.00	3884.00	3855.33	4114.00	4109.01	4012.00	2002.52
5	छत्तीसगढ़	1454.00	1454.00	1075.00	1075.00	1114.00	1114.00	1125.00	1125.00	1192.00	1185.25	1163.00	0.00
6	गोवा	75.00	75.00	55.00	55.00	57.00	48.46	58.00	21.55	62.00	0.00	61.00	0.00
7	गुजरात	3195.00	3195.00	2362.00	2362.00	2446.00	2446.00	2473.00	2473.00	2619.00	1807.30	2555.00	0.00
8	हरियाणा	1264.00	1264.00	935.00	935.00	968.00	967.30	979.00	953.59	1036.00	1012.51	1011.00	487.82
9	हिमाचल प्रदेश	429.00	429.00	317.00	317.00	329.00	329.00	332.00	318.04	352.00	352.00	343.00	169.89
10	झारखंड	1689.00	1689.00	1249.00	1249.00	1293.00	1293.00	1307.00	1307.00	1385.00	0.00	1351.00	0.00
11	कर्नाटक	3217.00	3217.00	2377.00	2375.50	2463.00	2093.55	2490.00	2086.59	2637.00	2133.25	2572.00	0.00
12	केरल	1628.00	1628.00	1203.00	1203.00	1246.00	1246.00	1260.00	1260.00	1334.00	1334.00	1301.00	0.00
13	मध्य प्रदेश	3984.00	3984.00	2944.00	2944.00	3050.00	3050.00	3083.00	2819.24	3265.00	1629.45	3185.00	0.00
14	महाराष्ट्र	5827.00	5827.00	4307.00	4267.16	4461.00	3696.71	4510.00	3629.21	4776.00	3169.72	4659.00	0.00
15	मणिपुर	177.00	177.00	131.00	65.50	135.00	0.00	137.00	0.00	145.00	0.00	142.00	0.00
16	मेघालय	182.00	182.00	135.00	67.50	140.00	0.00	141.00	0.00	149.00	0.00	146.00	0.00
17	मिजोरम	93.00	93.00	69.00	69.00	71.00	71.00	72.00	72.00	76.00	0.00	74.00	0.00
18	नगालैंड	125.00	125.00	92.00	92.00	96.00	48.00	97.00	0.00	102.00	0.00	99.00	0.00
19	ओडिशा	2258.00	2258.00	1669.00	1669.00	1728.00	1728.00	1747.00	1746.91	1851.00	1851.00	1805.00	1046.42
20	पंजाब	1388.00	1388.00	1026.00	1026.00	1062.00	1062.00	1074.00	1058.35	1138.00	788.90	1110.00	0.00
21	राजस्थान	3862.00	3862.00	2854.00	2854.00	2957.00	2955.34	2989.00	2847.96	3166.00	2803.69	3087.00	0.00
22	सिक्किम	42.00	42.00	31.00	31.00	33.00	33.00	33.00	33.00	35.00	32.34	33.00	0.00
23	तमिलनाडु	3607.00	3607.00	2666.00	2666.00	2761.00	2761.00	2791.00	2791.00	2957.00	2957.00	2884.00	318.96
24	तेलंगाना	1847.00	1847.00	1365.00	1365.00	1415.00	1415.00	1430.00	1424.18	1514.00	0.00	1477.00	0.00
25	त्रिपुरा	191.00	191.00	141.00	141.00	147.00	147.00	148.00	148.00	157.00	156.31	153.00	74.38
26	उत्तर प्रदेश	9752.00	9752.00	7208.00	7208.00	7466.00	7466.00	7547.00	7547.00	7994.00	7994.00	7797.00	3870.96
27	उत्तराखंड	574.00	574.00	425.00	418.70	440.00	439.21	445.00	444.13	471.00	234.91	458.00	0.00
28	पश्चिम बंगाल	4412.00	4412.00	3261.00	3261.00	3378.00	3378.00	3415.00	3415.00	3617.00	3472.22	3528.00	1701.77
	कुल	60750.00	60750.00	44901.00	44699.22	46513.00	44869.71	47018.00	44614.51	49800.00	39893.13	48573.00	10699.63

अनुलग्नक-VIII

राज्य वित्त आयोग के गठन की स्थिति						
क्रम संख्या	राज्य	संख्या	पुरस्कार अवधि	गठित	रिपोर्ट	एटीआर
1	आंध्र प्रदेश	पांचवीं	2025-30	18 मार्च 2023	प्रस्तुत किया जाना है	चौथा एसएफसी की पुरस्कार अवधि लाइव थी (2024-25 तक) और चौथा एसएफसी का एटीआर 08.02.2024 को सभा पटल पर रख दिया गया है। अब चौथे एसएफपी की पुरस्कार अवधि 31.03.2026 तक बढ़ा दी गई है।
2	अरुणाचल प्रदेश	तीसरी	2026-2031	27 दिसंबर 2024	जून, 2014 के दौरान दूसरी एसएफपी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी परंतु, इसकी एटीआर सदन में नहीं रखी गई थी।	
3	असम	सातवीं	2026-31	01 जुलाई 2024	प्रस्तुत की जानी है।	छठे एसएफपी की पुरस्कार अवधि लाइव है (2025-26 तक) और छठे एसएफसी का एटीआर दिनांक 30.06.2021 को सदन में रख दिया गया है।
4	बिहार	सातवीं	ज्ञात नहीं है	23 मई 2025	लंबित	20.02.2019 को गठित छठे एसएफसी की पुरस्कार अवधि लाइव है (2021-26) 30.04. 2021 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कार्यान्वित एटीआर सदन में 02. 12.2021 को रखा गया।
5	छत्तीसगढ़	चौथी	2025-30	29 जुलाई 2021	मार्च-25	तीसरे एसएफसी की पुरस्कार अवधि लाइव थी (2024-25 तक) और तीसरे एसएफसी की एटीआर अक्टूबर, 2019 को सदन में रखी गई है। हालाँकि, तीसरे एसएफसी की पुरस्कार अवधि 2025-26 तक बढ़ा दी गई है।

राज्य वित्त आयोग के गठन की स्थिति						
क्रम संख्या	राज्य	संख्या	पुरस्कार अवधि	गठित	रिपोर्ट	एटीआर
6	गोवा	तीसरी	2024-29	31 दिसंबर 2021 को पुनर्गठित	31.01.2024 को मुख्य सिफारिशें प्रस्तुत की गई। 28.06.2024 को माननीय राज्यपाल को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। राज्यपाल कार्यालय से नियुक्ति की प्रतीक्षा है।	बिछाया जाना
7	गुजरात	चौथी	-	04 नवंबर 2024	अंतरिम अवधि के लिक 17.03.2025 को प्रस्तुत की गई।	21.03.2025 को अंतरिम अवधि के लिक कटीआर
8	हरियाणा	सातवीं	2021-26	22 सितंबर 2020	23.12.2021	कार्यान्वित एटीआर 18.02.2023 को सदन में रखी गई।
9	हिमाचल प्रदेश	सातवीं	2027-32	01 मार्च 2024	अभी प्रस्तुत की जानी है	छठे एसएफसी की पुरस्कार अवधि 2027 तक है। रिपोर्ट 31.10.2022 को प्रस्तुत की गई। कार्यान्वित एटीआर 22.03.2023 को सदन में रखी गई।
10	झारखंड	पांचवीं	2024-2029	23 फरवरी 2024	12.03.2025	एटीआर 27.03.2025 को सदन में पेश की गई।
11	कर्नाटक	पांचवीं	2024-29	11 अक्टूबर 2023	आयोग ने 2024-25 की अवधि के लिए अपनी पहली रिपोर्ट 19.02.2024 को प्रस्तुत की। अब यह अवधि 2025-26 तक बढ़ा दी गई है।	2024-25 की अवधि के लिए पहली रिपोर्ट 23.02.2024 को सदन में पेश की गई। सरकारी आदेश 07 मार्च 2024 को जारी किया गया।
12	केरल	सातवीं	2026-2031	सितंबर 2024	अभी प्रस्तुत की जानी है	6वें एसएफसी की पुरस्कार अवधि 2026 तक लाइव है। रिपोर्ट मई, 2022 में प्रस्तुत की गई, लागू की गई।
13	मध्य प्रदेश	पाचवीं	2020-25	20 मार्च 2017 को गठित। 2025-26 तक विस्तारित	30 अप्रैल, 2019	लागू किया गया। एटीआर 18.02.2022 को सदन में रखी गई।

राज्य वित्त आयोग के गठन की स्थिति						
क्रम संख्या	राज्य	संख्या	पुरस्कार अवधि	गठित	रिपोर्ट	एटीआर
14	महाराष्ट्र	छठी	2026-31	27 मार्च 2025 और 31 मार्च 2025	अभी प्रस्तुत की जानी है।	5वें एसएफसी की पुरस्कार अवधि (2024-25) तक लाइव थी। अब राज्य ने सूचित किया है कि 5वें एसएफसी की पुरस्कार अवधि 6वें एसएफसी के लागू होने तक बढ़ा दी गई है।
15	मणिपुर	चौथी	2021-26	अक्टूबर 2019	जुलाई 2021 में प्रस्तुत की गई	एटीआर रखी जानी है
16	ओडिशा	पाचवीं	2021-26	05 मई 2018	02.08.2019 को प्रस्तुत की गई	लागू किया गया। एटीआर 17.02.2020 को सदन में रखी गई
17	पंजाब	छठी	2021-26	3 जुलाई 2018	29 मार्च 2022 को सबमिट किया गया	20.06.2023 को एटीआर रखी गई। लागू की गई।
18	राजस्थान	सातवीं	2025-30	1 अगस्त, 2025	अभी प्रस्तुत की जानी है	एटीआर प्रस्तुत की जानी है
19	सिक्किम	छठी	2025-30	20 जून 2022	20.02.2024 को प्रस्तुत की गई	लागू किया गया। अगस्त 2024 में एटीआर रखी गई।
20	तमिलनाडु	छठी	2022-27	06 मार्च 2020	8 मार्च 2022	लागू किया गया। 13.01.2023 को एटीआर रखी गई।
21	तेलंगाना	दूसरी		17 फरवरी 2024	पहला एसएफसी (2020-21 से 2024-25) 2015 में गठित किया गया। रिपोर्ट पेश की गई और एटीआर सदन में रखी गई	लागू किया गया। पहले एसएफसी की पुरस्कार अवधि लाइव है (2020ख्21 से 2024ख्25) 2015 में गठित किया गया। 15.02.2024 को एटीआर रखी गई।
22	त्रिपुरा	पाचवीं	2021-26	4 जून 2020	फरवरी, 2021	लागू किया गया। 09.01.2024 को एटीआर रखी ग
23	उत्तर प्रदेश	छठी		15 जनवरी 2024	जुलाई, 2025	लागू किया गया। थ्रू 2025-26 और 2026-27 के अंतरिम अवधि के लिए एटीआर 13.08.2025 को रखी गई।
24	उत्तराखंड	छठी	2026-31	27 जनवरी 2025	प्रस्तुत की जानी है	5वें एसएफसी की पुरस्कार अवधि लाइव है (2025-26 तक)
25	पश्चिम बंगाल	छठी	2026-30	17 दिसंबर, 2024	4 सितंबर, 2025 को प्रस्तुत की गई	04.09.2025 को एटीआर रखी गई। लागू किया गया

लेखापरीक्षा अवधि 2021-22 के लिए ऑडिटऑनलाइन पर राज्यवार प्रगति (31 दिसंबर, 2025 तक)									
क्र.सं.	राज्य का ना	जिला परिषदों की कुल संख्या	तैयार रिपोर्ट वाली जिला परिषदों की संख्या	बीपी की कुल संख्या	तैयार रिपोर्ट वाली बीपी की संख्या	जीपी और समकक्ष की कुल संख्या	तैयार रिपोर्ट वाली जीपी की संख्या	पीआरआई की कुल संख्या	तैयार रिपोर्ट वाली पीआरआई की कुल संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	13	10	660	660	13330	13320	14003	13990
2.	अरुणाचल प्रदेश	26	16	0	0	2109	1172	2135	1188
3.	असम	30	25	192	187	2663	2197	2885	2409
4.	बिहार	38	38	534	505	8125	8000	8697	8543
5.	छत्तीसगढ़	27	27	146	146	11660	11655	11833	11828
6.	गोवा	2	0	0	0	191	191	193	191
7.	गुजरात	33	33	248	248	14572	14562	14853	14843
8.	हरियाणा	22	22	142	142	6234	6215	6398	6379
9.	हिमाचल प्रदेश	12	12	81	81	3615	3615	3708	3708
10.	झारखंड	24	24	264	264	4345	4345	4633	4633
11.	कर्नाटक	31	0	233	0	5960	5944	6224	5944
12.	केरल	14	14	152	152	941	941	1107	1107
13.	मध्य प्रदेश	52	51	313	311	22993	22700	23358	23062
14.	महाराष्ट्र	34	34	351	351	27892	27814	28277	28199
15.	मणिपुर	12	0			3812	17	3824	0
16.	मेघालय	3	0					3	0
17.	मिजोरम					834	833	841	833
18.	नागालैंड					1304	0	1304	0
19.	ओडिशा	30	30	314	314	6798	6795	7142	7139
20.	पंजाब	23	22	152	152	13268	13217	13443	13391
21.	राजस्थान	33	33	352	352	11343	10863	11728	11248
22.	सिक्किम	6	4	0	0	185	185	191	189
23.	तमिलनाडु	36	36	388	388	12525	12525	12949	12949
24.	तेलंगाना	32	32	540	540	12769	12769	13341	13341
25.	त्रिपुरा	9	9	75	75	1176	1176	1260	1260
26.	उत्तराखंड	13	13	95	95	7791	7762	7899	7870
27.	उत्तर प्रदेश	75	75	826	826	58193	58189	59094	59090
28.	पश्चिम बंगाल	22	21	345	319	3341	3207	3708	3547
	कुल	**660**	**581**	**6888**	**6108**	**264739**	**250209**	**272287**	**256898**

अनुलग्नक-IX (ख)

लेखापरीक्षा अवधि 2022-23 के लिए ऑडिटऑनलाइन पर राज्यवार प्रगति (31 दिसंबर, 2025 तक)									
क्र.सं.	राज्य का नाम	जिला परिषदों की कुल संख्या	तैयार रिपोर्ट वाली जिला परिषदों की संख्या	बीपी की कुल संख्या	तैयार रिपोर्ट वाली बीपी की संख्या	जीपी की कुल संख्या	तैयार रिपोर्ट वाली जीपी की संख्या	पीआरआई की कुल संख्या	तैयार रिपोर्ट वाली पीआरआई की कुल संख्या
1.	।दकीतं च्तंकमी	13	13	660	660	13328	13323	14001	13996
2.	।तनदंबींस च्तंकमी	25	21	0	0	2108	2104	2133	2125
3.	।ेंउ	30	28	192	187	2662	2197	2884	2412
4.	ठपींत	38	38	534	533	8077	8053	8649	8624
5.	बीींजजपेहंती	27	27	146	146	11659	11632	11832	11805
6.	ळवं	2	0	0	0	191	191	193	191
7.	ळनरंतंज	33	33	248	248	14615	14587	14896	14868
8.	भ्तलंदं	22	22	143	142	6233	6212	6398	6376
9.	भ्पउंबींस च्तंकमी	12	12	81	81	3615	3615	3708	3708
10.	श्रीतींिदक	24	24	264	264	4345	4345	4633	4633
11.	ज्ञंतदंजां	31	0	238	0	5949	5949	6218	5949
12.	ज्ञमतंसं	14	14	152	152	941	941	1107	1107
13.	डंकीलं च्तंकमी	52	52	313	312	23030	23010	23395	23374
14.	डींतेीजतं	34	34	351	350	27948	27796	28333	28180
15.	डंदपचनत	12	0			3812	0	3824	0
16.	डमहींसंलं	3	0					3	0
17.	डप्रवतंउ					841	834	841	834
18.	छंहंसंदक					1304	0	1304	0
19.	व्कपीं	30	30	314	314	6794	6791	7138	7135
20.	च्नदरंइ	22	22	152	151	13240	13156	13414	13329
21.	तेंजींद	33	33	355	351	11304	10951	11692	11335
22.	ेपाापउ	6	5	0	0	199	186	205	191
23.	ज्ंउपस छंकन	36	36	388	388	12525	12525	12949	12949
24.	ज्मसंदहंदं	32	32	540	540	12769	12769	13341	13341
25.	ज्तपचनतं	9	9	75	75	1176	1176	1260	1260
26.	न्जजंतींदक	13	13	95	95	7813	7795	7921	7903
27.	न्जजंत च्तंकमी	75	75	826	826	58194	58189	59095	59090
28.	ॅमेज ठमदहंस	22	21	345	330	3339	3224	3706	3575
	ज्वजंस	**650**	**594**	**6838**	**6145**	**264838**	**251552**	**272326**	**258291**

अनुलग्नक-IX (ग)

लेखापरीक्षा अवधि 2023-24 के लिए ऑडिटऑनलाइन पर राज्यवार प्रगति (31 दिसंबर, 2025 तक)									
क्र.सं.	राज्य का नाम	जिला परिषदों की कुल संख्या	तैयार रिपोर्ट वाली जिला परिषदों की संख्या	बीपी की कुल संख्या	तैयार रपोर्ट वाली बीपी की कुल संख्या	जीपी की कुल संख्या	तैयार रिपोर्ट वाली जीपी की कुल संख्या	पीआरआई की कुल संख्या	तैयार रिपोर्ट वाली पीआरआई की कुल संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	13	13	660	660	13328	13319	14001	13992
2.	अरुणाचल प्रदेश	25	21	0	0	2108	2104	2133	2125
3.	असम	30	16	192	69	2662	1883	2884	1968
4.	बिहार	38	38	534	532	8055	8051	8627	8621
5.	छत्तीसगढ़	27	26	146	138	11656	11307	11829	11471
6.	गोवा	2	0	0	0	191	191	193	191
7.	गुजरात	33	33	248	248	14665	14585	14946	14866
8.	हरियाणा	22	22	143	138	6227	6199	6392	6359
9.	हिमाचल प्रदेश	12	12	81	80	3615	3615	3708	3707
10.	झारखंड	24	0	264	0	4345	0	4633	0
11.	कर्नाटक	31	0	238	0	5951	5950	6220	5950
12.	केरल	14	14	152	152	941	941	1107	1107
13.	मध्य प्रदेश	52	50	313	283	23012	22925	23377	23258
14.	महाराष्ट्र	34	12	351	323	27952	27535	28337	27870
15.	मणिपुर	12	0			3812	0	3824	0
16.	मेघालय	3	0					3	0
17.	मिजोरम					841	0	841	0
18.	नगालैंड					1304	0	1304	0
19.	ओडिशा	30	30	314	314	6794	6753	7138	7097
20.	पंजाब	22	22	152	151	13240	13083	13414	13256
21.	राजस्थान	33	33	362	338	11255	10574	11650	10945
22.	सिक्किम	6	5	0	0	199	199	205	204
23.	तमिलनाडु	36	36	388	388	12525	12525	12949	12949
24.	तेलंगाना	32	32	540	540	12772	12740	13344	13312
25.	त्रिपुरा	9	9	75	75	1194	1176	1278	1260
26.	उत्तराखंड	13	13	95	95	7795	7793	7903	7901
27.	उत्तर प्रदेश	75	75	826	826	57754	57695	58655	58596
28.	पश्चिम बंगाल	22	21	345	335	3339	3225	3706	3581
	कुल	**650**	**533**	**6419**	**5685**	**264379**	**244368**	**271448**	**250586**

अनुलग्नक-X

PESA अधिनियम की राजपत्र अधिसूचना

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996

(1996 का अधिनियम संख्यांक 40)

[24 दिसम्बर, 1996]

पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार करने का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सैंतालीसवें वर्ष में संसद् निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 है ।

2. परिभाषा—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "अनुसूचित क्षेत्रों" से ऐसे अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में निर्दिष्ट हैं ।

3. संविधान के भाग 9 का विस्तार— पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के उपबंधों का, ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए जिनका उपबंध धारा 4 में किया गया है, अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार किया जाता है ।

4. संविधान के भाग 9 के अपवाद और उपांतरण—संविधान के भाग 9 में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का विधान-मंडल, उस भाग के अधीन ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, जो निम्नलिखित लक्षणों में से किसी से असंगत हो, अर्थात् :—

(क) पंचायतों के बारे में कोई राज्य विधान जो बनाया जाए, रुढ़िजन्य विधि, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबंध पद्धतियों के अनुरूप होगा ;

(ख) ग्राम साधारणतया आवास या आवासों के समूह अथवा पुरवां या पुरवों के समूह से मिलकर बनेगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हो और जो परंपराओं तथा रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता हो ;

(ग) प्रत्येक ग्राम की एक ग्राम सभा होगी जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके नामों को ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित किया गया है ;

(घ) प्रत्येक ग्राम सभा, लोगों की परंपराओं और रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधनों और विवाद निपटाने के रूढ़िजन्य ढंग का संरक्षण और परिरक्षण करने के लिए सक्षम होगी ;

(ङ) प्रत्येक ग्राम सभा,—

(i) सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का इसके पूर्व कि ग्राम स्तर पर पंचायत द्वारा ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिया जाए, अनुमोदन करेगी :

(ii) गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान या उनके चयन के लिए उत्तरदायी होगी ;

(च) ग्राम स्तर पर प्रत्येक पंचायत से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ग्राम सभा से, खंड (ङ) में निर्दिष्ट योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए उस पंचायत द्वारा निधियों के उपयोग का प्रमाणन अभिप्राप्त करे ;

(झ) अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि का अर्जन करने के पूर्व और अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को फिर से बसाने या उनको पनुर्वासित करने के पूर्व उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायत से परामर्श किया जाएगा ; अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक योजना और उनका कार्यान्वयन राज्य स्तर पर समन्वित किया जाएगा ;

(ञ) अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों की योजना और उनका प्रबंध उपयुक्त स्तर पर पंचायतों को सौंपा जाएगा ;

(ट) समुचित स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों की सिफारिशों को अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा प्रदान करने के पूर्व आज्ञापक बनाया जाएगा ;

(ठ) उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पचायतों की पूर्व सिफारिश को नीलामी द्वारा गौण खनिजों के समुपयोजन के लिए रियायत देने के लिए आज्ञापक बनाया जाएगा ;

(ड) अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करते समय जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों, राज्य विधान-मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि पंचायतों और ग्राम सभा को उपयुक्त स्तर पर विनिर्दिष्ट रूप से,—

(i) मद्यनिषेध प्रवर्तित करने या किसी मादक द्रव्य के विक्रय और उपभोग को विनियमित या निर्बन्धित करने की शक्ति प्रदान की जाए ;

(ii) गौण वन उपज का स्वामित्व प्रदान किया जाए ;

(iii) अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अन्य संक्रमण को निवारित करने और किसी अनुसूचित जनजाति की विधिरुविरुद्धतया अन्य संक्रमित भूमि को प्रत्यावर्तित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की जाए ;

(iv) ग्राम बाजारों का, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, प्रबंध करने की शक्ति प्रदान की जाए ;

(v) अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देने पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान की जाए ;

(vi) सभी सामाजिक सैक्टरों में संस्थाओं और कृत्यकारियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान की जाए ;

(vii) स्थानीय योजनाओं पर और ऐसी योजनाओं के लिए जिनके अंतर्गत जनजातीय उपयोजनाएं हैं, संसाधनों पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान की जाए ;

(ढ) ऐसे राज्य विधानों में, जो पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करें जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों, यह सुनिश्चित करने के लिए रक्षोपाय अन्तर्विष्ट होंगे कि उच्चतर स्तर पर की पंचायतें, निम्न स्तर पर की किसी पंचायत की या ग्राम सभा की शक्तियां और प्राधिकार अपने हाथ में न लें ;

(ण) राज्य विधान-मंडल, अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तरों पर की पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्थाओं की परिकल्पना करते समय संविधान की छठी अनुसूची के पैटर्न का अनुसरण करने का प्रयास करेगा ।

5. विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना—इस अधिनियम द्वारा किए गए अपवादों और उपांतरणों सहित संविधान के भाग 9 में किसी बात के होते हुए भी, उस तारीख के ठीक पूर्व, जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रवृत्त पंचायतों से संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध, जो ऐसे अपवादों और उपांतरणों सहित भाग 9 के उपबंधों से असंगत है, जब तक किसी सक्षम विधान-मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे संशोधित या निरसित नहीं कर दिया जाता है या जब तक उस तारीख से, जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, एक वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है तब तक प्रवृत्त बना रहेगा :

परन्तु ऐसी तारीख के ठीक पूर्व विद्यमान सभी पंचायतें, यदि उस राज्य की विधान सभा द्वारा या ऐसे राज्य की दशा में, जिसमें विधान परिषद् है, उस राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक सदन द्वारा पारित इस आशय के संकल्प द्वारा पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है, तो अपनी अवधि की समाप्ति तक बनी रहेंगी ।

———

अनुलग्नक-XI

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के तहत प्रदत्त पुरस्कारों की संख्या का वर्ष वार विवरण (वर्ष 2016 से)

प्रदान किये गए पुरस्कारों की संख्या												
पुरस्कार वर्ष	दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत् विकास पुरस्कार (डीडीयूपीए. सपी)	नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत् विकास पुरस्कार (एनडीआरजी. जीएसपी)	दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार	नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार	ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार	बाल-हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार	ई-पंचायत पुरस्कार	ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार	कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार	पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार	जलवायु का. र्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार	आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार
	(केवल जीपी के लिए)	डीपी, आईपी और जीपी के लिए	डीपी, आईपी और जीपी के लिए	(केवल जीपी के लिए)	(केवल जीपी के लिए)	(केवल जीपी के लिए)	(सिर्फ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए)	(केवल जीपी के लिए)	(केवल जीपी के लिए)	(केवल संस्थानों के लिए)	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं
2016	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं	183	20	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं	4	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं
2017	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं	189	20	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं	4	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं
2018	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं	191	21	3	स्थापित नहीं	6	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं
2019	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं	195	20	3	22	6	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं
2020	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं	213	27	28	30	8	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं
2021	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं	224	30	30	30	12	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं
2022	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं	237	27	29	29	7	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं
2023	27	9	बंद	बंद	बंद	बंद	बंद	3	3	प्रदान नहीं किया गया	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं
2024	27	9	बंद	बंद	बंद	बंद	बंद	3	3	3	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं
2025	0	0	बंद	बंद	बंद	बंद	बंद	0	0	3	3	3
कुल	**54**	**18**	**1432**	**165**	**93**	**111**	**47**	**6**	**6**	**6**	**3**	**3**
कुल योग	पंचायतों को 1891 पुरस्कार राज्यों/राज्य स्तरीय संस्थानों को 53 पुरस्कार											

पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार